लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 46 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 27—बुधवार, 22 सितम्बर, 1965/31 भाद्र, 1887 (शक)

No. 27—*Wednesday, September* 22, 1965/*Bhadra* 31, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
770	पेट्रो-रसायन निगम	Petro-Chemical Corporation	2661–63
771	डाक द्वारा विश्वविद्यालय की शिक्षा	Correspondence Courses for University Education . .	2663–65
772	नये विश्वविद्यालय	New Universities . .	2665–68
773	शरणार्थियों के पुनर्वास का अवशिष्ट कार्य	Residuary Refugee Rehabilitation . . .	2668–70
774	लाइसेंस देने की प्रक्रिया	Procedure for Issuing Licences	2670–75
775	शेख अब्दुल्ला की सुरक्षा की व्यवस्था	Security Arrangements for Sheikh Abdullah	2675–76
776	पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा	Occupation of Indian Territory by East Pakistan Rifles .	2676–77
777	पेट्रो-रसायन उत्पादन	Petro-Chemical Production.	2677–80
778	उर्वरक कारखाना, मंगलौर	Fertilizer Plant at Mangalore .	2680
779	दिल्ली में अपराध	Crime in Delhi .	2681–82

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. Nos.			
8	पेट्रोल तथा मोटर के अन्य तेलों की राशन व्यवस्था	Rationing of Petrol and other motor oils	2682–87
9	आयुध कारखानों में उत्पादन	Production in ordnance factories	2687–88

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
780	दण्डकारण्य कृषिपुनर्वास योजना	Dandakaranya Agricultural Rehabilitation Scheme	2688

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
781	अनिवार्य सेवा-निवृत्ति	Compulsory Retirement . .	2689
782	इम्फाल गोली काण्ड जांच समिति	Enquiry Committee on Imphal firing	2689
783	पांडिचेरी का विलय	Merger of Pondicherry . .	2689
785	मनीपुर के एक गांव पर विद्रोहियों का आक्रमण	Hostile Attack in a Manipur Village	2690
786	बर्मा से आने वाले भारतीय	Indians from Burma . . .	2690–91
787	"दी क्राइसिस आफ इंडिया" नामक पुस्तक	Book entitled "The Crisis of India"	2691
788	सम्पर्क स्थापित करने वाले व्यक्तियों की काली-सूची	Black-list of Contactmen .	2691
789	अन्दमान में मछली पकड़ने का उद्योग	Fishing Industry in Andamans .	2691–92
790	प्रशासनिक न्यायाधिकरण	Administrative Tribunals .	2692
791	एस० जे० टी० बी० अस्पताल, दिल्ली में तपदिक के एक रोगी की मृत्यु	Death of a T. B. Patient in S. J. T. B. Hospital, Delhi . .	2692

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2586	केरल वकील संस्था के लिए भवन	Building for Kerala Advocates' Association	2693
2587	विय्यूर की छोटी जेल (सब-जेल) में बन्दियों की भीड़	Overcrowding in Sub-Jail, Viyyoor	2693
2588	केरल में अल्प-आय-वर्ग आवास योजनायें	Low Income Group Housing Schemes in Kerala. . .	2693–94
2589	राज्यों में विद्यार्थी	Students in States . . .	2694–95
2590	अश्लील साहित्य	Obscene Literature . . .	2695
2591	भारत-तिब्बत सीमा के पास पुरा-तत्वीय सर्वेक्षण	Archaeological Survey near Indo-Tibetan border . .	2695
2592	"आइडेन्टीकिट" प्रणाली	'Identikit' System . . .	2696
2593	नज़रबन्दियों को परिवार भत्ता आदि संबंधी नियमों को उदार बनाना	Liberalisation of Rules re: family allowances, etc. to Detenus	2696
2594	आन्ध्र प्रदेश में पाया गया पुराना मन्दिर	Old Temple found in Andhra Pradesh	2696–97
2595	रूस में खुदाई	Excavations in U. S. S. R. .	2697
2598	हमिसिन और क्लोरोटेट्रा साइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड	Hamycin and Chlortetra-Cycline Hydro-Chloride . .	2697
2599	पंजाब में तेल की खोज	Oil Exploration in Punjab .	2698

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2600	पंजाब में एक कुंए में पैट्रोलियम का पाया जाना	Petroleum found in a well in Punjab	2698
2601	दिल्ली में अध्यापिकाओं के लिये प्रसूति अवकाश	Maternity Leave to Delhi Teachers	2698
2602	कलकत्ता के पास तेल वाले क्षेत्र	Oil bearing areas near Calcutta	2699
2603	दिल्ली में विद्यार्थियों की फीस	Fees of Students in Delhi .	2699
2604	गुजरात तेल शोधक कारखाना	Gujarat Refinery . . .	2699
2605	न्यायालयों में लम्बित मुकदमे	Cases Pending in Courts . .	2699–2700
2606	उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों के नामों का दर्ज किया जाना	Students' Enrolment in U.P. .	2700
2607	भाषा शिक्षकों के वेतन	Salaries of Language Teachers.	2701
2608	कूकी नेशनल एसेम्ब्ली का अभ्यावेदन	Representation of Kuki National Assembly	2701
2609	शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए राजकीय खेत (स्टेट फार्म्स)	State Farms for Refugee rehabilitation	2701–02
2610	तात्विक गंधक (एलीमेंटल सल्फर) का उत्पादन	Production of Elemental Sulphur	2702
2611	दिल्ली में शराब का अवैध व्यापार	Root legging in Delhi . .	2702
2612	सीमावर्ती जिलों में विकास योजनायें	Development Schemes in Border Districts	2703
2613	सतर्कता आयोग द्वारा दर्ज की गई शिकायत	Complaints registered by Vigilance Commission . . .	2703–04
2614	आन्ध्र प्रदेश में संश्लिष्ट औषधि कारखाना	Synthetic Drug plant in Andhra Pradesh.	2704–05
2615	दिल्ली में पुलिस व्यवस्था	Police set up in Delhi . .	2705
2616	सम्मात में प्रयोगात्मक संयंत्र	Experimental Plant at Cambay .	2705
2617	कुतुब मीनार, दिल्ली	Qutab Minar, Delhi . . .	2706
2618	जूनियर कृषि स्कूल	Junior Agricultural Schools .	2706
2619	दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संबंधी कार्यों को बढ़ाना	Augmentation of educational activities of Delhi University .	2706–07
2620	सशस्त्र सेना के लिये चैको-स्लोवाकिया में बनी राइफलें	Czech Rifles for Armed Forces .	2707
2621	त्रिपुरा विधान सभा के एक सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Tripura M. L. A. .	2707
2622	दण्डकारण्य में परलकोट क्षेत्र	Paraikote Area in Dandakaranya	2708
2623	दण्डकारण्य के पाखनजोर क्षेत्र में सुविधायें	Amenities in Pakhanjore area of Dandakaranya . . .	2708

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2624	ग्रामीण अर्थशास्त्र तथा सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Rural Economics and Co-operation	2708–09
2625	दिल्ली में हरिजनों की बेदखली	Eviction of Harijans in Delhi .	2709
2626	गणित शास्त्र की शिक्षा	Teaching of Mathematics .	2709
2628	नागालैंड, केरल और आन्ध्र में राजभाषा का अपनाया जाना	Adoption of Official Language in Nagaland, Kerala and Andhra Pradesh.	2709–10
2629	केरल में राशन व्यवस्था	Rationing in Kerala. . .	2710
2630	सरकारी कर्मचारियों का पाकिस्तान भाग जाना	Escape of Government Servants to Pakistan	2710
2631	भाषाओं को मान्यता देना	Recognition of Languages . .	2710–11
2632	अपराध का पता लगाने के लिए अणुशक्ति का प्रयोग	Use of Atomic Energy in Detection of Crime . . .	2711
2633	चिन मूक्ति सेना	China Liberation Army . .	2711
2634	नदिया में हल वाले पाकिस्तानी किसान	Pakistan Farmers Ploughing in Nadia	2712
2635	सशस्त्र नागाओं की गिरफ्तारी	Arrest of Nagas with Arms .	2712
2636	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों को दूसरी जगह ले जाना	Shifting of Police Training Centres . . .	2712–13
2637	संस्कृत का विकास	Development of Sanskrit . .	2713
2638	राज्य सरकारों के बीच विवाद	Disputes among State Governments	2713
2639	सरकारी कर्मचारियों का गैर-सरकारी उपक्रमों में नौकरी पर लगना	Government Servants Joining Private Enterprises . .	2714
2640	भ्रष्टाचार के मामले	Corruption cases . .	2714
2641	बदमाश	Bad Characters . . .	2715
2642	उच्च प्रशासनिक पदों पर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Technical Personnel at top Administrative Posts	2715
2643	दिल्ली शिक्षा विभाग	Delhi Education Department .	2716
2644	मनीपुर अधिकारियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Manipur Officers	2716
2645	केरल के कालिजों में फीस	Fees in Kerala Colleges . .	2716–17
2646	इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज़ नई दिल्ली में रूसी भाषा की शिक्षा के पाठ्यक्रम	Course of Studies in Russian at Indian School of International Studies, New Delhi . .	2717
2647	फरीदाबाद में पालीटेकनिक	Polytechnic in Faridabad .	2717
2648	केरल में जूनियर कालिज	Junior Colleges in Kerala .	2717

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2649	मध्य प्रदेश के आदिवासी विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships to Adivasi Students of M. P.	2718
2650	सतर्कता समितियां	Vigilance Committees	2718
2651	केरल में भाषा आयोग	Language Commission in Kerala	2718
2652	सरकारी क्षेत्र के तेलशोधक कारखाने	Public Sector Refineries	2718–19
2653	महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के ऊपर अज्ञात विमान	Unidentified Aircraft over West Coast of Maharashtra	2719
2654	भारत का पुरातत्वीय सर्वेक्षण	Archaeological Survey of India	2719
2656	जनगणना संगठन	Census Organisation	2719
2657	दिल्ली में सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की पदोन्नति	Promotion of Government Schools Principals in Delhi.	2720
2658	भारतीय तेल निगम द्वारा अधिक अदायगी	Overpayment by I. O. C.	2720
2659	शहादरा में डकैती	Robbery in Shahdara	2720
2660	भारतीय प्रशासन सेवा विशेष भर्ती परीक्षा (1956-57)	I. A. S. Special Recruitment Examination (1956-57)	2721
2661	दिल्ली के कालिजों में दाखिला	Admission in Delhi Colleges	2721
2662	भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	Arrests under Defence of India Act	2721
2663	"क्रिश्चियन" नामक पुस्तक	Book entitled 'Christian'	2722
2664	पाकिस्तान रेडियो सुनने पर प्रतिबन्ध	Ban on listening to Pak. Radio	2722
2665	तमेंगलांग (मनीपुर) के एस० डी० ओ० की हत्या	Murder of S. D. O. Tamenglong (Manipur)	2722–23
2666	दिल्ली के उपभोक्ता मूल्य देशनांक संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Consumers Price Index number for Delhi	2723
2667	पुर्तगाली भाषा में पुस्तकें	Books in Portuguese	2723
2668	तूतूक्कुडि में सोडा एश कारखाना	Soda Ash Factory in Tuticorin	2723
2670	दिल्ली प्रशासन में पहली तथा दूसरी श्रेणी के पद	Class I & II Posts in Delhi Administration	2724
2671	भारत का महा रजिस्ट्रार	Registrar-General of India	2724
2673	केरल में समुद्री तकनीकी स्कूल	Marine Technical School in Kerala	2724
2674	"वोग" में प्रकाशित फोटो	Photos Published in 'Vogue'	2725

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2676	केरल उच्च न्यायालय में वकीलों के लिये ला चेम्बर	Law Chambers for Advocates in Kerala High Court	2725
2677	केरल वकील संस्था का पुस्तकालय	Library of Kerala Advocates' Association	2725–26
2677-क	उद्यान भूमि का अर्जन	Acquisition of Garden Lands	2726
2677-ख	अन्दमान के समीप विदेशी नाव	Foreign boats near Andamans.	2726
अविलम्बीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of urgent Public Importance—	
	सुमात्रा में भारतीय-वाणिज्य दूतावास और जावा में भारतीयों की सम्पत्ति पर कब्जा करने तथा इण्डोनेशिया में भारतीयों की सम्पत्ति के जब्त किये जाने के समाचार—	Reported seizure of Indian Consulate in Sumatra and property of Indians in Java and the confiscation of property of Indians in Indonesia—	
	श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya . . .	2726
	श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh .	2726–29
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table .	2729–30
प्राक्कलन समिति—		Estimates Committee—	
	कार्यवाही-सारांश तथा छियासीवां प्रतिवेदन	Minutes and eighty-sixth Report	2730–31
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बधी समिति—		Committee on Private Members' Bills and Resolutions —	
	इकहत्तरवां प्रतिवेदन	Seventy-first Report . .	2731
न्यायाधीश (जांच) विधेयक—		Judges (Inquiry) Bill—	
	विचार करने तथा संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव—	Motions to consider and to refer to Joint Committee—	
	श्री अ० शं० आल्वा	Shri A. S. Alva. . .	2731–32
	श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	2732–33
	श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka .	3733
	डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney . . .	2733–34
	श्री गौरी शंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar	2734
	श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya .	2734–35
	श्री म० प० स्वामी	Shri M. P. Swamy . .	2735
	श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao . .	2735–37

विषय	SUBJECT	PAGES
गोवा दमण और दीव (सिविल प्रक्रिया संहिता और (माध्यस्थम अधिनियम का विस्तार) विधेयक—	Goa, Daman and Diu (Extension of the Code of Civil Procedure and the Arbitration Act) Bill—	
राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao . .	2737–40
श्री शिंक्रे	Shri Shinkre . . .	2738–39
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey . .	2739
श्री यशपालसिंह	Shri Yashpal Singh . .	2739
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav .	2739
खण्ड 2 से 7 तथा 1	Clauses 2 to 7 and 1 . .	2740–41
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao . .	2741–43
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandekar . .	2742
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	2742
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवं।	Shri L. M. Singhvi . .	2742
रासायनिक उर्वरकों के सम्भरण तथा उत्पादन के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re : Supply and Production of Chemical Fertilizers—	
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah .	2743–44
श्री वारियर	Shri Warior . . .	2745–46
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary . .	2746
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup . .	2746–47
श्री ओझा	Shri Oza	2747
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	2747–48
श्री राधेलाल व्यास	Shri Radhelal Vyas . .	2748
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav .	2748–49
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	2749
युद्ध-विराम तथा अन्य मामलों के बारे में वक्तव्य—	Statement Re: Cease-Fire and other Matters—	
श्री लाल बहादुर शास्त्री	Shri Lal Bahadur Shastri .	2750–51

लोकसभा

LOK SABHA

बुधवार, 22 सितम्बर, 1965/31 भाद्र, 1887 (शक)

Wednesday, September 22, 1965/Bhadra 31, 1887 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पेट्रो-रसायन निगम

+

*770. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री बागड़ी :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक पैट्रो-रसायन निगम स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) निगम की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग) : मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या कोई गैर-सरकारी निगम भी बनाया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : यह पूर्णता सरकारी-नियंत्रणाधीन निगम रहेगा ।

श्री स० चं० सामन्त : इस स्थापित किये जाने वाले निगम की पुंजी कितनी होगी ?

श्री अलगेशन : इसमें सारी पूंजी भारत सरकार लगाएगी और अंश राष्ट्रपति के नाम में होंगे । यह पूर्णत: सरकारी नियंत्रणाधीन निगम होगा; एक निदेशक-बोर्ड होगा जिसमें सरकारी पदाधिकारी और अन्य व्यक्ति होंगे ।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the names of bye-products that would be manufactured under the proposed corporation? When the work is likely to commence?

श्री अलगेशन : इस निगम का सम्बन्ध सभी पेट्रो-रसायन उत्पादों से होगा जैसे सुगन्ध फैलाने वाली वस्तुएं संश्लिष्ट रेशा उत्पाद और संश्लिष्ट रबड उत्पाद । विभिन्न पेट्रो-रसायन उद्योग इस समूह का भाग होंगे और इसका शोधन कारखानों से निकट का सम्बन्ध होगा ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य कब आरम्भ होगा ?

श्री अलगेशन : हम उन पक्षों से, जिन्होंने हमारे साथ सहयोग करने की इच्छा प्रकट की है, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत पूरी होने पर और निश्चित समझौता हो जाने पर हम कार्य आरम्भ कर देंगे ।

श्री वारियर : हमें आशा है कि इन पेट्रो-रसायन उद्योगों का विकास तेजी से हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि यदि सरकार इस मामले पर विचार करने में और फैसला करने में इतना समय लेती है तो सरकार क्या उपाय करेगी ?

श्री अलगेशन : हम इस मामले पर विचार करते रहे हैं लेकिन यह फैसला किया गया कि जैसे ही हम कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने की स्थिति में होंगे, तब निगम स्थापित करना उचित होगा ।

श्री वासुदेवन नायर : मंत्री महोदय का कहना है कि वे सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । क्या सरकार ने ऐसे किसी एकक कि संभावना के बारे में, जिसे हम चालू कर सकते हैं, कोई स्वतंत्र रूप से जांच पड़ताल की है और यदि हां, तो किन स्थानों पर ?

श्री अलगेशन : हमारे यहां एक "सेल" है और वह "सेल" बड़ा अच्छा काम कर रहा है और इन संभावनाओं का विश्लेषण कर रहा है कि हमें किस चीज का उत्पादन करना चाहिए और उसके बारे में किस प्रकार कारवाई करनी चाहिए । हम स्वतंत्र रूप से भी मूल्यांकन कर रहे हैं लेकिन इस बड़े तकनीकी क्षेत्र में, हमें अन्य व्यक्तियों से सहायता और परामर्श लेना ही होगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस निगम के निदेशक-बोर्ड में अन्य सरकारी क्षेत्र के निगमों के अलावा ही सदस्य होंगे जिनमें सरकार द्वारा मनोनित सदस्य होंगे जिन्हें निगम में कोई अधिकार नहीं होंगे और क्या सरकार बोर्ड के कार्यचालनकी जांच करने के लिये कोई व्यवस्था करने के बारे में सोच रही है ?

श्री अलगेसन : यह कहना गलत है कि बोर्ड के सदस्यों को कोई अधिकार नहीं होगा; वे निजी अंशधारी ही नहीं होंग बल्कि उनका सरकार के प्रति उत्तरदायित्व है और उनसे अपना कर्त्तव्य निष्ठापूर्वक निभाने की आशा की जाती है ?

डा० रानेन सेन : क्या इस निगम में कोई विदेशी सहयोग करने का भी विचार है और यदि हां तो इस बारे में किन किन विदेशी समवायें से सम्पर्क स्थापित किया गया है ?

श्री अलगेशन : अमरिकी समवायों का एक सार्थ-संघ है जिसने हमसे सहयोग करने को कहा है और हम उनके साथ बात कर रहे हैं ?

श्री ओझा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केवल एक ही निगम होगा या कुछ प्रादेशिक या सहायक निगम भी होंगे ? इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री अलगेशन : आरम्भ में निगम का मुख्य कार्य पेट्रो-रसायन एककों के बारे में होगा जो हम गुजरात में वहां पर शीघ्र ही आरम्भ की जाने वाली शोधनशाला के सम्बन्ध में स्थापित करना चाहते हैं; यदि हमारा कार्य बढ़ा तो इस पर निगम विचार करेगा ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस देश में पेट्रो-रसायन उद्योग के लिये चौथी योजना का परिव्यय बनाते समय क्या इस निगम के पूंजी परिव्यय पर भी विचार किया जायगा और यदि हां, तो इसकी क्या स्थिति है ?

श्री अलगेशन : योजना आयोग ने इस मंत्रालय के परामर्श से इस के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये कदम उठाये हैं और धन आवंटित किया है ।

Correspondence Courses for University Education

\+

***771. Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**

Shri S. C. Samanta : **Shri D. C. Sharma :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the names of the Universities which have started correspondence courses of study on an experimental basis and the extent of success achieved therein;

(b) the steps being taken for the expansion of the programme of correspondence courses of study;

(c) the number of candidates who joined these courses and the percentage of successful candidates in the examinations and their standard of education; and

(d) the expenditure which a student has to bear per annum for the various Courses?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darkhan) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Only the University of Delhi has instituted Correspondence Course for B. A. (Pass) Degree as a pilot project beginning from the academic year 1962-63. While the Correspondence Course has received increasing popularity from the student-community, any realistical appraisal of the success of the scheme will be possible when the first batch of Correspondence Course students who were enrolled in September, 1962 after passing the Intermediate Examination, graduate towards the end of November, 1965.

(b) In the context of the Fourth Five Year Plan, the following schemes are under consideration for expanding the programme of Correspondence Course of study at different levels:—

(1) Extension of the scheme of Correspondence Course at undergraduate level in Arts to 3 or 4 more universities selected on a regional basis;

(2) Introduction of Correspondence Courses for the post-graduate degree in Arts and for the B. Sc. (Pass) degree at the University of Delhi;

(3) Starting of courses for the training of secondary school teachers at the universities of Baroda and Mysore, at the Central Institute of Education, Delhi and one more centre in the Eastern Zone; and

(4) Setting up of a Central Bureau of Correspondence Courses, with four Regional Centres and field agencies to prepare a detailed plan for Correspondence Courses in engineering and technology, both at the degree and the diploma levels.

(c) The number of students admitted to B. A. (Pass) degree course of the University of Delhi through correspondence is as follows:—

Year	Number of students
1962-63	1112
1963-64	1410
1964-65	1929
1965-66	2600

The result of the first batch of Correspondence Course students is expected to be declared by the end of November, 1965 only.

(d) For the B. A. (Pass) degree course through correspondence at the University of Delhi, a student has to incur an annual expenditure of about Rs. 200.

Shri M. L. Dwivedi : In the statement laid on the Table it is stated that the number of students in correspondence course from 1962 to 1966 is 2600. I want to know the number of students who applied during the last year and why it is that only 2600 students were given admission and why efforts were not made to further extend the scheme? About ten thousand students applied for the admission.

Shri Bhakt Darshan : The reason is obvious that we are short of talented teachers and so we could give admission only to a limited number of students.

Shri M. L. Dwivedi : The Education Ministry advertised that in other universities also, namely Shantiniketan or so, the correspondence course will be started. What is the reason of not starting the course so far. In the statement it is stated that some such universities would be established at the regional level where correspondence course would be started. Which are those universities?

Shri Bhakt Darshan : This has not yet been decided. In the fourth plan these courses will be started in three or four universities. No decision has yet been taken in respect of introducing it in Vishwa Bharti. When fourth plan is considered, further action in the matter will then be taken.

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में बताया गया है कि बी० एस० सी० पाठ्यक्रम भी चालू किया जायेगा। विद्यार्थियों को "प्रेक्टिकल एक्सपेरीमेण्ट" किस प्रकार कराया जायगा ?

श्री भक्त दर्शन : सारा मामला विचाराधीन है।

श्री दी० चं० शर्मा : इन पत्र-व्यवहार द्वारा पाठ्यक्रमों के स्तर को न गिरने देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री भक्त दर्शन : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि स्तर के गिरने की बजाय हमने इसे ऊंचा उठाया है।

Shri R. S. Pandey : This programme as a pilot scheme of correspondence course has become very popular. I want to know the universities which have started the correspondence course. In this statement it is stated that a student has to incur an annual expenditure of Rs. 200. I want to know where some measures have been taken to reduce this expenditure.

Shri Bhakt Darshan : As stated in the Statement, so far only the university of Delhi has instituted correspondence course and we are examining further proposals. So far as reducing the expenditure is concerned, I assure the hon. member it has been reduced to the minimum.

Shri Yashpal Singh : The Government knows that by this scheme the standard of education is likely to fall. In view of that whether the Government have decided not to award high divisions than the third division to students?

Shri Bhakt Darshan : I do not at all agree with the views of the hon. member. According to our information the standard has been raised. The programme of studies is also progressing successfully.

श्री दाजी : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि ऐसे युवकों की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें उच्च अध्ययन के अवसर दिये जायें ; यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में देश भर में पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम द्वारा अथवा अन्य किसी पाठ्यक्रम द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जायगी ताकि काम करने वाले युवक भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें ?

श्री भक्त दर्शन : जैसा मैंने विवरण में बताया है चौथी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय आधार पर चुने गये तीन या चार विश्वविद्यालयों में कला में पूर्व-स्नातक (अन्डर गेज्युएट) स्तर पर पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम की योजना का विस्तार करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री दाजी : केवल तीन या चार विश्वविद्यालयों में ही क्यों, देश भर में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है ताकि काम करने वाले युवक शिक्षा प्राप्त कर सकें ?

श्री भक्त दर्शन : यदि हम कर सकते तो अवश्य ऐसा करते। लेकिन वित्तीय कठिनाइयां भी इस मार्ग में बाधक बनती हैं। पहले तीन या चार विश्वविद्यालयों मे तो आरम्भ कर लें।

New Universities

\+

***772. Shri Jagdev Singh Siddhanti :**

Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the University Grants Commission have accorded permission for opening some new Universities next year;

(b) if so, the names of the States where those Universities will be opened; and

(c) whether the Commission is also considering the question of opening certain other new Universities and when a decision is likely to be taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c): A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) : The University Grants Commission has agreed to the setting up of the following new Universities :—

(1) Madurai (Madras State)

(2) Kanpur and Meerut (U. P.)

(3) Surat and Bhavnagar (Gujarat)

(4) Pondicherry

(5) Goa

(6) Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

(7) A new Affiliating University in Andhra Pradesh.

Of the above Universities, the Commission has agreed to the establishment of the Universities at Pondicherry and Goa during the Fourth Plan period.

It is for the Government concerned with the establishment of each new University to take its own decision whether the new University should be established and if so when. The Administration of Goa has decided that the proposed University will be set up after a certain number of colleges have been established therein.

(c) The Commission has received two more proposals for consideration, one from the Government of U. P. for a University at Nainital and the other from the Administration of Himachal Pradesh for a University in that Union Territory.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Has this Education Commission before giving consent has selected the scope of new sciences which will be started in universities?

Shri Bhakt Darshan : This decision has been taken by the University Grants Commission and not the Education Commission and they have taken this decision after taking into consideration all the aspects of the question.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Has it come to their notice that some times India was the topmost country in science and as such whether some efforts will be made for the research in the ancient science?

Shri Bhakt Darshan : I welcome this suggestion and whatever is possible will be done in this matter.

श्री स्वैल : कुछ समय पहले मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी और मुझे पता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकार कर लिया है। एक अन्य दिन शिक्षा मंत्री ने भी इस सभा में यह उत्तर दिया था कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य मे इस विश्वविद्यालय का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है ?

श्री भक्त दर्शन : मेरे पास इस समय कोई निश्चित जानकारी नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी मामले की सिफारिश की है और वह मामला मंत्रालय में लम्बित है, तो उस पर बहुत जल्दी निर्णय किया जाएगा।

श्री कंडप्पन : क्या तमिलनाड में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने अथवा कोयम्बतुर के वर्तमान कालिज का स्तर ऊंचा कर उसे विश्वविद्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव है।

श्री भक्त दर्शन : कृषि कालिज के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

Shri Kishen Pattnayak : What are the criteria for establishing new universities—is it the population or the number of students in a particular area or something else?

Shri Bhakt Darshan : Certain things are taken into consideration, namely the number of students, conditions of post-graduate research, availability of teaching staff. After considering all this the University Grants Commission, which is a commission of experts, gives their recommendations and Government accepts those recommendations.

Shri Sheo Narain : When there can be two universities in Delhi, wou the Government decide to establish a university each in every commissionery?

Shri Bhakt Darshan : I have nothing to say about the establishment of second university in Delhi as this matter was discussed in this House for two days. But if more universities can be established and the financial position is better this ministry has no objection.

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नये विश्वविद्यालय न खोलने का निर्णय किये जाने से बहुत पहले बिहार सरकार ने मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का वचन दिया था ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ।

श्री भक्त दर्शन : मुझे माननीय सदस्य से ही यह जानकारी मिली है। इस बार में मैं "हां" या "ना" नहीं कह सकता।

अध्यक्ष महोदय : यदि क्षेत्र विशेष के बारे में प्रश्न पूछे जायेंगे तो मैं उनकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विवेकानन्द विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया है और यदि इसकी मंजूरी दे दी गयी है तो यह कब स्थापित किया जाएगा यदि इसको मंजूरी नहीं दी गयी है तो क्या वे इसपर नये सिरे से विचार करेंगे ?

श्री भक्त दर्शन : विवरण में वे प्रस्ताव दिये गये हैं जो स्वीकार कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं बता सकता।

श्री मुथिया : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मदुरै विश्वविद्यालय आरम्भ करने के लिये कोई धनराशि अलग से रखी है और यदि हां, तो कितनी।

श्री भक्त दर्शन : सहायता की मात्रा के बारे में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। इस पर राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जरूर पत्र-व्यवहार हो रहा होगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर यह शर्त रखी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इतने अधिक विश्वविद्यालय खोले जाने से शिक्षा का स्तर गिरने न पाये ?

श्री भक्त दर्शन : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बारे में कोई औपचारिक सिफारिश नहीं की है कि तीसरी योजना में कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित न किया जाये। तथापि, आयोग ने यह राय व्यक्त की है कि एक राज्य सरकार द्वारा एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने से पूर्व उस क्षेत्र की आवश्यकताओं और उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से पांच या दस वर्षों की एक योजना बनायी जाय। आयोग का यह भी विचार है कि कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने से पूर्व कालिजों के समूह का एक केन्द्रीय स्नातकोत्तर शिक्षा केन्द्र स्थापित करना अच्छा होगा। इस केन्द्र को स्थापित होने के बाद, यथा समय एक विश्वविद्यालय में विकसित किया जा सकेगा।

Shri Onkar Lal Berwa: I want to know if a State Government wants to establish a university and find out resources for that, would Central Government refuse the proposal?

Shri Bhakt Darshan : If financial assistance is not asked from the Central Government, we have no objection.

Shri Buta Singh : So far universities have been established in big cities only in the country. When most of the population lives in villages, whether any university would be established in rural areas to give education to villagers?

Shri Bhakt Darshan : The position is that no university is established by the Central Government itself. The state governments make proposals, University Grants Commission gives their recommendations and then the Central Government gives its consent. If any such proposal is made, that would be definitely considered.

श्री बासप्पा : क्या सरकार अग्रिम अध्ययन के लिये भी कोई केन्द्र खोल रही है और यदि हां, तो वह किस रूप में नये विश्वविद्यालयों से भिन्न हैं ?

श्री भक्त दर्शन : मेरे पास सूची नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सतर्क है ।

शरणार्थियों के पुनर्वास का अवशिष्ट कार्य

+

***773. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शरणार्थियों के पुनर्वास की अवशिष्ट समस्या से सम्बन्धित योजनाओं के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को कोई नया ऋण न देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो पत्री वर्ष 1964 के लिये इस कार्य के हेतु प्रारम्भत: कितनी राशि मंजूर की गई थी और उसमें से कितनी राशि राज्य सरकार को दे दी गई है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने मंजूर की हुई राशि रोकने का निर्णय किन कारणों से किया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के इस रवैये के प्रति, विशेषत: पहले प्रस्तुत की गई योजनाओं के लिये धन के आवंटन के सम्बन्ध में, राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पुनर्वास मंत्रालय मे उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जब अवशिष्ट समस्या के बारे में बात-चीत की गई थी उस समय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परस्पर समझौते द्वारा आवश्यक धनराशि का मूल्यांकन 21.9 करोड़ रुपये किया गया था जिसमें 14.7 करोड़ रुपय ऋण के अधीन थे और 7.2 करोड़ रुपये अनुदान के अधीन थे। 31–3–64 तक 8.30 करोड़ रुपय तक की मंजूरियां जारी कर दी गई थी इनमें 6.10 करोड़ रुपये ऋण के अधीन और 2.20 करोड़ रुपये अनुदान के अधीन हैं। 1–4–64 से 31–7–65 की अवधि में 6.18 लाख रुपये ऋण के अधीन तथा 57.66 लाख रुपये अनुदान के अधीन मंजूर किये थे।

वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या 15(1)-बी/ 58 दिनांक 15-9-59 में दिये गये आदेशों के अनुसार "पहली अप्रैल, 1958 के बाद दिये गये ऋणों के बारे में सामान्य शर्तें लागू होंगी।" 31-3-64 तक विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों के बारे में छूट दे दी गई थी और मई, 1964 में राज्य सरकार के दायित्व में भी संशोधन किया गया था और केन्द्रीय सरकार ने कम वसूली के कारण होने वाली हानि के शत् प्रतिशत् भाग को वहन करने की अनुमति दे दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार को 1-4-1964 की अवधि से दिये जाने वालों ऋणों के बारे में मुख्य मंत्री पश्चिम बंगाल से बात चीत हुई थी और केन्द्रीय सरकार ने हानि के दो तिहाई भाग को वहन करने की अनुमति दे दी है। तथापि उन ऋणों के मामले में जो स्थायी दायित्व संस्थाओं में रहने वाले पुनर्वास योग्य परिवारों के सम्बन्ध में हैं और कुछ मंजूरियां जो 1-4-1964 से पूर्व जारी की गई थी उन्हें पूनः मान्यकरण करने से वसूली में यदि कोई हानि होती है तो वह केवल भारत सरकार द्वारा ही वहन की जायेगी।

सहमत किये गये प्रतिरूप के अनुसार ऋण के अधीन 1-8-1965 से 72.20 लाख रुपये की धन राशि मंजूर की जा चुकी है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : अब जब कि हानि को समाप्त करने के लिये समझौता हो गया है और सरकार उनका दो-तिहाई भाग वहन करने को राजी हो गई है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या 21.9 करोड़ रुपये और 8.30 करोड़ रुपय के बीच की बकाया, जो मंजूर कर दी गयी है, पश्चिम बंगाल सरकार को फिर से आवंटित अथवा मंजूर की जाएगी ?

डा० म० मो० दास : केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को शेष समस्याओं को सुलझाने के लियें दी जाने वाली 21.9 करोड़ रुपये की राशि में से 7.6 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाना बाकी है—यह आज तक नहीं दिया गया है—और 2.97 करोड़ रुपये का अनुदान नहीं दिया गया है। यह राशि राज्य सरकार को दे दी जाएगी और इन ऋणों को वसूल न करने से हुई हानि को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार वहन करगी। केन्द्रीय सरकार हानिका दो-तिहाई भाग वहन करेगी और राज्य सरकार एक-तिहाई भाग।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह प्राथमिक मूल्यांकन उन परिस्थितियों में किया गया जो पश्चिम बंगाल में 1964 में शरणार्थियों के अधिक संख्या में आने के बाद नहीं थी तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्तमान स्थिति के अनुरूप फिर से पुनर्मुल्यांकन किया है ?

डा० म० मो० दास : पिछले जुलाई में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार में हुए समझौते के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र को भुगतान के बारे में कोई और अभ्यावेदन नहीं दिया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : 1964-65 मे पूर्वी पाकिस्तान से कितने परिवार पश्चिम बंगाल में आये हैं और क्या उन परिवारों को प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण इस योजना से लाभ उठाने से वंचित रखा जायगा ?

डा० म० मो० दास : माननीय सदस्य इस बारे में एक पृथक प्रश्न की सूचना दें।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon. Minister has seen during his recent visit of Kashmir area that many refugees have come from border areas who were removed from there on account of war or fear; what special steps have been taken by the Government ...

Mr. Speaker : This question relates to West Bengal and not to Kashmir.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This has happened this side also and the Minister has seen that people have been evicted.

Mr. Speaker : The question is about West Bengal and not Kashmir.

डा० रानेन सेन : गत वर्ष कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल के एक बड़े नेता ने कहा था कि पुराने शरणार्थियों में से, जो जनवरी 1964 से पहले आये थे, 50 प्रतिशत से अधिक लोगों का उचित ढंग से पुर्नवास नहीं हुआ है। यदि यह ठीक है और देश में यह आम धारणा है—तो क्या अवशिष्ट समस्या के क्षेत्र को बढ़ाने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ताकि जिन लोगों का अभी तक पुनर्वास नहीं हो सका है, उन का उचित ढंग से पुनर्वास समय पर हो सके ?

डा० म० मो० दास : पश्चिम बंगाल में जिन शरणार्थियों का अभी तक पुनर्वास नहीं हो सका है, उन को फिर से बसाने के लिये 21.9 करोड़ रुपये की लागत की एक अवशिष्ट योजना है। यह योजना केवल पश्चिम बंगाल के लिये है और इस योजना का धन केवल उन शरणार्थियों के पुनर्वास पर खर्च किया जायेगा, जिन का अभीतक उचित ढंग से पूनर्वास नहीं हुआ है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक बार यह वर्तमान युद्ध समाप्त हो जाने पर पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल की सीमा फिर से खुल जाने पर नये शरणार्थियों की बड़ी संख्या में भारत आने की सम्भावना है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये क्या केन्द्रीय सरकार का पुनर्वास मन्त्रालय, जो अभी भूत काल की अवशिष्ट समस्याओं को हल करने लगा है, भविष्य में उत्पन्न होने वाली नई जिम्मेवारी को निभाने के लिये तैयार है ?

श्री म० मो० दास : यह तो परिकल्पित प्रश्न है। जब यह उत्पन्न होगा तब इस पर विचार किया जायेगा।

श्री ब० कु० दास : पहली अप्रैल 1964 से 31 जुलाई 1965 तक की अवधि के बीच जिस राशि को देने का फैसला हुआ था, उस की मंजूरी में बहुत धीमी प्रगति हुई है और पहले का भी बहुत धन बाकी है। क्या मैं इस धीमी प्रगति के कारण जान सकता हूं।

श्री म० मो० दास : 1-4-64 से 31-7-65 के बीच की अवधि में बहुत कम राशि मंजूर की गई है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच मतभेद के कारण ऐसा हुआ है। केन्द्रीय सरकार चाहती थी कि हानि में राज्य सरकार भी भागीदार हो। परन्तु राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। इसलिये उन के लिये कोई ऋण मंजूर नहीं किया जा सका। अब निर्णय यह हुआ है कि हानि का 1/3 भाग राज्य सरकार देगी और थोड़े समय में ही हम ने कुछ राशि मंजूर कर दी है।

लाइसेंस देने की प्रक्रिया

*774. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री कनकसबै :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
श्री दे० जी० नायक :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक तथा वाणिज्यिक लाइसेंस देने के लिये एक स्वतन्त्र प्राधिकार स्थापित करने की व्यवहारिकता पर विचार किया है ?

(ख) सम्पर्क स्थापित करने वाले व्यक्तियों के अधिकरण को, जो प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलाने वाले समझे जाते हैं, समाप्त करने के प्रश्न पर कहां तक विचार किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिये प्रत्येक व्यापार-संस्थान के केवल एक ही प्रतिनिधि को अनुमति दी जाये ; और

(घ) इस मामले में भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त करने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटलपर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4927/65** ।]

श्री प्र० चं० बरुआ : इस निकाय में व्यापार और उद्योग के किन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और इस के लिये सदस्यों को किन आधारों पर चुना जायेगा ? इस के गठन का ठीक ठीक ब्योरा क्या है ?

श्री हाथी : इस के गठन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । यह मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस बात के लिये क्या संरक्षण रखे गये हैं कि यह स्वतंत्र निकाय उचित ढंग से कार्य करे और लाईसेंस गुणावगुण के ही आधार दिये जायें और भ्रष्टाचार या पक्षपात के आधार पर नहीं ।

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा विषय अभी प्रारंभिक अवस्था में है । निकाय के संघठन और कार्य के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : सरकार ने यह आदेश किन कारणों के आधार पर दिये हैं कि महानिदेशक संभरण तथा उत्सर्जन, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालयों के लिये प्रत्यायन को आवश्यक नहीं समझा जाता है ?

श्री हाथी : यह इस लिये किया गया है कि इन लोगों को क्य अधिकारियों से सम्पर्क रखना पड़ता है । अकसर उन को अधिकारियों से मिलने के लिये आना पड़ता है और इस उद्देश्य के लिये हमने एक 'सैल' बना रखा है और वे लोग पहले वहां ही आते हैं । जब कोई अधिकारी यह कहता है कि उस को बातचीत के लिये बुलाया गया है तभी उस को संबंधित अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी जाती है । फिर भी बातचीत के लिये उन को आना पड़ता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं सरकार से जान सकती हूं कि इस समय कितने ऐसे अभिकरण हैं जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया की निगरानी रखते हैं, और सरकार किसी दूसरे अभिकरण के द्वारा किस प्रकार इन अभिकरणों के कार्य का समन्वय करती है ?

श्री हाथी : यही तो वास्तविक प्रश्न है । वहां कई प्राधिकार और अभिकरण हैं जो लाइसेंस देते हैं, चाहे लाइसेंस औद्योगिक हो अथवा दूसरे कार्यों के लिये । हमने एक प्रश्नावलि, जिस में यह पूछा गया है कि क्या एक स्वतंत्र निकाय या न्यायिक निकाय बनाना सम्भव होगा । अथवा व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों का निकाय बनाया जाये और इस का स्वरूप क्या हो और वर्तमान प्रणाली क्या है आदि, राज्य सरकारों को भेजी हैं, केन्द्रीय सरकार को नहीं, क्योंकि हमारे पास सब सूचना उपलब्ध है, और इस सूचना के प्राप्त हो जाने पर हम कोई निर्णय करेंगे । संसद सदस्यों की समिति बनाने के संबंध में गृह-कार्य मंत्री ने कुछ संसद सदस्यों से भी मुलाकात की हैं । अभी यह प्रश्न बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण से पता लगता है कि सम्पर्क स्थापित कराने वाले पुरुषों तथा स्त्रियों की एक सूची तैयार की गई है और कि उन के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही विचाराधीन है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सम्पर्क स्थापित करने वाले ये पुरुष और नारियां अधिकारियों को उन के कार्यालयों में ही नहीं मिलते अपितु दूसरे सामाजिक समारोहों में भी मिलते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इन के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार है और इस बात के लिये सरकार ने क्या कसौटी रखी है कि कौन लोग वांछनीय हैं और कौन अवांछनीय ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं। वे केवल अधिकारियों से ही नहीं मिलते, अपितु और भी कई तरीके अपनाते हैं। इन सब बातों की जांच की जा रही है। वास्तव में केन्द्रीय जांच विभाग ने उन लोगों की एक सूची तैयार की है, जो ऐसे कार्य करते हैं काली सूची प्रकाशित करने से पहले हमें इस बारे में निश्चित सूचना प्राप्त करनी है।

दूसरी बात यह है कि किसी एक विशिष्ट मंत्रालय या कार्यालय में ही ऐसा नहीं होता परंतु यह तो सारी दिल्ली में ही प्रचलित है। वे अधिकारियों और दल के दूसरे लोगों से पार्टियों में सम्पर्क बनाने की कोशिश करते हैं। इसी लिये यह सूची तैयार की जा रही है।

श्री रंगा : सारा मामला ऐसी अनिश्चित स्थिति में दिखाई देता है कि किसी प्रकार के निर्णय अथवा निदेश के स्थान पर केवल बातें ही अधिक की जाती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये, कि राष्ट्रपति ने भी मद्रास में अपने एक भाषण में इस विशिष्ट समस्या की ओर संकेत किया था, क्या हमें यह समझना चाहिये कि सरकार ने सिद्धान्तरूप में भी एक स्वतंत्र प्राधिकार नियुक्त करने का निर्णय नहीं किया है जो औद्योगिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी लाइसेंस देने का प्रभारी हो ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नंदा) : इस में सिद्धान्त की कोई बात नहीं है। मैं ने स्वयं एक स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक निकाय की आवश्यकता को अनुभव किया है जो इन बातों को हल करे। इसके अनौपचारिक सलाहकार समिति की उप-समिति ने और कुछ संसद सदस्यों के साथ स्वयं मैंने इस विषय पर पूरी तरह विचार किया है। मेरा मत है कि यह केवल एक सिद्धान्त का ही प्रश्न नहीं है, अपितु इस के कुछ व्यावहारिक पहलू भी हैं। इन पर बड़े सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री रंगा : जब सिद्धान्तरूप से इस पर फैसला हो जायेगा तभी इस के व्यावहारिक पहलू सामने आयेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सिद्धान्त रूप में इस पर कोई निर्णय कर लिया है। कठिनाइयों पर तो बाद में भी विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : उनका मत यही है।

Shri Yashpal Singh : I want to know the number of industrialists who have sent more than one representatives, and when they will be removed.

श्री हाथी : हम सूची तैयार करवा रहे हैं।

Shri R. S. Pandey : The Santhanam Committee had expressed the view that corruption was encouraged by the contactmen and its main reason is delay in the work. What constructive and effective steps do the Government propose to take in eliminating its causes ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य एक प्रकार से ठीक कह रहे हैं। यदि लोगों से सम्बन्ध रखने वाले कार्य में विलम्ब न हो तो भ्रष्टाचार बहुत हद तक समाप्त हो जायेगा। जिन चार विभागों में उद्योग-पतियों तथा सामान्य जनता का कार्य होता है उन के लिये हमने समूचे मामले पर विचार करने तथा उनके कार्य में सुधार लाने के बारे में सुझाव देने के लिये अध्ययन दल नियुक्त किये हैं। दो दलों की

रिपोर्टें हमें मिल चुकी हैं। एक तो श्री माथुर की है जो सम्भरण तथा तकनीकी विभाग के बारे में है और दूसरी आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के बारे में है । हमने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है ।

Shri Madhu Limaye : Have the Government, with a view to remove the main cause of corruption, thought over the suggestion not granting licences to the near relatives *i.e.* brothers, cousins and sons of Ministers, high officers like secretaries etc. in future ?

श्री हाथी : हो सकता है ऐसी बात हो, क्योंकि आप किसी को बिल्कुल बरी नहीं कर सकते। इस सिद्धान्त को माना जा सकता है कि पक्षपात अथवा भाई-भतीजावाद नही होना चाहिये। परन्तु कोई व्यक्ति किसी का भाई या सम्बन्धी है केवल इसी कारण उसे वंचित नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा सामन्य नियम नहीं बनाया जा सकता ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार उन अवांछनीय सम्पर्कजनों की सूची छापेगी उन की सुनवाई करने के पश्चात, ताकि संसद सदस्य तथा अन्य अधिकारी उन से सचेत रहें ? दूसरी बात यह है कि क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्री ने इस प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की है कि लाइसेंस देने के लिये एक स्वतंत्र अभिकरण स्थापित किया जाना चाहिए ?

श्री हाथी : दोनों प्रश्न एक ढंग से पृथक पृथक हैं। पहला प्रश्न अवांछनीय सम्पर्क जनों के बारे में है। जैसा मैं ने पहले बताया है, जब तक छानबीन पूरी न हो जाये और पूरी जानकारी प्राप्त न हो जाये ऐसी सूची छापना उचित नहीं होगा। इस समय हम ऐसे व्यक्तियों पर निगरानी रख रहे हैं। परंतु हम इस सूची को उस समय तक नहीं छापेंगे जब तक कि हमारे पास आरोपों के बारे में निश्चित जानकारी न हो ।

श्री हरि विष्णु कामत : अगले सत्र में ।

श्री हाथी : दूसरे प्रश्न के बारे में गृह-कार्य मंत्री ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं।

Shri Bagri : Blood relation between the trade and the Government is the main cause of corruption in trade and industry. In order to root out corruption in States like Orissa and Punjab, where father is Chief Minister and son or wife is running business what measures have been adopted to check that sort of thing ? I want to know the nature of steps taken to inquire into the licences granted to such person.

श्री नन्दा : किन्हीं व्यक्तियों के नाम लेना और उन पर किसी प्रकार के आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। यदि किसी सौदे या नियुक्ति के बारे में कोई गड़बड़ी हुई हो तो हमें अवश्य उस को दूर करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने कहा है कि वहां कोई अन्य .....

श्री नन्दा : मैं समजता हूं कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री रंगा : ये बातें तो यहां सिद्ध हो चुकी हैं। जो बात श्री बागड़ी ने कही है वह सिद्ध हो चुकी है और सरकार भी उसे स्वीकार कर चुकी है, दास आयोग तथा मंत्रिमंडल की उपसमिति की रिपोर्ट के पश्चात। अतः अब इसमें आरोप की कोई बात नहीं है।

Shri Bagri : The hon. Minister has not answered my question and has simply said that I was casting reflection. This should not be the way of answering. I had asked whether an enquiry has been instituted and what steps were being taken. No reply has been given.

श्री नन्दा : मैंने समझा था कि माननीय सदस्य वर्तमान मुख्य मंत्री का नाम ले रहे हैं, परंतु अब मैं समजता हूं कि वह भूतपूर्व मुख्य मंत्री की बात कह रहे थे ।

ऐसी बातों पर निश्चय ही कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता होती है और हमें देखना चाहिये कि ऐसे खराब काम नहीं होने चाहिये । हम हर संभव तरीके से ध्यान रखेंगे ।

Shri Bagri : He said he would personally look into it. I had asked whether any measures have been adopted or rules framed to stop this kind of thing ? He has said that he would do. I have never said that he does not do or his department does not do. I want to know the names of the rules framed for the purpose of checking such malpractices.

Mr. Speaker : Rules cannot be asked here. They can be read in books.

Shri Bagri : Nothing is written in regard to relatives in books.

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि सरकार ने राज्य सरकारों को प्रश्नावली भेजी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि स्वयं राज्य सरकारों ने दिल्ली में इस प्रकार सम्पर्क स्थापित करने वाले पुरुष और स्त्रियां छोड़ रखी हैं, जो मंत्रियों तथा अधिकारियों पर प्रभाव डालती हैं और उन्हे सम्मानपूर्वक सम्पर्क अधिकारी के नाम से पुकारा जाता है; यदि हां, तो सरकार ने इन सम्पर्क अधिकारियों अथवा मंत्रियों एवं अधिकारियों पर उन के प्रभाव को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : यह सच है कि कुछ राज्यों ने सम्पर्क अधिकारी नियुक्त कर रखें हैं ।

श्री जी० भ० कृपालानी : सभी राज्यों के हैं ।

श्री हाथी : मुझे मालूम है कि मेरे राज्य से कोई सम्पर्क अधिकारी नहीं है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मेरे राज्य से भी नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : परन्तु माननीय मंत्री स्वयं तो हैं ।

श्री हाथी : यह प्रश्न अवांछनीय सम्पर्कजनों के बारे में है, जिन से हमें सचेत रहना है । इसका अर्थ यह नहीं है कि उद्योगों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि भी नहीं रहने दिये जायेंगे । उद्योगों को ऐसे व्यक्तियों के बारे में सूचना देनी होगी ताकि हमारे अधिकारी उस व्यक्ति से व्यवहार कर सकें । यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उस व्यक्ति को ही पकड़ा जा सकेगा, न कि हर किसी को । इस प्रश्न का क्षेत्र यहीं तक है ।

श्री हेम बरुआ : एक औचित्य प्रश्न है । माननीय मंत्री ने उत्तर में कुछ सम्पर्कजनों को अवांछनीय कहा है । जिसका अर्थ यह हुआ कि कुछ सम्पर्क जन वांछनीय हैं । इस बारे में क्या वह बतायेंगे कि वांछनीयता की कसौटी क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह नियमों में कहीं नहीं दी गई ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी हैं कि कुछ प्रभावशाली और धनवान फर्में सम्पर्कजन या सम्पर्क-महिला तथा "कालगर्ल" लड़कियां रखने के स्थान पर साधुओं से ऐसे कामों में सहायता ले रहे हैं ?

श्री हाथी : साधु नहीं होते ।

Shri Sarjoo Pandey : I want to know whether some organisation would be set up in States for issuing licences and permits.

Mr. Speaker : It would be done by States.

Shri Sarjoo Pandey : They would not do anything of that kind.

श्री दाजी : उत्तर में बताया गया है कि प्रत्येक व्यापार-गृह का एक मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि होगा। क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि यह व्यक्ति सेवा से निवृत्त अधिकारी या किसी मंत्री का निकट सम्बन्धी नहीं होना चाहिये क्योंकि वे लोग निर्णय को भ्रष्ट कराने के लिये प्रभाव डाल सकते हैं ?

श्री हाथी : प्रतिनिधियों को मान्यता देते समय इस बात पर भी विचार किया जायेगा।

Security Arrangements for Sheikh Abdullah

+

*775. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bade : **Shri Bagri :**
Shri Brij Raj Singh : **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri Basappa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sheikh Abdullah has requested Government that the Security Officer posted by them should not be further retained at his place since his presence disturbs the talks between him and the visitors coming to meet him; and

(b) if so, whether Government propose to accede to the said request ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the amount being spent on keeping Sheikh Abdullah in Jail as also the amount spent on his family ?

Shri Hathi : The figures are not with me. I can, however, give the information on prior notice.

Mr. Speaker : He had asked about the Security Officer.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I can understand if permission is granted to his family members to see him but foreign correspondents are also being allowed to see him. I want to know what arrangement has been made by the Government in this regard ?

Shri Hathi : None including foreign correspondents is allowed to see him without permission.

श्री बासप्पा : क्या उनसे मिलने के इच्छुक व्यक्तियों के पूर्व चरित्र आदि के संबंध में उचित जांच की जाती है ? यदि हां तो क्या किसी अवांछनीय व्यक्ति ने उनसे मिलने की अर्जी दी है ?

श्री हाथी : अधिकारी आज्ञा देने से पूर्व इन सब बातों की जांच करते हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know whether the Government propose to remove Sheikh Abdullah from the palace and keep him somewhere else like any other political prisoner.

श्री हाथी : उन्हे उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह वह इस समय हैं।

Shri Bagri : Have the Government come to a conclusion that Sheikh Abdullah's arrest has been beneficial in the interest of security of the State, and if so, whether they are considering to take any further steps ?

श्री हाथी : सरकार जब यह देखती है कि किसी व्यक्ति की बाहर रहकर गतिविधियां अवांछनीय हैं तो उस को नजर बन्द कर देती है। यदि सरकार अनुभव करेगी कि अन्य व्यक्तियों को भी नजर-बन्द किया जाना चाहिये तो वह ऐसा ही करेगी।

Shri Bagri : My question was that now you have gained experience from Kashmir, otherwise you have been arresting people, but in view of the Kashmir experience I want to know whether Sheikh Abdullah's arrest has been beneficial for the security of Kashmir, because he was arrested earlier and the crisis has come now. My question regarding this experience gained may be answered.

Mr. Speaker : Whether his arrest has been beneficial or not would be a matter of opinion.

श्री हाथी : यह सच है कि अब तक उन्हें नज़रबन्द रखा गया है, क्योंकि ऐसा करना आवश्यक है अन्यथा उन्हें नज़रबन्द न किया जाता।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : उन्हें ऐसे ही अज्ञात जीवन व्यतीत करने दिया जाए। अब उनके बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I had asked how the foreign correspondent had managed to see him ?

Mr. Speaker : He has already answered this question.

पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा

*776. **श्री च० कां० भट्टाचार्य :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने नियमित सेनाओं की सहायता से पश्चिम बंगाल के बशीरहाट सब-डिविजन में "कुमार खाली खाल" पर, जो कि भारतीय राज्य-क्षेत्र के अन्दर है, कब्जा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अवैध रूप से काबू की गई भूमि को खाली करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री च० कां० भट्टाचार्य : इस प्रश्न के तीन भाग हैं पहला रिपोर्ट के बारे में, दुसरा पाकिस्तानी कब्ज के बारे में और तीसरा उस क्षेत्र के बारे में है जो पश्चिमी बंगाल का है। माननीय मंत्री ने केवल एक 'जी नहीं' कहकर ही उत्तर दे दिया है। क्या यह 'जी नहीं' प्रश्न के तीनों अंगो के बारे में है अथवा किसी एक के बारे में ? मैं चाहता हूं कि वह स्पष्ट उत्तर दें।

श्री हाथी : आप का प्रश्न इस प्रकार है :

"क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने नियमित सेनाओं की सहायता से पश्चिम बंगाल के बशीरहाट सब-डिविजन के कुमार खाली खाल पर, जो कि भारतीय राज्यक्षेत्र के अन्दर है, कब्जा कर लिया है ?"

अध्यक्ष महोदय : उत्तर 'नहीं' दिया गया है। वह पुछते है कि क्या इसका अर्थ यह है कि उनका ध्यान इस समाचार की ओर नहीं दिलाया गया है अथवा पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने उस क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है अथवा वह क्षेत्र भारतीय राज्यक्षेत्र में नहीं है।

श्री हाथी : दोनों का उत्तर 'नहीं' है। न तो ध्यान दिलाया गया है और न ही यह समाचार ठीक है।

श्री च० कां० भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या पाकिस्तान ने बशीरहाट क्षेत्र में अथवा उस स्थान के निकट किसी क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयत्न किया है जिसका उल्लेख मूल प्रश्न किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : अब वह यह पूछ कर, कि क्या उस क्षेत्र के आस पास कहीं कब्जा करने का प्रयत्न किया गया है, मूल प्रश्न से दूर जा रहे हैं।

श्री च० कां० भट्टाचार्य जी नहीं, मैं ने एक विशिष्ट मामले का उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : उसके उत्तर में उन्होंने 'नहीं' कहा है। यदि उन्होंने कोई और प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं।

श्री च० कां० भट्टाचार्य : प्रश्न नहर विशेष के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री च० कां० भट्टाचार्य : जी नहीं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान ने पश्चिम बंगाल में हमारे क्षेत्र में प्रवेश करके नहर के इस ओर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयत्न किया है।

श्री हाथी : जी नहीं। उनके इस ओर आने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माननीय सदस्य कहना यह चाहते हैं कि यह नहर यातायात के लिये प्रयोग में लाई जाती है और कभी कभी वे हमारे परिवहन को रोकते थ। यही बात है, परन्तु यह किसी भूमि के अधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री प्र० र० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाया है, जहां पाकिस्तानियों ने धावा किया है ?

श्री हाथी : प्रश्न तो नहर से ही संबंधित है, न कि उसके आस पास के क्षेत्र से।

श्री स० चं० सामन्त : क्या परिवहन के प्रश्न के साथ ही मछली पकड़ने के अधिकारों का प्रश्न भी अन्तर्गस्त है ?

श्री हाथी : जहां तक मुझे ज्ञात है, प्रश्न परिवहन के लिये इस नहर के प्रयोग का है।

पेट्रो-रसायन उत्पादन

*777. **श्री हडा** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पेट्रो-रसायन उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) वर्तमान उद्योगों, उनके विस्तार तथा नये उद्योगों द्वारा क्रमश: कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जायेगा; और

(ग) बाद की दो श्रेणियों, अर्थात् विस्तार और नवीन उद्योगों पर कुल कितनी पूंजी लगाई जायेगी तथा उस में विदेशी मुद्रा कितनी होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : 21,500 करोड़ रुपये की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आकार के निर्धारण और इसे रक्षा-अभिस्थापित करने के वर्तमान फैसलों को दृष्टि में रखते हुये उक्त योजना के लिये पैट्रो-रसायन उत्पादनों के अन्तिम लक्ष्यों का आंकन किया जा रहा है। चौथी योजना में पैट्रो-रसायनों के लिये अस्थायी तौर पर 121 करोड़ रुपये की कुल पूंजी निश्चित की गई है 9 जिसमें 56.3 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा अंश है।

श्री हेडा : माननीय मंत्री गत कई वर्षों से पेट्रो-रसायन उद्योग की प्रशंसा कर रहे हैं और इतना अधिक समय बीत जाने पर भी सरकारने क्यों कोई ठोस परियोजना हाथ में नहीं ली है और केवल झूठी आशाएं ही क्यों दिलाई हैं ?

श्री अलगेसन : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि कोई झूठी आशा नहीं दिलाई गई और जो कुछ भी कहा जाता रहा है वह सब व्यावहारिक है। नि:संदेह मंत्री महोदय ने इस उद्योग की सम्भाव्यताओं और क्षमता का उल्लेख किया होगा। योजना आयोग द्वारा 121 करोड़ रुपये इस उद्योग के लिये निर्धारित किया जाना इस बात का प्रतिक है कि हम इस उद्योग को कितना महत्व देते है और क्या कुछ कर रहे हैं।

श्री हेडा : क्या इन उद्योगों के लिये निर्धारित राशि में से विभिन्न प्रयोजनों के लिये निश्चित की गई राशि का ब्योरा तैयार कर लिया गया है और यह राशि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में किस प्रकार विभक्त की गई है ?

श्री अलगेसन : इसका निश्चय भी कर लिया गया है और अस्थायी तौर पर 46 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र को और 75 करोड़ रुपये गैर-सरकारी क्षेत्र को देने तय हुए हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : तीसरी पंच-वर्षीय योजना में पेट्रो-रसायन उद्योगों का कौन सा पहलू आरम्भ किया गया है और इसका कितना लक्ष्य प्राप्त होगा और चौथी पंच-वर्षीय योजना में कौनसा कार्य हाथ में लिया जाएगा ?

श्री अलगेसन : एक कार्यकारी दल ने इस मामले में बहुत विस्तारपूर्वक विचार किया है और इस ने विभिन्न पट्रो-रसायन उत्पादों के लक्ष्य निर्धारित किये हैं, जिन्हें मोटे तौर पर योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : चौथी योजना के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ?

श्री अलगेसन : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिये। कार्यकारी दल के प्रतिवेदन में विभिन्न उत्पादों तथा उनकी मात्रा संबंधो अध्ययन का उल्लेख है, जिसका कुछ अनुमान मैं दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब वह कह चुके हैं कि उन्हें पूर्व सूचना चाहिये तो यह सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अलगेसन : मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या पेट्रो-रसायन उद्योगों के कार्यक्रम को इकट्ठा करने तथा इसमें समन्वय लाने के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है ? यदि हां, तो इस उद्योग में प्रयुक्त की जाने वाली मशीनों और कच्चे माल में देशी मशीनों और कच्चे माल का क्या अनुपात होगा ?

श्री अलगेसन : इस समय तो मेरे लिये इसका उत्तर देना सम्भव न होगा । जैसा ही विशिष्ट उद्योग हाथ में लिये जाएंगे, तभी ब्योर वार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का समय आएगा ।

श्री पु० र० पटेल : गुजरात में तेल शोधन शाला शीघ्र ही कार्य करने लगेगी । मैं जानना चाहता हूं कि वहां सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पेट्रो-रसायन उद्योग स्थापित करने के क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री अलगेसन : इसका उत्तर मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में ही दे दिया था । तीन पार्टियों ने हमारे साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है और हम उन से विभिन्न पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या 121 करोड़ रुपये के इस अस्थायी नियतन में बरौनी का पेट्रो-रसायन उद्योग भी शामिल हैं ?

श्री अलगेसन : अवश्य ही बरौनी में भी कुछ परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और इस राशि में वे भी शामिल है ।

डा० रानेन सेन : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि 44 करोड़ सरकारी क्षेत्र और 77 करोड़ रुपये गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये रखे गये हैं । इस के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का कितना प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र को दिया जाएगा ?

श्री अलगेसन : मैंने अपने उत्तर में विदेशी मुद्रा के बारे में भी संकेत किया था । गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के लिये अलग अलग राशि के ब्योरे अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the target fixed in this plan for the exploration of petrol struck at Jaiselmer in Rajasthan during a survey conducted there.

Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir) : The work there is still in progress; therefore nothing can be said about it.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि असम राज्य को कोई पेट्रो-रसायन उद्योग न देने के क्या कारण हैं, जबकि वहां प्रतिदिन 5 करोड़ घन फुट से अधिक प्राकृतिक गैस निकलती है ?

श्री हुमायून कबिर : असम को वंचित नहीं रखा गया । वास्तव में एक समय हमने वहां एक पेट्रो रसायन उद्योग के लिये लाइसेंस भी जारी किया था । परन्तु वह पूरा नहीं हुआ । अब भी वहा की कुछ प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिये अध्ययन किया जा रहा है ।

श्री शिवा राव शं० देशमुख : क्या सरकार संसद तथा राष्ट्र को यह आश्वासन दे सकती है कि यदि तेल भेजना बन्द कर दिया गया तो हम उन अत्यावश्यक सेवाओं और संयंत्रों को चालू रख सकेंगे जिन्हें तैल तथा तेल उत्पादों की आवश्यकता होती है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में कोई भी आश्वासन नहीं मांगा जा सकता ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जहां तक पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिये निर्धारित राशि के व्यय का संबंध है, क्या सरकार ने तीसरी योजना की बकाया राशि को भी ध्यान में रखा है, और यदि हां, तो चौथी योजना में स्थिति क्या है ?

श्री अलगेसन : कोई भी राशि बकाया नहीं है। वास्तव में तीसरी योजना तैयार करते समय इसके लिये धन निर्धारित ही नहीं किया गया था, परन्तु फिर भी हमने गैर-सरकारी क्षेत्र में कई बड़े बड़े पेट्रो-रसायन एककों को लाइसेंस दिये है।

उर्वरक कारखाना, मंगलौर

+

*778. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बासप्पा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई प्रगति की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : मंगलौर में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। फर्टीलाइज़र और कैमीकल्ज ट्रावनकोर लि० को एक सम्भाव्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि सरकार द्वारा केरल की फर्म को संभाव्यता संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहे जाने से पूर्व, उसे विदेशी सहयोग के लिये कई पेशकश प्राप्त हुए थे, जिन्हे बाद में अस्वीकार कर दिया गया ? यदि हां, तो इन को अस्वीकार करने के क्या कारण थे ?

श्री अलगेसन : जी नहीं। परन्तु दूसरी ओर स्थिति यह है कि जिन पार्टियों को लाइसेंस अथवा इच्छा पत्र दिये गये थे उन्हों ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई और उन्हें सहयोगी नहीं मिल सके। इसलिये काफी समय तक हमें प्रतीक्षा करने पर भी कोई सहयोगी नहीं मिला। ऐसा एक भी अवसर नहीं आया जब हमें पेशकश मिली हो और हमने इसे ठुकरा दिया गया हो।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस परियोजना पर कुल कितना खर्च आएगा ?

श्री अलगेसन : अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मंगलौर अथवा मैसूर राज्य में कच्चे माल की उपलब्धि के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री अलगेसन : यदि यह उर्वरक कारखाना स्थापित हो गया तो यह उस "नाफ्था" पर आधारित होगा, जो हमें कोचीन शोधन शाला से प्राप्त होगा।

श्री बासप्पा : क्या मैसूर सरकार ने मंगलौर में उर्वरक कारखाना स्थापित करने में सभी आवश्यक सुविधायें देने की पेशकश की है ; यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्री अलगेसन : मैसूर सरकार वहां एक कारखाना लगाने को बहुत उत्सुक है और सभी सुविधायें देने को तैयार है, परन्तु कठिनाई यह है कि इस कार्य के लिये उन्होंने जिन पार्टियों की सिफारिश की है, वे तैयार नहीं है।

श्री बासप्पा : कितने ही सहयोगियों ने पेशकश की हैं।

श्री अलगेसन : आप उनके नाम मुझे दे दें, क्योंकि मेरी सूचना के अनुसार तो वहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है।

दिल्ली में अपराध

*779. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ-राज्य-क्षेत्र दिल्ली में पिछले छः महीनों के अपराधों सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता है दिल्ली में अपराधों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है; और

(ग) सरकार/प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : पिछले छः मास (31-8-65 तक) की अवधि में 1964 की इसी अवधि की तुलना में डकैतियों, हत्या, हत्या के प्रयत्न, डाके, सेंध लगाना, चोरी तथा भारतीय प्रक्रिया संहिता तथा स्थानीय विशेष कानूनों के अधीन विविध अपराधों के ऐसे मामलों की संख्या में जिनकी रिपोर्ट कराई गई कुछ वृद्धि हुई है।

(ग) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अपराध की घटनाओं को नियंत्रण में रखने के लिये किये गए उपाय।

(1) गुंडों तथा अन्य समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों को ज़बर्दस्त निगरानीद्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। समाज विरोधी तत्वों की गति विधियों पर नियंत्रण रखने के लिये बम्बई पुलिस अधिनियम, 1951 की कुछ धाराएं दिल्ली में भी लागू की गई हैं।

(2) गस्ती दस्ते बढ़ाये गए हैं।

(3) थानों के कर्मचारियों को सावधान रखने के लिये उच्च अधिकारियों द्वारा, जिनमें पुलिस के महानिरीक्षक तथा उप महानिरीक्षक भी शामिल हैं, अचानक निरीक्षण किये जाते हैं।

(4) दिल्ली पुलिस को अपराध शाखा में जांच के आधुनिक तरीकों में प्रशिक्षण का एक छोटा पाठ्यक्रम अभी हाल में संगठित किया गया है। अधीनस्थ कर्मचारियों में से उन ऊंचे अधिकारियों को जिन्हें जांच कार्य करना होता है, इस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

(5) उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म पर्यवेक्षण तथा निदेशन का इंतजाम करने के लिये उप महानिरीक्षक पुलिस का एक द्वितीय पद बनाया गया है।

(6) एक अपराध विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना पर गंम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार बता सकती है कि दिल्ली में अपराधों की संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है, और उस के कारण क्या है ?

श्री ल० ना० मिश्र : गतवर्ष अथवा वर्ष 1963 की अपेक्षा इस वर्ष दिल्ली में अपराधों की संख्या में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है। मैं इस वर्ष के तथा गत वर्ष की इसी अवधि के कुछ आंकडे प्रस्तुत करता हूं :

	1964	1965
डकैती	शून्य	1
हत्या	38	41
लूट	34	36
दंगे	43	43
चोरी	813	853
विविध	2419	2597

इससे यह न समझना चाहिये कि अपराधों में वृद्धि हुई है। परन्तु बात यह है कि हम ने अपराध पंजीयन अभियान चलाया है, जिसके अन्तर्गत अपराधों के पंजीयन का लगातार प्रयास हो रहा है। इसी कारण संख्या में कुछ वृद्धि हुई है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार बता सकती है कि नये प्रकार के अपराध जन्म ले रहे हैं और अपराध के लिये नये ढंग अपनाए जाते हैं और जांच के तरीकों में वैज्ञानिक ढंग का अभाव है, और इसी कारण अपराधी पकड़ने और उन्हें दण्ड देने में इतनी सफलता नहीं मिलती।

श्री ल० ना० मिश्र : माननीय सदस्य की धारणा ठीक नहीं है। उन्हों ने देखा होगा कि हम जांच के तरीकों को भी सुधार रहे हैं। हमारे विचार से अपराध करने का कोई नया तरीका नहीं अपनाया जाता।

Shri Bagri : May I know whether this is not one of the reasons for the increase in the incidence of crime in Delhi, that the executive officers of Delhi have been posted here for quite a long time and they have become so much stereotyped in the Government machinery that they cannot discharge their duties properly?

Shri L. N. Mishra : The contention of the hon. Member is not correct. Our officers here are doing their work quite efficiently. They are stout and work well. If the hon. Member compares the crime situation with that of other cities, he will find that condition in Delhi is far better.

Shri Bagri : It is not good, look to transport.....

अल्प सूचना प्रश्न संख्या
SHORT NOTICE QUESTION

पेट्रोल तथा मोटर के अन्य तेलों की राशन-व्यवस्था

अ० सू०प्र० 8. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असैनिक उपयोग के लिये पेट्रोल और मोटार के अन्य तेलों का, जिन की सशस्त्र सेनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, राशन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) से (ग) : यह सुनिश्चित करने के लिये कि रक्षा सेवाओं के लिये पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, सरकार हर कदम उठायेगी जिसमें यदि आवश्यकता हुई तो राशनिंग भी शामिल है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या समाचार पत्रों की यह खबर ठीक है कि ईरान की सरकार न भारत को तेल देने के सम्बन्ध में रोक लगा दी है ? इस सम्बन्ध में चाहे कुछ भी स्थिति क्यों न हो क्या मंत्री महोदय स्पष्टतया तथा दृढ़तापूर्वक यह बता सकते हैं कि कुछ विदेशों तथा भारत में चल रहीं कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा डाले जाने वाले दबाव के बावजूद भी तेल के अभाव के कारण भारत की युद्ध सम्बन्धी कार्यवाही में कोई बाधा नहीं पड़ेगी; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

श्री हुमायुन कबिर : मेरे माननीय मित्र ने कुछ समाचार पढ़े हैं परन्तु उन्होंने यह समाचार नहीं पढ़ा है कि ईरान के राजदूत ने इस समाचार को बिल्कुल निराधार बताया है। जहां तक प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है हमने पहले ही कहा है कि ऐसे उपाय किये गये हैं कि तेल का अभाव न हो।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्रिगण अपनी यात्राओं की संख्या कम करके तथा अपनी कारों का न्यूनतम प्रयोग करके और प्रत्येक मंत्री द्वारा पृथक कार का प्रयोग किये जाने के बजाये दफ्तर जाने तथा घर वापस आने के लिये तीन-तीन, चार-चार मंत्रिगण एक ही कार का प्रयोग करके देश के सामने आदर्श प्रस्तुत करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है।

श्री हरि विष्णु कामत : नहीं, श्रीमान्; क्या मैं जान सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है और वे इसपर विचार करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वे ऐसा करेंगे ? मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि यह सुझाव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है ताकि वे इसपर अमल करें।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने सुझाव नहीं दिया है। मैंने पूछा है कि क्या वे ऐसा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल एक सुझाव है (**अन्तर्बाधा**)।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने कहा है कि तेल की कमी के कारण हमारी प्रतिरक्षा सेवाओ को कोई हानि नहीं होगी। क्या इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिय भी पर्याप्त कार्यवाही की गई है कि साधारण उपभोक्ता को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा सके क्योंकि इस समय भी दिल्ली जैसे स्थानों में तेल का टिन तो मिल जाता है परन्तु बोतल नहीं मिलती; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हुमायुन कबिर : कुछ दिन पूर्व इस पर विस्तार के साथ चर्चा हुई थी।

श्री स० मो० बनर्जी : चर्चा किये जाने के बाद कीमतें बढ़ गई हैं।

श्री हुमायन कबिर : स्थिति इस प्रकार है कि दिल्ली में इस समय पिछले दिनों की तुलना में तेल का अधिक सम्भरण किया जा रहा है और आज भी दिल्ली के नागरिक सम्भरण विभाग ने यह बयान दिया है कि तेल उपलब्ध किया गया है। फिर भी यदि आवश्यकता हुई तो कुछ और उपाय किये जायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : कीमतों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

Shri Ram Sewak Yadav : The question is not as to whether the supplies are adequate or not; it is regarding increasing prices.

Mr. Speaker : How is it that the hon. Member asks the question while sitting.

Shri Ram Sevak Yadav : There is no other alternative because we are not allowed to put the question.

Mr. Speaker : He should have stood and sought permission.

Shri Ram Sevak Yadav : I stood up once but I could not catch the eye.

Mr. Speaker : Then the hon. Member should have stood up again.

Shri Ram Sevak Yadav : I tried again but you called the other hon. Member.

Mr. Speaker : It is not necessary that the hon. Member gets a chance to speak on every question. If he wants to put any question he should ask it while standing. I cannot allow the hon. Member to put a question while he is sitting.

Shri Bagri : If the Members do not get a chance to put a question even after standing up time and again how will they be able to draw attention to some particular matter ?

Mr. Speaker : But they cannot ask anything while sitting.

श्री हुमायुन कबिर : यह कहा गया था कि तेल की कमी नहीं है। निस्सन्देह कीमतें बढ़ गई है परन्तु इसका कारण हाल ही में लगाये गये शुल्क हैं जो उपभोक्ताओं से वसूल किये जायेंगे। मैं यह भी कहूंगा कि यदि स्थिति में किसी समय कुछ सुधार नहीं हुआ तो नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने वाले तेल की मात्रा कम करनी पड़ेगी। यह बात किसी विशेष स्थिति पर निर्भर करती है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : समाचार पत्रों में छपी खबर का ईरान के राजदूत द्वारा जो खण्डन किया गया है, उसपर मंत्री महोदय ने बहुत ज़ोर दिया है परन्तु इसके बावजूद भी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने हमारी सशस्त्र सेनाओं की, जो प्रायः युद्धरत हैं; तेल सम्बन्धी आवश्यकताओं की जांच की गई है; यदि हां, तो क्या वे उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं ?

श्री हुमायुन कबिर : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। उसकी आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा किया जायेगा।

श्री जोकिम आल्वा : माननीय मंत्री ने सभा को बताया है कि यदि आवश्यकता हुई तो पेट्रोल के सम्बन्ध में राशन-व्यवस्था की जायेगी। क्या उन्होंने कूपनों की अत्यधिक चोरबाज़ारी की ओर भी ध्यान दिया है ?

श्री हुमायुन कबिर : हमने राज्य सरकारों से आवश्यक उपाय करने के लिये कहा है। इस सम्बन्ध में जो उपाय आवश्यक होंगे, किये जायेंगे।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister had stated during the discussion on his statement that there are adequate supplies of kerosene oil. But we are getting reports from everywhere, *i.e.*, Indore and Bihar etc. that the kerosene oil was not made available to the rural and the poor people. I would like to know what steps have been taken by the Government in this connection.

श्री हुमायुन कबिर : मैंने इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया है। केन्द्रीय सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह राज्यों तक तेल पहुंचाये। उसके बाद तेल के वितरण की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है और केन्द्र की नहीं।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister stated that the kerosene oil would be rationed for the consumers. May I know the names of the persons who hoard kerosene oil and force the Government to introduce rationing ?

श्री हुमायुन कबिर : मैंने यह कहा है कि यदि प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें बढ़ जायेगी तो नागरिकों द्वारा किये जाने वाले तेल का उपयोग कम किया जायेगा। यह योजना के अनुसार ही किया जायेगा।

Shri Ram Sevak Yadav : The hon. Minister has stated that the Central Government supplies the oil and it is the responsibility of the State Governments to distribute the same. In this connection, I would like to know what influence is being put on the State Governments to check the rising prices of kerosene oil and whether any machinery is being set up for that purpose ?

श्री हुमायुन कबिर : इस सम्बन्ध में मिट्टी का तेल मूल्य नियंत्रण आदेश मौजूद है। हमने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि मिट्टी का तेल शहरों में राशन कार्डों अथवा चीनी के कार्डों द्वारा तथा ग्रामों में पंचायतों तथा सहकारी समितियों द्वारा वितरित किया जाये। परन्तु मैं यह फिर निवेदन करूंगा कि यह जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की नहीं, अपितु मुख्यतः राज्य सरकारों की है।

Shri Prakash Vir Shastri : During Emergency, the Central Government have taken over the rights of State Governments. How can the Central Government now disown this responsibility ?

श्री हुमायुन कबिर : स्पष्ट है कि मेरे माननीय मित्र संविधान को नहीं समझते । संविधान में राज्य सरकारों के लिये कुछ कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं और कुछ केन्द्रीय सरकार के लिये इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता ।

Shri Madhu Limaye : The hon. Member is asking about the period of Emergency.

श्री फ्रैंक एन्थनी : माननीय मंत्री ने बार-बार राज्य सरकारों के बारे में कहा है । क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में मिट्टी के तेल की बड़े पैमाने पर चोरबाज़ारी हो रही है और 10 रु० प्रति टिन के बजाये 25 रु० प्रति टिन के हिसाब से कितने ही टिन खरीदे जा सकते हैं ?

श्री हुमायुन कबिर : यहां भी स्थानीय सरकार की जिम्मेवारी आती है...... (**अंन्तर्बाधायें**) ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें तनिक भी जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने उत्तर को पूरा करने दिया जाये । माननीय मंत्री ।

श्री हुमायुन कबिर : मैं फिर यही बात दोहराता हूं कि यह दिल्ली प्रशासन की जिम्मेवारी है और दिल्ली के मुख्य आयुक्त तथा नागरिक सम्भरण विभाग ने खुले तौर पर यह कहा है कि उनके पास तेल की पर्याप्त मात्रा है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । उन्होंने कहा है कि यह दिल्ली प्रशासन की जिम्मेवारी है । क्या दिल्ली प्रशासन केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत नहीं है ? क्या इन दोनों सरकारों की एक ही जिम्मेवारी नहीं है ? दिल्ली प्रशासन तो केन्द्रीय प्रशासन का ही अंग है ।

Shri Madhu Limaye : On a point of order.

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order. You should not allow any Minister to absolve himself of the responsibilities of the officials working under him. All the Government officials in Delhi are under the Ministers. Such reply is very bad; I would like to listen this from you.

Mr. Speaker : Do the hon. Member want me to give a bad reply ?

Dr. Ram Manohar Lohia : I would like you to say that the Minister has given a very bad reply.

श्री० ना० मुकर्जी : माननीय मंत्री ने तेल के वितरण की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर डाल दी है । दिल्ली के सम्बन्ध में जब आपने उन्हें स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा तो उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रशासन ने अखबारों के लिये एक वक्तव्य जारी किया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब दिल्ली का प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया जाता है और माननीय मंत्री मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं, तो उन्हें इस बारे में स्पष्ट उत्तर देना चाहिये था कि इसमें केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी कितनी है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह स्पष्ट है कि इस मामले पर पहले भी चर्चा हो चुकी है । आपको याद होगा कि जब हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहिम सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री थे तो विस्तारपूर्वक इस मामले पर विचार किया गया था और कभी भी यह प्रश्न नहीं उठा, कि जिन लोगों को शक्ति दी जाती है

उनके कर्त्तव्य के बारे में उन प्राधिकारियों की जिम्मेवारी न हो, जो अपनी शक्ति प्रतिनियोजित कर देते हैं । दिल्ली प्रशासन को केन्द्रीय सरकार ने शक्ति प्रतिनियोजित की है और इस लिये मंत्री महोदय द्वारा यह दावा नहीं किया जा सकता है कि यह उनकी जिम्मेवारी नहीं है । परन्तु दिल्ली प्रशासन की जिम्मेवारी तो उनकी है । इस मामले पर निर्णय हों चुका है ।

श्री कपूर सिंह : मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार मंत्री महोदय ने अपनी ज़िम्मेवारी से मुह मोड़ लिया है, उसका यही अर्थ होता है कि वह ज़िम्मेवारी को दूसरों पर डालने के सिद्धांत पर चलना चाहते हैं और यह संविधान तथा सरकार के आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल है ।

श्री दी० चं० शर्मा : उन्होंने बहुत ही गलत अंग्रेज़ी का प्रयोग किया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने तथ्यों के सम्बन्ध में गलत कहा है अथवा व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत बोला है ?

श्री दी० चं० शर्मा : दोनों ही गलतियां हैं ।

श्री कपूर सिंह : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य ने क्या कहा है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मैं आरम्भ में ही यह कह दूं कि यह मामला इतना आसान नहीं है जितना मालूम होता है । मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह अध्यक्ष का काम नहीं है कि वह सभा में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दे अथवा यह कहे कि मंत्रियों के लिये क्या उत्तर ठीक होना चाहिये ; परन्तु पीठासीन व्यक्ति का निश्चय ही यह कर्त्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभा में पूछे गये प्रश्नों का पर्याप्त उत्तर दिया जाये । उदाहरणार्थ मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि युद्धकाल में तेल के तेजी से बढ़ती हुई खपत को ध्यान में रखकर क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं की तेल की आवश्यकता का अनुमान लगाया है । इसपर मंत्री महोदय ने कहा था कि इसका उत्तर दिया जा चुका है और फिर बिल्कुल थोड़ी देर बाद ही उन्होंने कहा कि यदि खपत बढ़ गई तो वह राशनिंग के बारे में विचार करेंगे । तो इससे स्पष्ट है कि उन्होंने कोई जांच नहीं की है ।

Shri Madhu Limaye : I would like to draw your attention to Article 353 of the Constitution. Just now the hon. Minister wanted to teach us something about Constitution. Delhi is directly governed by the Central Government. In so far as States are concerned, it has been clearly provided in Article 353 of the Constitution that during Emergency the Central Government have a right to issue directions to the State Governments. In these circumstances, if the Central Government is not prepared to issue directions regarding distribution of essential commodities to State Government, it clearly shows that the Emergency has no meaning and that the Central Government are not performing its duties properly.

Mr. Speaker : In so far as the directions are concerned, the Central Government may issue as and when it deems necessary. It is not necessary that it should take over the distribution also.

सभी प्रश्नों तथा व्यवस्था के प्रश्नों का सम्बन्ध इसी एक बात से है कि जब दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई किसी कार्यवाही के बारे में केन्द्रीय सरकार ज़िम्मेवारी लेने से किस तरह इनकार कर सकती है । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करें कि क्या वास्तव में अब भी वही स्थिति है । (**अन्तर्बाधा**) ।

शांति, शांति । कहीं कोई उपबन्ध हो सकता है ।

श्री नन्दा : श्रीमान्, दिल्ली जैसे केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के लिये अपनी ज़िम्मेवारी के प्रति हम जागरूक हैं और इसलिये हर प्रश्न का जवाब दिया जाता है । हो सकता है कि इस समय पर्याप्त सूचना उपलब्ध

न हो। यह भिन्न बात है। मेरे विचार में मेरे सहयोगी ने यह नहीं कहा कि वह ज़िम्मेवारीयों नहीं लेते परन्तु उन्होंने दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई घोषणा का उल्लेख किया है। हमारी ज़िम्मेवारीयों के प्रति हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : तब यह बात स्पष्ट है कि यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है। उन्हें उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो यहां अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण से सम्बन्ध रखते हैं। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, स्थिति यही है। अब जो उत्तर दिया गया है, वह यह है कि दिल्ली प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि उनके पास यह वस्तु बड़ी मात्रा में उपलब्ध है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या यह सच नहीं है कि तेल चोर बाज़ारी में मिल रहा है?

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। माननीय मंत्री ने कहा है कि शायद अभी इस सम्बन्ध में उन्हें सूचना नहीं मिली है।

अब मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वह सूचना एकत्रित करके तथ्य मालूम करें और उन बातों के बारे में उत्तर दें अथवा वह सभा-पटल पर एक विवरण रखें कि वास्तविक स्थिति क्या है।

श्री हरि विष्णु कामत : कब, श्रीमान्, आज अथवा कल?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री स० मो० बनर्जी।

श्री प्रिय गुप्त : इस आपतकालीन स्थिति के दौरान क्या देश के अन्य भागों में मिट्टी के तेल का वितरण.....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। श्री स० मो० बनर्जी।

श्री प्रिय गुप्त : आप कोई विनिर्णय नहीं दे रहे.....

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य बैठ जायें।

आयुध कारखानों में उत्पादन

अ० सू० प्र० 9. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में उत्पादन बढ़कर अधिकतम क्षमता तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक;

(ग) क्या प्रतिरक्षा कर्मचारियों और उनके संगठन अखिल भारत प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ (आल इंडिया डिफेन्स एम्पलाईज़ फेडरेशन) ने सरकार को बिना शर्त समर्थन देने का आश्वासन दिया है; और

(घ) क्या उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा कोष में एक दिन का वेतन देने का भी निश्चय किया है?

प्रतिरक्षा मत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) तथा (ख) : वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयुध कारखानों का उत्पादन अधिकतम कर दिया गया है। उत्पादन की बढ़ोतरी की मात्रा बताना जन-हित में न होगा।

(ग) तथा (घ) : जी हां। आल इण्डिया डिफेन्स कर्मचारी फेडेरेशन ने रक्षा प्रयत्नों में सरकार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है और उसने यह भी फैसला किया है कि उससे सम्बद्ध सभी यनियनों के सदस्य अक्तूबर 1965 में अपना एक दिन का वेतन राष्ट्रीय रक्षा कोष में दें।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब देश परम्परागत शस्त्रों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है ।

श्री अ० म० थामस : जहां तक शस्त्रों तथा गोलाबारूद का सम्बन्ध है हम निश्चय ही आत्मनिर्भर हो रहे है । हम बहुत कम आयात करते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या हमारे आयुध कारखानों में तैयार किये गये शस्त्र तथा गोलाबारूद पाकिस्तान के साथ हमारे संघर्ष के दौरान उन शस्त्रों से हज़ार गुना अच्छे सिद्ध हुए हैं जो पाकिस्तान को अमरीका द्वारा दिये गये थे ?

श्री अ० म० थामस : हमारे शस्त्रास्त्रों का प्रभावी होना सिद्ध हो चुका है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वर्तमान संघर्ष में उन शस्त्रों आदि के समान के सम्बन्ध में, जिन्हें हम अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों से आयात करते रहे हैं जो अनिश्चित स्थिति पैदा हो गई थी, उसे दृष्टिगत रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार आयुध कारखानों में ऐसी मदों का उत्पादन बढ़ाने के लिये, जिनका हम आज तक आयात करते रहे हैं, समयानुसार कोई कदम उठा रही है ?

श्री अ० म० थामस : हमने अपनी आवश्यकताओं का दोबारा अनुमान लगाया है और उचित उपाय किये जा रहे हैं ।

Shri Bagri : May I know who is the President of this federation ?

श्री अ० म० थामस : श्री स० मो० बनर्जी ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the private industrialists have offered their factories for the purposes of defence production; and if so, whether the Government propose to utilise some of those factories for the purpose ?

श्री अ० म० थामस : हमारे पास वास्तव में ऐसे प्रस्ताव लगातार आ रहे हैं; हम उन पर विचार कर रहे हैं और उन्हें उचित ढंग से सुचना दे रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दण्डकारण्य कृषि-पुनर्वास योजना

*780. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य कृषि-पुनर्वास योजना प्रशासनिक त्रुटियों के कारण असफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वे त्रुटियाँ क्या हैं; और

(ग) उनको दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) जी नहीं । पिछले निर्माण काल में बसाये गये 2362 परिवारों को मिलाकर, 30 जून, 1965 तक 9868 परिवार दण्डकारण्य में बसाये जा चुके हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

अनिवार्य सेवा-निवृत्ति

*781. **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों की सूची रखती है, जो बदनाम हैं;

(ख) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के बजाये उनको अनिवार्यतः सेवा मुक्त करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो 1-8-1965 को ऐसे व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या क्या थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : फिलहाल ऐसा कोई आम प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मौजूदा नियमों के अनुसार सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी अधिकारी के 30 वर्ष की अर्हता दायक सेवा पूरी कर लेने या 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उससे किसी भी समय तीन महीने का नोटिस देकर सेवा से निवृत्त होने को कह दे।

इम्फाल गोली काण्ड जांच समिति

*782. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री हेम बरुआ :

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री इम्फाल में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में 31 अगस्त, 1965 की एक ध्यानाकर्षण सूचना के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य के विषय में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च-शक्ति प्राप्त जांच समिति नियुक्त की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके निर्देश-पद क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : योजना आयोग के अतिरिक्त सचिव श्री अशोक मित्र को निम्नलिखित बातों की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया है :—

(1) वे परिस्थितियां जिनमें पुलिस ने 27 अगस्त 1965 को इम्फाल में गोली चलाई, और

(2) वह गोली काण्ड उचित तथा आवश्यक था या नहीं।

पांडिचेरी का विलय

*783. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ राज्य-क्षेत्र पांडिचेरी के क्षेत्रों का क्रमशः निकटवर्ती राज्यों, मद्रास, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश में विलय करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है और न ही इसके लिए कोई मांग की गई है।

मनीपुर के एक गांव पर विद्रोहियों का आक्रमण

*785. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रविन्द्र वर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पें० वैंकटासुब्बया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जून, 1965 को अपर बर्मा सीमावर्ती मनीपुर के थोनलान विकास खंड के कार्यालय पर गणवेशधारी स्वचालित शस्त्रों से सज्जित बैत आदिम जातीय विद्रोहियों ने आक्रमण किया;

(ख) क्या ये विद्रोही 'चिन मुक्ति सेना' के नाम से एक पृथक राज्य 'चिन राज्य' की स्थापना की मांग कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने रेवरेन्ड माइकल स्काट द्वारा सिफारिश की गई शांति अवधि को बढ़ाना स्वीकार कर लिया है; और

(घ) इस बात में कितना तथ्य है कि छिपे हुए विद्रोही नागा नेता अपनी गतिविधियों का क्षेत्र बढ़ाने के लिये जान बूझ कर विलम्ब करने की चालें चल रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। यद्यपि यह तो ज्ञात है कि उनके पास आग्नेयास्त्र थे किन्तु इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि उनके पास स्वचालित हथियार थे।

(ख) विश्वास किया जाता है कि उनका सम्बन्ध अपने आपके "चिन मुक्ति सेना" पुकारने वाले एक सशस्त्र गिरोह से था।

(ग) सरकार ने अभी तक शांति अवधि को, जो इसी वर्ष 14 अक्तूबर को समाप्त होती है, और आगे बढ़ाने का कोई विचार नहीं किया है।

(घ) यह सत्य है कि काफी देर से नागा विद्रोहियों ने शांति समझौते के अन्तर्गत क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और उस क्षेत्र से बाहर के सब डिवीजनों में भी उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न किया है। मनीपुर सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिये दृढ़ सुरक्षात्मक उपाय कर रही है।

बर्मा से आने वाले भारतीय

*786. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा से स्वदेश भेजे गये कुछ भारतीयों ने वैदेशिक कार्य मंत्री के निवास स्थान के निकट सत्याग्रह किया और मांग की कि बर्मा से आये हुए शरणार्थियों को शीघ्र बसाया जाये;

(ख) यदि हां, तो उनकी वास्तविक मांगे क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) जी, हां।

(ख) स्वदेश लौटने वाले भारतीयों की मांगे निम्न थीं :—

(1) उन्हें पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के समान समझा जाना चाहिये और वे सब सुविधायें दी जायें जो उनको प्राप्त हैं तथा

(2) उन्हें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बसाया जाये।

(ग) सरकार की यह नीति नहीं है कि बर्मा से लौटने वाले भारतीयों को पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के समान समझा जाये क्योंकि बर्मा से लौटने वालों की परिस्थितियां पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों से भिन्न हैं। लौटने वाले 19 जुलाई, 1965 को वापिस उत्तर प्रदेश चले गये थे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उन्हें नकद सहायता प्रदान की और उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

Book Entitled "The Crisis of India"

***787. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Brij Raj Sing :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at page 79 of the book entitled "The Crisis of India" written by a foreign author, Mr. Ronald Segal, Chhatrapati Shivaji has been described as "a robber chieftain" who "founded a simple robber State"; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes Sir.

(b) The proposal to ban import of this book is under consideration.

सम्पर्क स्थापित करने वाले व्यक्तियों की काली सूची

***788. श्री हरि विष्णु कामत :**
श्रीमती मैमूना सूल्तान :
श्री ज० ब० सिं० विष्ट :
श्री काजरोलकर :

क्या **गृह--कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यापार संस्थानों और उद्योगपतियों के सम्पर्क स्थापित करने वाले कुछ ऐसे व्यक्तियों की काली सूची तैयार की गई है, जो अनाचारपूर्ण कार्य करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) दिल्ली में कुछ अवांछनीय बिचौलियों (सम्पर्क स्थापित करने वाले व्यक्तियों) की एक सूची केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तैयार की गई है।

(ख) उसका ब्यौरा प्रकट करना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं है।

अन्दमान में मछली पकड़ने का उद्योग

***789. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को रोजगार देने के उद्देश्य से, गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के उद्योग का विकास करने की योजना, जिसका मुख्य केन्द्र अन्दमान मे होगा, अंतिम रूप से तैयार कर ली है ;

(ख) क्या डेनमार्क की सरकार ने इस योजना की रूपरेखा दे दी है ; और

(ग) क्या वर्तमान योजना में अन्दमान मे शीतागार, पकड़ी गई मछलियों को भेजने के लिए प्रशीतित परिवहन तथा अन्य सहायक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) द्वीप समूह के त्वरित साधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गहरे समुद्र से मछली पकड़ने की एक योजना तैयार कर ली गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण

*790. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री दे० जी० नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधारों सम्बन्धी संसद् सदस्यों के विशेष परामर्शदाता दल की उप-समिति ने इस वर्ष जुलाई में हुई अपनी बैठक में विभागीय अथवा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की थी तथा शीघ्रातिशीघ्र एवं कम से कम खर्च वाले तरीके से खुले, उचित एवं निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिये, इन न्यायाधिकरणों के कार्य-संचालन का एक समिति द्वारा तुरन्त अध्ययन करवाये जाने की सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : **(क)** और **(ख)** : जी, हां । उप-समिति ने वर्तमान प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की कार्य-पद्धति की जांच करने के लिये तथा न्यायाधिकरणों की पद्धति को नये प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत करने के लिये सरकार द्वारा एक समिति की नियुक्ति की सिफ़ारिश की थी। किन्तु विशेष परामर्शदाता दल ने यह निर्णय किया कि यह अध्ययन उप समिति द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस लिये उप समिति ने अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है ।

Death of a T. B. Patient in S. J. T. B. Hospital, Delhi

*791. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Shri Bade :

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the night of 26th August, 1965 the dead body of a T. B. patient was found lying in a pool of blood outside the gate of the Silver Jubilee T. B. Hospital, Delhi;

(b) if so, whether it is also a fact that the body also bore wounds of a knife or something of that sort near the neck; and

(c) if so, the circumstances leading to the death of the patient?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) & (b). Yes, Sir.

(c) The case is being investigated by the Delhi Police.

केरल वकील संस्था के लिए भवन

2586. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल वकील संस्था तथा उसके पुस्तकालय के लिये स्थान देने के हेतु सरकार का एक नया भवन बनाने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में वकीलों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) संस्था ने 3.5 लाख रुपये की लागत से एक भवन के निर्माण का सुझाव दिया था। सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया और यह निश्चय किया था कि प्रस्ताव बाद की किसी स्थिति तक प्रतीक्षा कर सकता है क्योंकि यह किसी विकास कार्य से सम्बन्धित नहीं था। हां, वर्तमान भवन में सुधार कर दिये गये हैं ।

विय्यूर की छोटी जेल (सब-जेल) में बन्दियों की भीड़

2587. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 28 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2706 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विय्यूर की विशेष सब-जेल मे बन्दियों की भीड़ की समस्या हल हो गई है ;

(ख) क्या कमरों का शिलान्यास करने का काम पूरा हो चुका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) विय्यूर की विशेष उपकारा (सब-जेल) मे कोई भीड़ नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सम्बधित अधिकारियों के कमरों को नये नमूने का बनाने के कार्य की गति तेज़ करके उसे पूरा करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

केरल में अल्प-आय-वर्ग आवास योजनायें

2588. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल प्रशासन ने केरल में कम-आय-वर्ग के लिये मकानों के निर्माण के संबंध में नियम बना लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या लोग ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपने नक्शों के अनुसार मकान बना सकते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) "कम-आय-वर्ग भवन निर्माण योजना" नाम की एक योजना राज्य में लागू की जा रही है। इस योजना के अधीन सरकार मकान नहीं बनाती, अपितु अधिकृत व्यक्तियों या उनकी सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को उनके कम-आय-वाले कर्मचारियों के लिये मकान बनाने को ऋण दिये जाते हैं।

(ख) योजना की मुख्य मुख्य बातें —

(1) 12,500 रु० से अधिक लागत के मकान बनाने के लिये ऋण नहीं दिये जायेंगे।

(2) किसी एक व्यक्ति को दिये जाने वाले ऋण की अधिक-से-अधिक राशि की सीमा 10,000 रु० प्रति मकान या मकान और ज़मीन की लागत का 80% में से जो भी कम हो वह रहेगी।

(3) ऋण किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जायगा जिसका कोई मकान होगा।

(4) इस योजना के अधीन निर्मित प्रत्येक मकान के फ़र्श का क्षेत्रफल 220 वर्ग फुट से कम या 1200 वर्ग फुट से अधिक नहीं होना चाहिये। प्रत्येक मकान का प्रथम स्नानागार तथा जल द्वारा मल-निष्काषन पद्धति का शौचालय होगा।

(5) यह ऋण 30 वर्ष मे वापस करना होगा। ब्याज की वर्तमान वार्षिक दर $5\frac{1}{2}\%$ है।

(6) प्रत्येक उस व्यक्ति को सरकार के पक्ष में एक बन्धक-पत्र भरना होगा जिसको ऋण दिया जायगा।

(7) किसी भी व्यक्ति को दिये जाने वाले ऋण की सीमा उसकी आय के अनुसार इस प्रकार होगी :

वार्षिक आय	अधिकतम ऋण
1201 तक	4000 रु०
1201—1800 तक	5500 रु०
1801—3000 तक	7000 रु०
3001—4200 तक	8500 रु०
4201—6000 तक	10,000 रु०

(8) सम्बन्धित जिला समा हर्त्ता द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाते हैं।

(ग) और (घ) : जी हां, फ़र्श के क्षेत्रफल तथा मकान की लागत की सीमा के अन्तर्गत।

राज्यों में विद्यार्थी

2589. श्री हेम राज : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 मे विभिन्न राज्यों में कितने विद्यार्थियों ने क्रमशः मैट्रिक, इन्टरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं पास की ; और

(ख) कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया तथा उनकी संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) संलग्न विवरण I मे नवीनतम तथा तथा शुद्ध अखिल भारतीय सूचनाएं दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या अेल० टी०–4928(i)/65 ।]**

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन 1961-62 के लिए उत्तरवर्ती कक्षाओं के प्रथम वर्ष के दाखिले सम्बधी सूचनाएं संलग्न विवरण II मे दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या अेल० टी०–4928(ii)/65 ।]**

Obscene Literature

2590. Shri J. P. Jyotishi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at present lot of obscene, cheap and sexy literature is being circulated in the country which is spoiling the life and character of the youth and adolescents;

(b) whether several responsible persons and institutions in the country have demanded a strict ban on the import and production of this type of literature; and

(c) if so, the steps Government are taking in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) & (b). Circulation of some obscene literature has come to the notice of the Government and some representations have also been received against such literature.

(c) The State Governments have from time to time been requested to observe strict vigilance in this regard and to curb this evil effectively. Government of India are also exploring the possibility of tightening the law on the subject.

भारत-तिब्बत सीमा के पास पुरातत्वीय सर्वेक्षण

2591. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के उत्तर-पश्चिमी सर्कल के अधीक्षक सहित एक दल भारत-तिब्बत सीमा के पास स्पीती सब-डिवीज़न मे 'की' तथा 'टोबो' के मठों में भित्ति चित्रों का सर्वेक्षण करने के लिये गया है ;

(ख) क्या यह सर्वेक्षण इन बहुमूल्य चित्रों को सुरक्षित रखने तथा कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण चित्रों की प्रतियां तैयार करने के मार्गोपाय खोजने की दृष्टि से आरम्भ किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने इन चित्रों की जांच की है तथा सुरक्षित रखने और प्रतियां तैयार करने के बारे में सिफारिशें की हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के उत्तर-पश्चिमी सर्कल के अधीक्षक भी उस दल मे शामिल थे।

(ख) जी, हां ।

(ग) चित्रों की जांच की गई है और ब्यौरेवार प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

"आइडेन्टीकिट" प्रणाली

2592. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराधी व्यक्तियों के अक्षि-साक्षियों द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर फरार अपराधियों के चित्र तयार करके पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करवाने की 'आइडेन्टीकिट' प्रणाली आरम्भ करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस विषय मे सरकार स्काटलैंड यार्ड (ब्रिटेन) से सहायता ले रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ओर (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

नजरबंदियो को परिवार भत्ता आदि संबंधी नियमों को उदार बनाना

2593. **श्री कोल्ला वैंकैया :**

श्री लक्ष्मीदास :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री तिहाड़ जेल में नजरबन्दियों की भूख-हड़ताल के बारे में 18 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 281 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन नियमों को उदार बनाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है जिनके अन्तर्गत नजरबन्द साम्यवादियों को परिवार भत्ता, भेंट, आदि की अनुमति दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन नियमों के किन पहलुओं को उदार बनाया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) मामला अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

आन्ध्र प्रदेश में पाया गया पुराना मन्दिर

2594. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कालाकुड में सारा पत्थर से बना एक मन्दिर मिला है जिस के बारे में विश्वास है कि वह वदम्बों ने बनवाया था; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस को एक परिरक्षित स्मारक घोषित करने और उसकी देखभाल करने का है क्योंकि इसको पल्लव काल के बाद की मंदिरों की प्राचीन प्रादेशिक पाषाण शिल्प कला का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

रूस में खुदाई

2595. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में दुशाम्बे में खुदाई में सोते हुए बुद्ध की 11 मीटर की एक मूर्ति और 300 से अधिक अच्छी तरह से परिरक्षित मूर्तियां और प्रशंसनीय भित्ति चित्र मिले हैं;

(ख) क्या दुशाम्बे में अडजिन-टेपे पहाड़ियों पर, कुछ समय से खुदाइयां चल रही है जिन के नीचे छठी शताब्दी के अन्त और सातवीं शताब्दी के आरम्भ के एक बुद्ध मठ के अवशेष हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातत्वविदों ने खुदाई वाले क्षेत्रों का दौरा किया था और उसके सम्बन्ध में उनका क्या प्रतिवेदन है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (ग) : जी, हां। दुशाम्बे के समीप अदजिन तेपा पहाड़ी में लेटे हुए बुद्ध की मिट्टी की मूर्ति, जिसकी अनुमानित लम्बाई 12 मीटर है, चित्र, भित्ति चित्र तथा कुछ अन्य मूर्तियां जिनकी ठीक संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है— मिली हैं ;

बुद्ध मठ की भी खुदाई की गई है। यह मठ अनुमानत: छटी व आठवीं शताब्दी के बीच का है।

स्थल का निरीक्षण करने वाले भारतीय पुरातत्वविदों के प्रतिवेदनों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

हेमिसिन और क्लोरोटेट्रा साइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड

2598. श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० यू० ना० खां :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेमिसिन और क्लोरोटेट्रा-साइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड के निर्यात के लिये विदेशों से कोई क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से; और

(ग) क्रियादेशों की पूर्ति के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं और क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स ने इन औषधियों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० ने हमिसिन के समुपयोजन के बारे में अमेरिका, फ्रांस और मैक्सीको की फर्मों के साथ किये जाने वाले करारों को अन्तिम रूप दे दिया है। प्रस्तावित करारों में हेमिसिन का विक्रय एवं देश के बाहर विक्रयों पर रायल्टी (royalty) की अदायगी शामिल है। पिम्परी में हेमिसिन और क्लोरोटेट्रा साइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड को तैयार कीया जाता है और कम्पनी क्लोरोटेट्रा साइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड तथा दूसरे उत्पादों के निर्यात की सम्भाव्यताओं की जांच कर रही है।

पंजाब में तेल की खोज

2599. **श्री बागड़ी :** **श्री दलजीत सिंह :**
श्री हेम राज : **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में पंजाब राज्य में तेल की खोज के लिये सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अब तक इस के क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) जी हां।

(ख) गिरि-पाद क्षेत्रों में भूगर्भीय सर्वेक्षण और कुछ महत्व-पूर्ण क्षेत्रों (Interesting areas) मे भकम्पीय सर्वेक्षण जारी रहा। गिरि-पादों के साथ संलग्न मैदानों में आकर्षण, चुम्बकीय और भूकम्पीय सर्वेक्षणों को किया गया। एक गहरे कुएं का व्यधन किया गया और दूसरा खोदा गया।

(ग) परिणाम आगामी खोज की आवश्यकता को सूचित करते हैं।

पंजाब में एक कुंए में पैट्रोलियम का पाया जाना

2600. **श्री बागड़ी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला रोहतक, पंजाब के एक गांव कटवाल में 1963 में एक खोदते समय पैट्रोलियम का पता लगा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार ने विशेषज्ञों की राय ली है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबीर) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कटवाल गांव के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। अगस्त, 1962 में हसनगढ़ और कनसाला गांवों से दो-पानी के नमूने प्राप्त हुए थे, किन्तु उनके विश्लेषण से तेल के कोई चिन्ह या लश नहीं पाये गये।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में अध्यापिकाओं के लिये प्रसूति अवकाश

2601. **श्री बागडी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में जब महिला अध्यापक प्रसूति अवकाश पर जाती हैं तो अवकाश काल के लिये स्थानापन्न प्रबन्ध नहीं किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुपस्थिति में कक्षाओं को नियमित रूप से चलाने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता के पास तेल वाले क्षेत्र

2602. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के पास कुछ तेल क्षेत्रों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) और (ख) : अभी खोज चल रही है।

दिल्ली में विद्यार्थियों की फीस

2603. **श्री मरंडी :**
श्री उटिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में लड़के और लड़की विद्यार्थियों द्वारा देय फीसों में असमानता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) जी हां, 9 वीं, 10वीं, 11वीं कक्षाओं में ।

(ख) लड़कियों को शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये इन कक्षाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिये फीस कम रखी गई है।

गुजरात तेलशोधक कारखाना

2604. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी माल के इस्तेमाल करने के कारण गुजरात तेल शोधक कारखाने की निर्माण लागत कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कम हो गई है; और

(ग) क्या अब भारत किसी विदेशी सहायता के बिना ही तेल शोधक कारखाना बनाने की स्थिति में है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) जी हां।

(ख) केवल स्वदेशी माल के इस्तेमाल के कारण बचत की धनराशि को बताना अभी सम्भव नहीं है किन्तु अग्रिम एवं ठीक आयोजन, भारत में कार्यकारी आलेख को तैयार करने और प्रतियोगी शर्तों के अन्तर्गत स्वदेशी सामग्री एवं उपकरणों के अधिकतम इस्तेमाल के संचयी प्रभाव से उक्त परियोजना की अनुमानित लागत में लगभग 3 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

(ग) अभी नहीं।

Cases Pending in Courts

2605. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of cases disposed of every year by the Allahabad High Court during the last three years;

(b) the number of cases pending disposal there as on the 31st July, 1965;

(c) the number of cases disposed of every year by the Supreme Court during the last two years; and

(d) the number of cases pending disposal there as on the 31st July, 1965?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) :

	Year	Number
(a)	1962	27,653
	1963	27,925
	1964	31,176
(b)		69,111
(c)	1963	3,283
	1964	4,068
(d)		2,383

उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों के नामों का दर्ज किया जाना

2606. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री किन्दर लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में 6–11 और 11–14 वर्ष की आयु वाले छात्रों के नाम दर्ज करने का राष्ट्रीय लक्ष्य तृतीय योजनावधि के अन्त तक पूरा हो जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन्) : (क) आशा है कि तीसरी आयोजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश में 6–11 आयुवर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले की संख्या इस प्रतिशतता तक पहुंच जाएगी :—

आयुवर्ग		दाखिला		
		लड़के	लड़कियां	कुल
6–11	उत्तर प्रदेश	100	54	78
	भारत	95	61	78
11–14	उत्तर प्रदेश	40	9	25
	भारत	46	17	32

(ख) दाखिले की इस धीमी प्रगति का मुख्य कारण, अतिरिक्त कक्षाएं अथवा स्कूल चलाने के लिए धन तथा शिक्षकों (जैसे अध्यापिकाएं) की कमी है।

भाषा शिक्षकों के वेतन

2607. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री भाषा शिक्षकों के वेतन के बारे में 28 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2731 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि संस्कृत के शिक्षकों तथा अन्य भाषाओं के शिक्षकों के वेतनों में समानता लाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4929/65।**]

कूकी नेशनल एसेम्बली का अभ्यावेदन

2608. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री गुलशन :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री प० ह० भील :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कूकी नेशनल, एसेम्बली मनीपुर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें भूमिगत नागाओं द्वारा राज्य में अपने प्रशासनिक एककों की स्थापना को ध्यान में रखते हूए पर्वतीय लोगों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने की मांग की गई है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान राज्य के गैर नागाओं की सबसे कड़े राजनितिक संगठन कूकी नेशनल एसेम्बली के प्रधान श्री पाओलैन हसकिप द्वारा इम्फाल में 31 मई, 1965 को दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है नागालैंड की तथाकथित फेडरल सरकार लोगों को बाध्य कर रही है कि वे मनीपुर सरकार को कर न दें; और

(ग) यदि हां, तो कूकी एसेम्बली के नेता के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) उन पहाड़ी क्षेत्रों में जनता की रक्षा करने के लिये जिन पर युद्ध विराम समझौता लागू नही है मनीपुर राइफ़ल्स की दो चौकियां स्थापित की गई थी। कुछ क्षेत्रों में गृहरक्षी दलों का भी निर्माण किया गया है और उन्हें अपने गांवों की रक्षा करने के लिये प्रशिक्षित किया जा रहा है।

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये राजकीय खेत (स्टेट फार्म)

2609. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री 16 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 725 के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय खेत (स्टेट फार्म्स) स्थापित करने की योजना को इस बीच अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) और (ख) : सामूहिक खेती एक आदर्श योजना है जिसकी जांच तथा संशोधन के लिये राज्य सरकारों को अधिकार दे दिये गये हैं ताकि इसे प्रत्येक राज्य की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जा सके। साधारणतया, योजना के लिये एक बड़ी संख्या में सामहिक कृष्य भूमि के खंडों की आवश्यकता है जिसमें प्रत्येक खंड 250 एकड़ से कम नहीं होंना चाहिये।

तात्विक गंधक (एलीमेंटल सल्फर) का उत्पादन

2610. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तात्विक गंधक (एलीमेंटल सल्फर) तैयार करने के लिये अम्झोर पाई-राइटस अयस्क के साथ किये गये अग्रिम संयंत्र प्रयोग व्यावहारिक सिद्ध हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई योजना और प्रक्कलन तैयार किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : मेसर्स ओटोंकुम्पू ओय फिनलैण्ड (Ms. Outokumpu Oy. Finland) से, जिन्होंने अम्झोर पाइराइटस पर प्रायोगिक संयन्त्र (pilot plant) परीक्षणों को शुरू एवं पूरा किया, इस महीने के आखिर तक रिपोर्ट मिलने की आशा है। परीक्षणों को देखने के लिए लगाये गये अफसर के कथनानुसार फिन्निश प्रक्रिया तकनीकी दृष्टि से सम्भाव्य है। प्रक्रिया की आर्थिक सम्भाव्यता की जांच की जा रही है।

दिल्ली में शराब का अवैध व्यापार

2611. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह कहां तक सच है कि दिल्ली में शराब का अवैध व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया है;

(ख) क्या कानून में कोई दोष है जिस के कारण पुलिस अवैध रूप से शराब बनाने वालों के विरुद्ध कारगर कार्यवाही नही कर पाती है;

(ग) आंशिक मद्य-निषेध आरम्भ करना शराब के अवैध व्यापार में वृद्धि के लिये कहां तक उत्तरदायी रहा है; और

(घ) क्या सरकार ने मद्य-निषेध योजना को कारगर बनाने के लिये दिल्ली के चारों ओर मध्य-निषेध क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस तथ्य के बावजूद, कि दिल्ली प्रशासन ने शराबखोरी कम करने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं, अनेक प्रकार के कारणों से दिल्ली में शराब का अवैध व्यापार अभी भी एक समस्या बना हुआ है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न के इस पहलू के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया।

(घ) इस पर सक्रिया रूप से विचार किया जा रहा है।

सीमावर्ती जिलों में विकास योजनायें

2612. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेमराज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

तीसरी योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश द्वारा तिब्बत से लगे अपने-अपने सीमावर्ती जिलों में आरम्भ की गई विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा जम्मू व काश्मीर की राज्य सरकारों द्वारा तीसरी योजना की अवधि में सीमावर्ती जिलों में शुरू की गई भारत सरकार द्वारा मंजूर विकास योजनाओं के बारे में 75 से 90 प्रतिशत के बीच आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया है। भारत सरकार ने इन में नियुक्त आवश्यक अधिकारियों तथा इन राज्यों के मुख्यालय में इन जिलों के विकास के लिये नियुक्त कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन तथा भत्तो का पूरा खर्च और इन अधिकारियों के कार्यालयों अथवा रिहाइशी स्थानों के निर्माण अथवा खरीद का भी पूरा व्यय उठाना मंजूर किया है। भारत सरकार इन जिलों में शुरू की जाने वाली प्रशासकीय और अन्य ऐसी योजनाओं का भी 50 प्रतिशत खर्च बर्दाश्त करेगी जिनका विकास योजनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के बारे में भारत सरकार द्वारा सारा खर्च उठाया जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक संघ राज्य क्षेत्र है।

सतर्कता आयोग द्वारा दर्ज की गई शिकायत

2613. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1965 के अन्त तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कितनी शिकायतें दर्ज की गई;

(ख) कुल कितने अधिकारियों, राजपत्रित तथा अराजपत्रित के विरुद्ध शिकायतें की गई है; और

(ग) इन शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) :

	शिकायतों की संख्या	अधिकारियों की संख्या
केन्द्रीय क्षेत्र की ऐसी शिकायतें जिनका भ्रष्टाचार से सम्बन्ध था	3,758	4,278
केन्द्रीय क्षेत्र की ऐसी शिकायतें जिनका भ्रष्टाचार से सम्बन्ध नही था।	1,556	उपलब्ध नही
राज्य क्षेत्र में शिकायतें	700	

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की भ्रष्टाचार सम्बन्धी 57 शिकायतों को जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो भेजा गया, 448 को सम्बन्धित विभागों के पास विभागीय जांच के लिये और 658 को सम्बन्धित विभागों द्वारा उपयुक्त कार्यवाही के लिये भेजा गया और 2595 को दाखिल दफ्तर कर दिया गया क्योंकि उन पर कार्यवाही की जरूरत नहीं थी। केन्द्रीय क्षेत्र की ऐसी शिकायतों से जिनका भ्रष्टाचार से सम्बन्ध न हीं था 749 सम्बन्धित विभागों द्वारा उपयुक्त कार्यवाही के लिये भेजी गई और 807 दाखिल दफ्तर कर दी गई क्योंकि उन पर कोई कार्यवाही नहीं होनी थी। राज्य क्षेत्र की 338 शिकायतें राज्य सरकारों को निपटाने के लिये भेजी गई और 362 दाखिल दफ्तर की गई क्योंकि उनमें कोई कार्यवाही नहीं होनी थी।

आन्ध्र प्रदेश में संश्लिष्ट औषधि कारखाना

2614. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सोवियत संघ के सहयोग से एक संश्लिष्ट औषधि कारखाना स्थापित करने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ;

(ख) क्या यह विश्व में अपनी किस्म का सब से बड़ा कारखाना होगा ;

(ग) इस में मुख्यत: क्या क्या बनाया जायेगा और कितनी मात्रा में; और

(घ) क्या इस परियोजना के आसपास कोई आनुषंगिक उद्योग स्थापित किये जाने वाले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ) : जी हां। आन्ध्र प्रदेश में रूसी सहयोग से स्थापित किया जा रहा संश्लिष्ट औषधि कारखाना एक काफी बड़ी परियोजना होगी। मख्य उत्पादों और उनकी क्षमता निम्नप्रकार होगी : —

		मीटरी टन
1. सल्फाडीमिडाइन (Sulphadinideine)	सल्फा औषधियों का	280
2. सल्फाग्वानिडीन (Sulphaguanidine)		130
3. सोडियम सल्फासील (Sodium Sulphacyl)		50
4. सल्फानिलैमाइड (Sulphanilamide)		50
5. ऐसीटज़लोमाइड (Acetazolamide)		25
6. आइसोनिकोटिनिक अम्ल और हाइड्राज़िड (Isonicotinic Acid & Hydrazide)		20
7. फीनोबर्बीटोन (Phenobarbitone)		10
8. फिनैसिटीन (Phenacetin)		100
9. डाइथाइल कार्बामज़ीन साइट्रेट (Diethyl Carbamazine Citrate)		30

	मीटरी टन
10. अमीडोपायरीन (Amidopyrine)	40
11. डिपायरोन (Dipyrone)	10
12. पाइपरजाइन एडीपिनेट (Piperzine adipinate)	50
13. विटामिन बी-1	30
14. विटामिन बी-2	5
15. निकोटिनामाइड	20
16. फोलिक एसिड	1
	851

आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से सहायक उद्योगों का विकास करने के लिये प्रयास किये जा रहें हैं।

दिल्ली में पुलिस व्यवस्था

2615 **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस के वर्तमान ढांचे की जगह पर बंबई और कलकत्ते की तरह राजधानी पुलिस बल (मेट्रोपोलिटन पुलिस फोर्स) की स्थापना कर के उसे बदलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) नयी व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Experimental Plant at Cambay

2616. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in March, 1962 an experimental pilot plant was installed at Cambay and it was abandoned on the 11th April, 1963; and

(b) if so, how the machinery of this plant was utilized?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) & (b). The Honourable Member's attention is drawn to reply to Unstarred Question No. 1444 on 16-12-1964.

कुतुब मीनार, दिल्ली

2617. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की कुतुब मीनार को जनता के लिये दो वर्ष बन्द कर देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : कुतुब मीनार को जनता के लिये दो वर्ष तक बन्द कर देनें का अभी कोई इरादा नहीं है परन्तु उसकी मरम्मत करने हेतु कुछ समय के लिये उसे बन्द करना पड़ेगा ताकि दर्शक को क्षति पहुंचने की कोई सम्भावना न रहें।

जूनियर कृषि स्कूल

2618. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
श्री हेमराज :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर कृषि शिक्षा सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिश के परिणामस्वरूप देश में कितने जूनियर कृषि स्कूल खोले जायेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : मामला अभी विचाराधीन है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संबंधी कार्यों को बढ़ाना

2619. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड प्रतिष्ठान ने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा और अनुसंधान संबंधी तथा अन्य कार्यों को बढ़ावा देन के लिये दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां तो उस सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन किन परियोजनाओं के लिये इस सहायता का उपयोग किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1964–65 के दौरान, फोर्ड प्रतिष्ठान ने विश्वविद्यालय के विभागों के विकास के लिये अथवा अनुसन्धान परियोजनाओं के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय को इस प्रकार सहायता दी :—

1. **भाषा-विज्ञान विभाग** : वर्ष 1964–65 के दौरान फोर्ड प्रतिष्ठान ने विश्वविद्यालय विभाग के विकास के लिये अथवा अनुसन्धान परियोजनाओं के लिये इस प्रकार सहायता दी:—

		डालर
(एक)	एक वर्ष के लिये कार्यक्रम विशेषज्ञ के लिये . . .	30,000
(दो)	भाषा-विज्ञान के विभाग के लिये एक महीने के लिये एक सलाहकार के लिये	3,000
(तीन)	हाल में उन्नत विदेशी अध्ययन के लगभग 20 व्यक्ति वर्षों के लिये तथा विभाग के कर्मचारिवृन्द के भावी सदस्यों के लिये . . .	1,50,000
(चार)	विभाग की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिये . . .	50,000
(पाच)	कार्नवेल विश्वविद्यालय से प्रशासनिक तथा व्यवसायिक सहायता के लिये	6,000
(छः)	कार्नवेल द्वारा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में किये गये अप्रत्यक्ष खर्च के लिये	4,000
		2,43,000

डालर

2. चीन सम्बधी अध्ययन विभाग :

9 सितम्बर, 1964 से चीन सम्बन्धी अध्ययन के अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रम क्रम के विकास के लिये । 5,36,000

3. अर्थशास्त्र और वाणिज्य विभाग :

अनुसन्धान के लिये उपकरण 3,71,000

4. प्राणिशास्त्र विभाग :

प्रजनन क्रिया विज्ञान में अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण के लिये 1,95,000

5. विधि शिक्षा विभाग :

राशि का अभी पता नही है ।

6. स्नातकोत्तर अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण :

समय समय पर आयोजन दल और सलाहकारों को रखने का खर्च ।

सहस्त्र सेना के लिये चैकोस्लोवाकिया में बनी राइफलें

2620. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहस्त्र सेनाओं द्वारा प्रयोग के लिये चैकोस्लोवाकिया की कुछ राइफलें हाल में आयात की गई है ; और

(ख) क्या भविष्य में भी और राइफलें भेजने के लिये भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच कोई करार हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं । हां, चैकोस्लोवाकिया की कुछ राइफलें नागरिक प्रशिक्षण योजना के अधीन नागरिकों को प्रशिक्षण देने के लिये आयात की जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

त्रिपुरा विधान सभा के एक सदस्य की गिरफ्तारी

2621. श्री वोरेन दत्त : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा विधान सभा के एक सदस्य को हाल ही में गिरफ्तार किया गया, और उसे तेलियपूरा थाने से खोगी नगर तक ले जाते समय हथकड़ी लगाई गई ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) उन्हें एक पूर्व योजित नृशंस वध की जांच के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अपराध की गुरूता को देखते हुए तथा बचकर भाग जाने के लिये उनके द्वारा बल प्रयोग की आशंका से उन्हें हथ-कड़ी लगाई गई थी ।

दण्डकारण्य में परलकोट क्षेत्र

2622. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार वर्ष पूर्व जिन विस्थापित लोगों को दण्डकारण्य के पारलकोट क्षेत्र में भेजा गया था वे अब भी मुख्य दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्रों से दूर रह रहे है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या 7 वर्ष के आयोजन के बाद कुटरी नदी पर पुल अब भी पूरा नहीं हुआ है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) जी नहीं। पाखनजोर को एक सड़क जाती है और ग्रामों के लिये सम्पर्क सड़के हैं। वर्षा ऋतु में मध्यवर्ती नदियों तथा नालों को पार करने के लिये नौघाट की व्यवस्था की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोतरी पर पुल बनाने के लिये नमूना तथा प्राक्कलन विचाराधीन है। आशा है शीघ्र ही तकनीकी मंजूरी जारी कर दी जायेगी। और उसके उपरान्त कार्य आरंभ कर दिया जायगा।

दण्डकारण्य के पाखनजोर क्षेत्र में सुविधायें

2623. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारों शरणार्थी दण्डकारण्य के पाखनजोर क्षेत्र भेजे गये हैं ;

(ख) क्या वहां डाकखाना तथा हाई स्कूल जैसी सुविधाओं की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) पारलकोट क्षेत्र में 2,595 परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे गये हैं जिसका क्षेत्रीय हैडक्वार्टर पाखनजोर है।

(ख) क्षेत्र में पहले ही 45 प्राईमरी विद्यालय, दो मध्य विद्यालय, 8 प्रौढ विद्यालय, 10 सामुदायिक केन्द्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 चल स्वास्थ्य दल तथा एक डाकखाना, तथा एक उप डाकखाना खोल दिये गये हैं। उच्च विद्यालय की श्रेणियों वर्तमान में मध्य विद्यालय के भवन में लगाई जाती हैं। उच्च विद्यालय के लिये भवन निर्माण करना विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Post-Graduate Diploma in Rural Economics & Cooperation

2624. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of institutions imparting education in the Post-Graduate Diploma in Rural Economics and Cooperation of the National Council of Rural Higher Education;

(b) the number of students getting education in that Post-Graduate Course; and

(c) the number of Government and non-Government institutions among them, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Two Rural Institutes.

(b) Enrolment for the course in the Institutes is 22.

(c) Both Rural Institutes are non-Government.

दिल्ली में हरिजनों की बेदखली

2625. **श्री म० ना० स्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के देहाती क्षेत्रों के 70,000 हरिजनों को, वृहद योजना के अन्तर्गत उनकी झोंपड़ियां अर्जित किये जाने पर, अपने निवास-स्थानों से बेदखल होना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उनके लिये दूसरे स्थान की व्यवस्था कर दी गई है और उनको पूरा मुआवजा दे दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख): "दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि-अधिग्रहण, विकास तथा बिक्री" योजना के अधीन "ग्रामों की आबादियों" को नहीं लिया जा रहा । इस लिये उन हरिजनों की झोंपड़ियां लिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता जो "ग्रामों की आबादियों" के अन्दर रहते हैं । 34,000 एकड़ भूमि की सामान्य अधिसूचना की तिथि अर्थात् 13–11–1959 से पहले जो निर्माण "ग्रामों की आबादियों" के बाहर भी किये गए हैं उनका भी अधिग्रहण नहीं किया जा रहा बशर्ते कि उन्हें एक "नियमित करने की योजना" में लाया जा सके । कोई भी ऐसी व्यक्ति जिसकी ज़मीन ली जायगी अपनी ज़मीन के बदले निश्चित किश्त की दरों पर विकसित भूमि का प्लाट पाने का हकदार होगा बशर्ते कि वह या उसकी पत्नी या अन्य आश्रित सम्बन्धी जिनमें अविवाहित बच्चे शामिल हैं, दिल्ली/नई दिल्ली या छावनी में किसी अन्य रिहाइशी प्लाट अथवा मकान के मालिक नहीं हैं । उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के उपबन्धों के अनुसार क्षतिपूर्ति भी दी जाती है ।

गणित शास्त्र की शिक्षा

2626. **श्री बागड़ी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान ने गणित शास्त्र की शिक्षा के तरीके में कोई परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-4930/65 ।]

नागालैंड, केरल और आन्ध्र प्रदेश में राजभाषा का अपनाया जाना

2628. **श्री कोल्ला वेंकेया :**

श्री लक्ष्मी दास :

श्री म० ना० स्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 मार्च, 1965 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1463 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, केरल तथा नागालैंड की सरकारों से शिफारिस की है अथवा उन्हें सुझाव दिया है कि राज्य की भाषा को कानूनी तौर पर राज-भाषा के रूप में अपनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। संविधान के अनुच्छेद के अधीन राज्य में प्रयुक्त एक या अधिक भाषाओं अथवा हिन्दी को कानून द्वारा राज्य के समस्त सरकारी कार्यों अथवा उनमें से कुछ के लिये स्वीकार करने का अधिकार तो सम्बन्धित राज्य के विधान मंडल को ही है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नही उठते।

केरल में राशन व्यवस्था

2629. **श्री मणियंगाडन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जब अनौपचारिक राशन शुरू किया गया था तो राशन कार्ड देने के लिये गिनती का काम किस प्रकार किया गया था :

(ख) क्या इस काम के लिये कुछ पारिश्रमिक देने का वायदा किया गया था ;

(ग) क्या वह दे दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) केरल में अनौपचारिक राशन शुरू करने के सम्बन्ध में गणना सम्बन्धी कार्य के लिये सरकार ने मुख्य रूप से स्कूलों के अध्यापकों को नियुक्त किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) : 1964–65 के दौरान पारिश्रमिक नहीं दिया जा सका क्योंकि धन की व्यवस्था नहीं हो सकी। किन्तु अब सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को आदेश दिये हैं कि वे शीघ्रता से पारिश्रमिक बांट दें।

सरकारी कर्मचारियों का पाकिस्तान भाग जाना

2630. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कितने कर्मचारी धन लेकर अथवा फौजदारी मुकदमों की जांच से बच कर पाकिस्तान भाग निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

भाषाओं को मान्यता देना

2631. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कौन-कौन सी भाषाएं हैं जो संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई हैं परन्तु उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है ;

(ख) किस आधार तथा किन बातों को ध्यान में रख कर यह मान्यता दी गई है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राजस्थानी दावे पर विचार किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्यमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) अंग्रजी, सिन्धी तथा मैथिली;

(ख) अकादमी ने अपने कार्यक्रमो के प्रयोजन के लिये एक स्वतंत्र साहित्यिक भाषा के रूप में किसी भाषा को मान्यता देने के लिये निम्नलिखित कसौटी निर्धारित की है :—

(एक) क्या वह भाषा रचना-दृष्टि से एक स्वतंत्र भाषा है अथवा क्या वह अनुसूची में दी गई किसी भाषा की प्रणाली का एक भाग है ।

(दो) क्या उसकी कम-से-कम पिछली तीन शताब्दियों के लिये निरंतर परम्परा तथा इतिहास है ।

(तीन) क्या पर्याप्त भारी संख्या में लोग इसे साहित्यिक तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिये उपयोग करते हैं ।

(चार) क्या सम्बधित राज्य और/अथवा किन्हीं विश्वविद्यालयों ने इसे शिक्षा के माध्यम के रूपमें और/अथवा अध्ययन के एक पृथक विषय के रुप में इसे मान्यता दी है ।

(पांच) इस भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या तथा इसमें रचे जा रहे साहित्य (उपन्यास, निबन्ध, अन्य साहित्य तथा पत्रिकायें आदि) पर भी विचार किया जा सकता है ।

(ग) अभी तक नहीं ।

अपराध का पता लगाने के लिए अणुशक्ति का प्रयोग

2632. **श्री राम सेवक यादव :**

श्री फ० गो० सेन :

श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराध का पता लगाने के लिये अणुशक्ति का उपयोग करने का कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : अणुशक्ति प्रयोगशालाओं के बम्बई स्थित वैश्लेषिक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ।

China Liberation Army

2633. **Shri Madhu Limaye :**

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Chin Liberation Army is causing disturbances in Churachandpur areas of Manipur and also in Mizo Hills and the areas adjacent to Burma; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) It is believed that members of an armed group styling themselves as 'Chin Liberation Army' are responsible for some incidents in the Churachandpur areas of Manipur. However, they have not come to notice for any activities in Mizo Hills.

b) The 'Chin Liberation Army' is reported to have as its aim the formation of a United State of the Chin inhabited areas of Manipur, Assam and Burma.

नदिया में हल चलाने वाले पाकिस्तानी किसान

2634. **श्री कपूर सिंह :** **श्री सोलंकी :**
श्री गुलशन : **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी किसान पूर्व पाकिस्तान के राईफल सैनिकों के संरक्षण में नदिया जिले में जबर्दस्ती कई स्थानों पर उस खेती योग्य भूमि को जोत रहे हैं जो भारतीय किसानों को दी गई है ;

(ख) क्या ऐसी घटनाएं पिछले एक साल से बराबर हो रही हैं; और

(ग) भविष्य में उनकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) कुछ पाकिस्तानी पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के नफ़रचन्द्रपुर में कुछ मुस्लिम आप्रव्राजियों द्वारा छोड़ी गई भूमि को जोतते रहे हैं क्योंकि वह भारतीय क्षेत्र में स्थित है ।

(ख) हां ।

(ग) इस मामले पर पश्चिम बंगाल के नदिया और पूर्वी पाकिस्तान के कुश्तिया जिलों के अधिकारियों ने 3 अगस्त 1965 को विचार किया और उस भूमि को सीमांकित करने का फैसला किया गया ।

Arrest of Nagas with Arms

2635. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Assam Police recently arrested three Nagas from whose possession a large quantity of arms had been seized; and

(b) if so, the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Three Nagas have been arrested from whose possession a large quantity of ammunition has been seized. No arms were recovered from their possession.

(b) Cases have been registered against the arrested persons and these are under investigation.

पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों को दूसरी जगह ले जाना

2636. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी तथा केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, को माऊन्ट आबू मदानी क्षेत्रों में ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किस कारणों से वर्तमान स्थान का चुनाव किया है ; और

(ग) किन परिस्थितियों के कारण यह परिवर्तन किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) (i) भारतीय प्रशासन सेवा स्टाफ कालिज शिमला तथा भारतीय प्रशासन सेवा ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली को मिला कर 1959 में राष्ट्रिय प्रशासन अकादमी की स्थापना की गई थी । चार्लीविले ऐस्टेट में उपयुक्त स्थान उपलब्ध था । अतः नई संस्था को वहीं पर स्थित किया गया ।

(ii) केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालिज को 1947 में माउंट आबू पर स्थापित किया गया क्योंकि उस समय मिलिटरी लाइन्स में उपलब्ध स्थान को सन्तोषप्रद समझा गया था ।

(ग) (i) अब मसूरी का स्थान परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों की बढ़ती हुई संस्था की आवश्यकता-पूर्ती के लिये अपर्याप्त है। विस्तार के लिये स्थान उपलब्ध नहीं है और अकादमी को विश्वविद्यालयों के प्रख्यात प्रोफ़ेसरों, अनुभवी प्रशासन अधिकारीयों और अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई हुई क्योंकि ये लोग सदा ही मसूरी तक जाने का समय नहीं निकाल सकते ।

इस लिये यह निश्चय किया गया है कि अकादमी को नई दिल्ली में प्रस्तावित नेहरू विश्वविद्यालय के निकट की नई इमारत में ले जाया जाय।

(ii) भारतीय पुलिस सेवा के लिये प्रशिक्षण के पहलुओं पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई एक समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि भारतीय पुलिस सेवा के लिये प्रशिक्षण केन्द्र किसी ऐसे नगर में होना चाहिये जहां कुछ आधारभूत सुविधाएं हों, यथा वह मध्यम आकार का नगर हो जिसमें बहुतसे थाने और कई प्रकार की विधि तथा व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएं हों, एक सैनिक केन्द्र हो, कम से कम कमिश्नर और उप महा निरोक्षक पुलिस का एक खंड मुख्यालय हो, एक सहस्त्र पुलिस बटालियन मुख्यालय आदि हो ताकि पूरा प्रशिक्षण दिया जा सके।

ऐसा महसूस किया गया कि हैदराबाद में ये सभी तथा एक अपराध विज्ञान प्रयोगशाला/एक सुव्यवस्थित विश्वविद्यालय तथा प्रतिरक्षा संस्थान जैसी कुछ अन्य सुविधाएं भी थीं, और इस लिये निश्चय किया गया कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को उस शहर मे खोला जाय।

Development of Sanskrit

2637. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation regarding the development of Sanskrit under the three-language formula; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration.

Disputes Among State Governments

2638. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether he has received any letters or memoranda relating to the disputes among the State Governments, particularly among the Ministers of States; and

(b) whether Government have formulated or propose to formulate any code of conduct for Ministers in order to check such a tendency.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) and (b). Government have received from time to time letters and memoranda relating to disputes among the State Governments. Differences among Ministers of States have to be resolved in accordance with the Rules of Business made under article 166(3) of the Constitution, in so far as they may relate to administrative policies. Any disputes amongst Ministers, other than those relating to administrative matters, have to be dealt with at political level. No code of conduct for Ministers is necessary for this purpose.

सरकारी कर्मचारियों का गैर-सरकारी उपक्रमों में नौकरी पर लगना

2639. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों में सरकारी नौकरी को छोड़ कर निजी समवायों में नौकरी करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई ऐसा अध्ययन आरम्भ करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ऐसी कोई प्रकृत्ति सरकार के ध्यान में नहीं आई ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

भ्रष्टाचार के मामले

2640. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पकड़े गये राजपत्रित तथा अराजपत्रित श्रेणियों के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या के वर्षवार और श्रेणीवार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) दोषी पाये गये अधिकारियों के वर्षवार आंकड़े क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	विशेष पुलिस संस्थान द्वारा हाथ में लिए गये नये मामलों से संबन्धित सरकारी अधिकारियों की संख्या		उन मामलों से संबंधित सरकारी अधिकारियों की संख्या जिनका संबंध ऐसे मामलों से था जो मुकदमों के लिये न्यायालय को भेजे गये		उन सरकारी अधिकारियों की संख्या जिन्हें दण्डित किया गया	
	राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित
1962 . .	212	1113	13	261	10	159
1963 . .	332	1454	19	239	6	160
1964 . .	504	1966	38	236	8	133
1965 . . (जनवरी से अगस्त तक)	224	1271	21	135	4	104

बदमाश

2641. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने पुलिस के पास बदमाशों की सूची रखने की कोई व्यवस्था बनाई है;

(ख) यदि हां तो सूची में गत पांच वर्ष में वर्षवार कितने बदमाश थे; और

(ग) ऐसे बदमाशों को नियंत्रण में रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष	बदमाश		
	श्रेणी 'ए' (सक्रिय बदमाश)	श्रेणी 'बी' (पहले सक्रिय किन्तु अब निष्क्रीय)	श्रेणी 'सी' ('ए' श्रेणी के जो जेल में हैं)
1960 .	858	630	24
1961 .	949	759	39
1962	983	766	30
1963 . .	996	795	44
1964 . .	1037	862	40

(ग) बदमाशों को नियंत्रण में रखने के लिये पुलिस द्वारा की जाने वाली आम निगरानी और गस्त के अलवा उनके खिलाफ कानून की स्थायी तथा निरोधात्मक व्यवस्थाओं के अधीन भी कार्यवाही की जाती है। समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिये बम्बई पुलिस अधिनियम, 1951 की कुछ धाराओं के उपबन्ध संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू किये गए हैं।

उच्च प्रशासनिक पदों पर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति

2642. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियर संस्था (भारत) ने गत फरवरी में लखनऊ में हुए अपने 45 वें वार्षिक सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया है कि केन्द्र तथा राज्यों के इंजीनियरी विभागों के उच्च प्रशासनिक पदों पर गैर-तकनीकी व्यक्ति रखने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर तकनीकी व्यक्ति रखे जाने चाहिये

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार को इस संस्था की ओर से कोई पत्र मिला है और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की प्रणाली में किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं समझी गई।

दिल्ली शिक्षा विभाग

2643. श्री जेधे : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली शिक्षा विभाग की सेवाएं केन्द्रीय सेवाओं के अंतर्गत नहीं हैं और दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के अधीन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए प्रधानाचार्य (प्रिन्सिपल) अखिल भारतीय आधार पर भर्ती किए जाते हैं ; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां, जहां तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नवीनतम भर्ती का सम्बन्ध है ।

(ग) इस प्रकार की भर्ती को किसी राज्यक्षेत्र के अधिकारियों के लिये निर्बद्ध करना असांविधानी है ।

मनीपुर अधिकारियों के विरुद्ध जांच

2644. श्री रिशांग किशिंग : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से 1965 तक की अवधि में दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान (देहली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट) शाखा तथा गृह-कार्य मंत्रालय के जांच आयुक्त ने मनीपुर सरकार के अधिकारियों के मामलों की जांच की है

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 1962–1965 की अवधि के दौरान 4 अधिकारियों के मामले जांच के लिये दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान को सौंपे गए और 15 अधिकारियों के मामले ज़बानी जांच के लिये विभागीय जांच आयुक्तों को सौंपे गए ।

(ख) 14 अधिकारियों के मामले अंतिम रूप से निपटाकर मनीपुर सरकार को भेज दिये गए हैं; और

(ग) दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान द्वारा जांच के 3 अधिकारियों के मामले जांच की अंतिम स्थिति में है, एक मामला मनीपुर सरकार के विचाराधीन है और एक मामले में विभागीय जांच आयुक्त द्वारा ज़बानी जांच चल रही है ।

केरल के कालेजों में फीस

2645. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के कालेजों के विद्यार्थियों का कोई अभ्यावेदन मिला है कि सरकारी तथा प्राइवेट कालेजों की फीसों में अन्तर हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की है ; और

(ग) प्राइवेट कालेजों की फीसें कम करके सरकारी कालेजों की फीस के बराबर करने के लिये क्या करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) केरल के शिक्षा विभाग को इस विषय पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) : यह मामला केरल विश्वविद्यालय से उठाया गया था जिसने इस बात की जांच करने तथा विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा केरल के शिक्षा विभाग के विचार्थ प्रस्थापनायें प्रस्तुत करने के लिये उपकुलपति की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है।

इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज़ नई दिल्ली में रूसी भाषा की शिक्षा के पाठ्यक्रम

2646. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज़, नई दिल्ली में रूसी भाषा में शिक्षा के पाठ्यक्रम चालू करने की योजना थी;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्ताव का इसलिये अनुमोदन नहीं किया कि रूस सरकार अथवा भारत स्थित रूसी दूतावास द्वारा इसका विरोध किया गया; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहती है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) इण्डियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज़ ने चौथी योजना अवधि में सोवियत अध्ययन विभाग खोलने की प्रस्थापना की है जिसमें सोवियत संघ के इतिहास तथा संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जायेगा।

(ख) और (ग) : चूंकि यह स्कूल एक स्वायत्त संस्था है, अतः इस द्वारा अध्ययन के किसी प्रस्तावित पाठ्यक्रम का सरकार द्वारा अनुमोदन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

फरीदाबाद में पॉलीटेकनिक

2647. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मन यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की राष्ट्रीय परिषद् ने फरीदाबाद (पंजाब) में केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब सरकार के परामर्श से एक पॉलीटेकनिक संस्था स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की राष्ट्रीय परिषदने जर्मन यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की वित्तीय सहायता से जर्मन ढंग के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों की एक इंजीनियरी संस्था स्थापित करने का निश्चय किया है।

(ख) पंजाब सरकार तथा भारत सरकार ने प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है।

केरल में जुनियर कालिज

2648. **श्री वारियर** :

श्री प्रभात कार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में 1965-66 में अब तक कितने नये जूनियर कालेज स्थापित किये गये हैं; और

(ख) क्या इनमें से किसी कालेज ने अभी तक कार्य करना आरम्भ नहीं किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 17।

(ख) जी, नहीं। सभी कालेजों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

मध्य प्रदेश के आदिवासी विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

2649. **श्री लखमू भवानी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय की कक्षाओं में मध्य प्रदेश के आदिवासी छात्रों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई ; और

(ख) मध्य प्रदेश में विभिन्न कालिजों/विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के कितने आदिवासी छात्र पढ़ रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही वह प्राप्त हो जायेगी, सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सतर्कता समितियां

2650. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सशस्त्र घुसपैठियों को हमारे राज्यों में घुसने से रोकने और समाज-विरोधी तथा राष्ट्रविरोधी तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के विरुद्ध कदम उठाने के लिये पूर्वी पाकिस्तान के साथ आसाम, त्रिपूरा तथा पश्चिमी बंगाल की हमारी सीमाओं के साथ-साथ के सभी ग्रामों में सतर्कता समितियां बनायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : पाकिस्तानियों की घुसपैठ के खिलाफ़ सतर्कता रखने के लिये कोई ग्राम सतर्कता समितियां अलग से नहीं बनाई गई है । फिर भी सीमा सुरक्षा दल, ग्राम स्वयंसेवक दल, ग्राम रक्षक टुकड़ियों आदि के रूप में इसके खिलाफ़ रखवाली करने के प्रभावी प्रबन्ध मौजूद हैं ।

केरल में भाषा आयोग

2651. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भाषा आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) एक राज भाषा (विधान मण्डल) आयोग के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के तेलशोधक कारखाने

2652. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के दो तेल शोधक कारखाने नूनमाती और बरौनी स्वदेशी कच्चे तेल की ऊंची लागत के कारण भारी घाटे में चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के ऊपर अज्ञात विमान

2653. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **गृह-कार्य** मंत्री एक अज्ञात विमान देखे जाने के समाचार के बारे में 31-8-65 को ध्यान दिलाने वाली सूचना पर दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च-स्तरीय समिति जिसने हवाई अड्डों आदि पर सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्धों का अध्ययन किया था, का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी कौन सी सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : हवाई अड्डों की सुरक्षा समिति के प्रतिवेदन की अभी तक सरकार जांच कर रही है। ज्योंही यह जांच पूरी हो जायगी त्योंही इस प्रतिवेदन को सदन के सभा-पटल पर रखने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

भारत का पुरातत्वीय सर्वेक्षण

2654. श्री हरि विष्ण कामत : क्या **शिक्षा** मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 334 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समीक्षा समिति द्वारा भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण के संबंध में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) और (ख) : जी, नहीं। ये अभी तक विचाराधीन हैं।

जनगणना संगठन

2656. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में स्थायी जनगणना विभाग बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लागू किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : 1961 की जनगणना से सम्बन्धित मुख्य कार्य को पूरा कर लेने के बाद राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में दो जनगणनाओं के बीच की अवधि में काम करने के लिये तथा दोनों जनगणनाओं में तालमेल बठाने के लिये कुछ नामीय कर्मचारी रखने का विचार है। वर्तमान कर्मचारि-वर्ग की बजाय नामीय कर्मचारियों की संख्या पर 1-3-1966 से आया जायगा। ये कर्मचारी अस्थायी आधार पर रखे जायगे और उन्हें स्थायी आधार पर स्वीकृत करने में कुछ समय लगेगा।

दिल्ली में सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की पदोन्नति

2657. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के कुछ मामले विभागीय पदोन्नति समिति ने, जो संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिनिधि संस्था है, अस्वीकार कर दिये थे और एक सप्ताह बाद इस समिति की स्वीकृति के बिना उनकी फिर पदोन्नति की गई; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पदोन्नतियां करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां। कुछ ऐसे मामले थे।

(ख) अनुवर्ती पदोन्नति बिल्कुल तदर्थ तथा अस्थायी आधार पर की गई थी न कि नियमित आधार पर। ऐसा करना आवश्यक था क्योंकि विभागीय पदोन्नति समिति तथा संघ लोक सेवा आयोग से सभी रिक्त स्थानों के भरने के लिये अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों के लिये सिफारिशें उपलब्ध नहीं थीं।

भारतीय तेल निगम द्वारा अधिक अदायगी

2658. **श्री रामसेवक यादव :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री भारतीय तेल निगम द्वारा मैसर्स आर० बी० भोला नाथ एण्ड संस को की गई अधिक अदायगी के बारे में 14 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2258 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आर० बी० भोला नाथ एंड संस को की गई अधिक अदायगी इस बीच वसूल कर ली गई है और भारतीय तेल निगम में इसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) और (ख) : जांच पड़ताल करने पर मैसर्ज आर० बी० भोला नाथ एण्ड कम्पनी नामक फर्म को स्तर से नीचे सामग्री की सप्लाई के कारण ५५० रुपये की अधिक अदायगी का पता लगा और इण्डियन आयल कारपोरेशन ने उक्त फर्म से इस धनराशि को वसूल करने की व्यवस्था की। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से मामले की जांच की गई और कारपोरेशन के किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

शहादरा में डकैती

2659. **श्री लखमू भवानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 सितम्बर, 1965 को शाहदरा दिल्ली के पास कुछ डाकुओं ने पुलिस कर्मचारियों का भेष धारण कर के दिन धाड़े डाका डाला; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) शाहदरा, दिल्ली के निकट एक गांव में 1-9-1965 को डकैती पड़ी थी (न कि डाका)। इस जुर्म में शामिल व्यक्ति खाकी कमीजें और निकरें पहने हुए थे, न कि पुलिस की वर्दी।

(ख) एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों को पकड़ने और उस इलाके में ऐसे अपराधों की आवृत्ति रोकने के लिये सशस्त्र पुलिस के दस्तों की गश्त जोर शोर से जारी है।

भारतीय प्रशासन सेवा विशेष भर्ती परीक्षा (1956-57)

2660. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री किन्दर लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुलिस सेवा के उच्च वेतनक्रम के कुछ उम्मीदवारों को, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1956-57 में भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्ति के लिये ली गई विशेष परीक्षा में अच्छे स्थान प्राप्त किये थे, भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्त नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Admission in Delhi Colleges

2661. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of students who got themselves registered for admission in colleges this year in Delhi ;

(b) the number of students who got admission ; and

(c) the number of those who could not get admission ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) 10,253.

(b) 9,244.

(c) It is not possible to indicate the exact number of students who could not get admission, as quite a large number of students who register themselves do not finally turn up, because many of them are admitted to engineering institutions and other institutions elsewhere.

Arrests under Defence of India Act

2662. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1235 on 1st September, 1965 and state :

(a) the number of persons, (Statewise) out of those 2,697 arrested under the Defence of India Act and the Preventive Detention Act against whom charges of hoarding, profiteering and blackmarketting have been levelled ; and

(b) the number of persons (Statewise) who have been acquitted, whose cases are pending trial and who have been released on bail ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) & (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Book Entitled "Christian"

2663. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Christian missionaries have distributed a book entitled "Christian" in Adivasi areas in which disrespect has been shown to Lord Rama, Lord Krishna and Mahatma Budha ;

(b) whether the Adivasis have demanded at their Conference held recently that the book should be proscribed ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) & (b). The book entitled "Christian" and the resolution passed at the Conference of Adivasis thereon, have not come to the notice of the Central Government. Necessary information in this regard has been called for from the State Government.

(c) & (d). Do not arise.

Ban on Listening to Pak. Radio

2664. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistan Radio is carrying on false propaganda on a large scale against India ;

(b) if so, whether Government propose to impose a ban on listening to the Pakistan Radio ; and

(c) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). The matter is under consideration.

तमेंगलांग (मनीपुर) के एस० डी० ओ० की हत्या

2665. श्री हेम बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमेंगलांग, मनीपुर के सब-डिवीजनल आफिसर को नागा विद्रोहियों ने हाल में गोलीं मार कर हत्या कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मनीपुर के युद्ध-विराम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये कोई उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : 5 सितम्बर, 1965 को दिन के 12.20 पर तमेंगलांग के सब-डिवीज़नल आफिसर श्री एन० आर० खुदानपुर को कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने इम्फाल-तमेंगलांग रोड पर मील-पत्थर संख्या 71 पर तमेंगलांग मुख्यालय से तीन मील दूर गोली मार दी ।

(ग) और (घ) : तमेंगलांग शांति समझौते के अंतर्गत् आने वाले क्षेत्र में पड़ता है । सरकार ने इस अपराध के लिये जिम्मेवार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिये आवश्यक कदम उठाये । इस क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी उपयुक्त कदम उठाये गए हैं ।

दिल्ली के उपभोक्ता मूल्य देशनांक संबंधी समिति का प्रतिवेदन

2666. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के उपभोक्ता मूल्य देशनांक सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) सरकार के श्रम तथा नियोजन मंत्रालय को समिति का प्रतिवेदन 11 सितम्बर, 1965 को प्राप्त हो गया ।

(ख) समिति ने दिल्ली के लिये 1960 में वर्तमान उपभोक्ता मूल्य देशनांक (आधार 1944) में कुछ सुधारों की सिफारिश की है और अपने दृष्टिकोण से आवश्यक समझे जाने वाले सुधारों के आधार पर यह मूल्य देशनांक दोबारा बना लिया है । उसी आधार पर समिति ने सम्बन्ध जोड़ने वाले वे संशोधित कारक भी तैयार कर लिये हैं जिन्हें 1944 की श्रृंखला को 1960 के साथ जोड़ने के लिये अपनाया जाना है ।

(ग) सिफ़ारिशों की जांच की जा रही है ।

पुर्तगाली भाषा में पुस्तकें

2667. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजिम और दमन और दीप में ऐसे पुस्तकालय हैं जिन में पुर्तगाली भाषा की बहुमूल्य पुस्तकें हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी देखभाल की जाती है और उनके अनुवाद के लिये प्रबन्ध किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्यमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

तूतुक्कुडि में सोडा एश कारखाना

2668. **श्री मुथिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतुक्कुडि में सोडा एश कारखाना स्थापित किये जाने की सम्भावना की जांच करने के लिये जापान के एक दल ने 29 जुलाई, 1965 को वहां का दौरा किया; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेसन) : (क) इसके बारे में सरकार को कोई सुचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन में पहली तथा दूसरी श्रेणी के पद

2670. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में पहली तथा दूसरी श्रेणी के कुल कितने पद हैं;

(ख) उनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ग) क्या उन पदों की संख्या, जिन पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति काम कर रहे हैं, निर्धारित कोटा से कम है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिये दिल्ली प्रशासन का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : 1 जनवरी 1965 को दिल्ली प्रशासन के श्रेणी–I कर्मचारियों की कुल संख्या 202 थी और श्रेणी-II कर्मचारियों की 637 इनमें से श्रेणी I के 5 तथा श्रेणी II के 10 कर्मचारी अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे ।

(ग) हां। भूतकाल में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित पदों में से बहुत सों के लिये अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे ।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण के बारे में जो आदेश भारत सरकार के अधीन पदों पर लागू होते हैं उनका दिल्ली प्रशासन पहले ही पालन कर रहा है। कमी को पूरा करना उपयुक्त अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है ।

भारत का महा रजिस्ट्रार

2671. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय के विभिन्न डिविजनों में प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने कितने कर्मचारी है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पृथक् पृथक् कितने कर्मचारी हैं और क्या वे अपेक्षित रक्षित कोटे के अनुसार रखे गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) रक्षित कोटे के अनुसार नियुक्तियां करके के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4931/65।]

केरल में समुद्री तकनीकी स्कूल

2673. **श्री इम्बी चिबावा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में एक समुद्री तकनीकी स्कूल खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या तवनूर संस्था से समुद्री मत्स्य पालन तकनीकी पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) । जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Photos Published in "Vogue"

2674. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Gauri Shanker Kakkar:**
Shri Bade : **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Y. D. Singh : **Shri Bagri :**
Shri Bishanchander Seth : **Shri Rameshwaranand :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Yashpal Singh : **Shri Kishan Pattnayak :**
Dr. L. M. Singhvi : **Shri Lahri Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the special December 1964 edition of the Journal "Vogue" which is published from America in which disgraceful photos of Hindu Gods and Goddesses, with certain women of disrepute mounting on them, have been given and they have been demonstrated to the world at large ;

(b) whether those photos were taken with the prior consent of Government or whether the whole of that activity was kept secret ;

(c) whether any communication has been sent to the U. S. A. Government for taking some action against the said Journal ;

(d) if so, the reply received thereto ; and

(e) whether any action has been taken against those persons alst who assisted in taking those photos ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) The Special December 1964 issue of the periodical entitled "Vogue" has not come to the notice of the Government. Efforts are being made to obtain a copy of the periodical and the matter will be examined when a copy becomes available.

(b) No such permission is necessarry.

(c), (d) &, (e). Do not arise.

केरल उच्च न्यायालय में वकीलों के लिये ला चेम्बर

2676. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल उच्च न्यायालय के वकीलों ने उच्च न्यायालय के प्रांगण में एक ला चेम्बर बनाये जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान आर्थिक दबाव को देखते हुए सरकार ने वकीलों की संस्था के लिये प्रस्तावित भवन का निर्माण स्थगित करने का फैसला किया है ।

केरल वकील संस्था का पुस्तकालय

2677. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल वकील संस्था के पुस्तकालय को कोई अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) क्या अनुदान को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

उद्यान भूमि का अर्जन

2677-क. श्री प० ह० भील :
श्री राम सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भोरगढ़ और कुरानी गांवों के बागों के मालिकों की भूमि अर्जित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो अर्जन के लिए बनाई गई योजना से उस भूमि को अलग करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली की मास्टर प्लान की व्यवस्थाओं के अनुसार दिल्ली के चारों ओर के नगरों में से एक के रूप में नरला का विकास करने के लिये इस भूमि को अर्जित किया गया है ।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्दमान के समीप विदेशी नाव

2677-ख. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में भारतीय जल-प्रांगण में अन्दमान द्वीप समूह के आस पास मछलियां पकड़ती हुई कितनी विदेशी नावें पकड़ी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : पिछले एक वर्ष की अवधि के दौरान अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के इर्द गिर्द भारतीय जल-प्रांगण में कुल मिला कर 10 मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयान पकड़े गये ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सुमात्रा में भारतीय वाणिज्य दूतावास और जावा में भारतीयों की सम्पत्ति पर कब्जा करने तथा इंडोनेशिया में भारतीयों की सम्पत्ति के जप्त किये जाने के समाचार

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :—

"Reported seizure of Indian Consulate in Sumatra and property of Indians in Java and confiscation of property of Indians in Indonesia"

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : On the morning of 13th September, 1965, the North Sumatra Youth Front staged a big demonstration at the Indian Consulate in Medan. The demonstrators pulled down the Indian flag from the Consulate building and replaced it with the Indonesian national flag. They also pulled down the Indian

national emblem and name plate on the Consulate and carried them away along with two book-shelves containing library books. These people were stopped by the Consul when they wanted to carry away the portrait of the Indian President.

The police on duty did nothing to check the demonstrations. It was clear, beyond doubt, that the Indonesian Government could not discharge its international obligation in giving protection to foreign missions stationed in Indonesian territory. Our Ambassador in Jakatra had lodged a protest with the Indonesian foreign office.

Labels reading 'under protection of the Indonesian Government' had been pasted by the police on all Indian shops and houses in Jakarta on 18th September. The Indian merchants were also told that they would not be able to sell their houses and shops or transfer them. Our Ambassador was discussing that question with the members of the Indian Community.

The Governor of West Java had issued a decree according to which Indian property was taken over into protective custody of the Government for Security reasons with effect from the 11th September.

The Gandhi Memorial School in Jakarta earlier taken over had now been allowed to open. The Khalsa School in Medan had been taken over by Government authorities.

Shri Bagri (Hissar) : Sir, On point of order. The Hon. Minister gave a strange reply which does not appear to be reasonable. He said that the demonstrators carried away book-shelves containing library, but they were stopped when they tried to take away the portrait of the Indian President. May I know why they were not stopped when they carried away the book-shelves.

Mr. Speaker : There is no point of order. The Hon. Minister is asking the Minister. The Minister is not required to decide a point of order ; it is I who had to do so.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know (a) whether it is a fact that the Indonesian Government is not succeeding in the discharge of its obligations, (b) whether it is also a fact that they are instigating the people to do so, and (c) whether it is also a fact that some ladies who were coming back to India were threatened that they would be shot dead ?

Shri Dinesh Singh : I have made it clear in my statement the Indonesian Government could not discharge its international obligation. It is very difficult for us to say that whether Government have a hand in all these matters.

Mr. Speaker : What about women ?

Shri Dinesh Singh : It is heard that some incidents took place there, but we have not so far received the full details thereof ?

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान द्वारा हम पर किये गये आक्रमण का खुले तौर पर तथा सक्रिय रूप से समर्थन किया है और इसी समर्थन के परिणामस्वरुप वहां यह हिंसात्मक कार्यवाही भी हुई है। क्या हमारी सरकार इंडोनेशिया की जनता को भारत का मामला अच्छी तरह समझाने में तथा उसका पर्याप्त रूप से वहां प्रचार

[श्री० हेम बरुआ]

करने में सफल हुई है (ख) क्या दो देशों के बीच सम्बन्ध सुधारने की दृष्टि से हमारी सरकार इंडोनेशियन सरकार के साथ उच्च-स्तर पर कोई बात-चीत आरम्भ करने का विचार कर रही है; और (ग) क्या "देखभाल (Supervision) शब्द का इंडोनेशियन शब्द भंडार में हमारी सम्पत्ति को जब्त करने का अर्थ होता है ?

श्री दिनेश सिंह : सरकार कोई विशेष वार्ता करने का विचार नहीं कर रही है। अब तक इस सम्बन्ध में केवल हमारे राजदूत ही बात-चीत कर रहे हैं। जहां तक प्रश्न के भाग (ग) का सम्बध है, हमें यह सूचित किया गया है कि इस सम्पत्ति को गुंडागिरी से बचाने के लिए सरकार के संरक्षण में ले ली गई है और इस समय सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण अथवा उसे जब्त करने का सरकार का कोई भी विचार नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या चीन और पाकिस्तान के कहने पर इंडोनेशिया ने योजनाबद्ध रूप से जानबूझ कर उसके साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये यह शरारतपूर्ण कार्यवाही की थी ?

श्री दिनेश सिंह : यह सभा तथा सम्पूर्ण इस बात से अवगत है कि, हमने पाकिस्तान अथवा चीन ने जो कुछ किया है उस के प्रभाव में आकर कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि भारतीय दूतावास के समाचार पत्र सहचारी को मारने-पीटने की धमकी दी गई है ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश सिंह : इंडोनेशियन सरकार ने हमें यह सूचित किया है कि वे पर्याप्त सजगता बरत रहे हैं

Shri Bagri : May I know whether it is a fact that the people of Indonesia are not supporting the policy which is being adopted by the Indonesian Government towards India ; if so, the reaction of the Government of India thereto ?

Shri Dinesh Singh : I have already told the House that we do not think that the policy which we are adopting now towards Indonesia does not provoke or push the people of Indonesia against us. There are friendly relations between our people and the people of Indonesia.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Now Government have fully seen the hostile attitude of Indonesia. In view of this, may I know whether Government have come to this conclusion that it is necessary to classify Afro-Asian Countries on the basis of Bandug Principle so as to know which Countries are friendly to us and which are not too friendly and deserve indifferent attitude; and if so, the names of the Countries so classified ?

Shri Dinesh Singh : We are always keen to establish maintain and strengthen friendly relations with all the Countries. Some Governments now and then create difficulties and we have to face them when they come before us. But we have never tried to make anti-propaganda against any Country.

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, my question was regarding classification.

श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूं कि यह सभा इन देश की कार्यवाहिओं को देखते हुए इस बात से भी अवगत है।

Shri Kishan Pattnayak (Sanbatpur) : We have been striving our utmost to see that friendly relations are maintained with Russia, America, Afro-Asian and other non-aligned countries. But at this time when fight is going on between India and Pakistan it has not yielded any fruitful results. In the light of this fact, may I know whether Government of India will revise its foreign policy ?

Shri Dinesh Singh : As an Asian Country, it would not be reasonable for us if we did not try to establish or maintain friendly relations with Asian Countries and similar is the case with African Countries. Nevertheless, we try to establish friendly relations with other countries also. I do not think that there is any need to revise our policy.

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री महोदय 3.30 बजे (अपराह्न) अपना वक्तव्य देंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

समुद्रीय नौकायों की युध्द जोखिम के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पण

वित्त मंत्री (श्री० ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं समुद्रीय नौकायों की युद्ध जोखिम बीमा योजना के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति तथा योजना की रूपरेखा सभापटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-4918/65 ।]**

कहवा (कॉफी) बागान उद्योगों आदि के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की शिफारिशोंपर सरकारी संकल्प

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : मैं श्री संजीवय्या की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-3 (14) 65 दिनांक 19 सितम्बर, 1965, की एक प्रति, जिस के द्वारा कहवा (काफी) बागान उद्योग के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की स्वीकृति की घोषणा की गई । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 4919/65 ।]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खन्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल दुकानें तथा वाणिज्य-संस्थापनायें अधिनियम, 1960 की धारा 34 की उपधारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 181/64 की एक प्रति, जो दिनांक 16 जून, 1964 के केरल राजपत्र प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल दुकानें तथा वाणिज्य-संस्थापनायें नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-4920/65 ।]**

(3) वर्ष 1963-64 के लिए कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4921/65 ।]**

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम (तीसरा संशोधन) नियम आदि

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 41 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारत प्रतिरक्षा (तीसरा संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 14 मई, 1965, की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 741 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-4922/65 ।]**

[श्री हाथी]

(दो) भारत प्रतिरक्षा (अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन) संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 10 जून, 1965, की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 831 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-4923/65।**]

(तीन) भारत प्रतिरक्षा (चौथा संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 10 सितम्बर, 1965, की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1350 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये। देखिये संख्या एल ०टी०-4924/65।**]

नर्मदा जल साधन विकास समिति की सिफारिशों का सारांश

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): मैं नर्मदा जल साधन विकास समिति (खोसला समिति) की सिफारिशों का एक सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-4925/65।**] **सम्पूर्ण प्रतिवेदन की प्रतियां भी पुस्तकालय में रखी गई हैं।**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1965 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1963-64 के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-4926/65।**]

प्राक्कलन समिती

ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के सत्तावनवें प्रतिवेदन के अध्याय में दी गई सिफारिश का उत्तर दिखाने वाले विवरण का एक प्रति, जो प्रतिवेदन में शामिल किये जाने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजा गया था; और प्राक्कलन समिति की निम्नलिखित प्रतिवेदनों सम्बधी बैठकों के कार्यवाही सारांशों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) परिवहन मंत्रालय-दण्डकारण्य, हल्दिया, मद्रास, विशाखापट्टणम, तूलक्कुडि और प्रदीप पत्तन के सम्बन्ध में सड़सठवें से सत्तरवां प्रतिवेदन।

(दो) पुनर्वास मंत्रालय—दण्डकारण्य परियोजना—के सम्बन्ध में बहत्तरवां प्रतिवेदन।

(तीन) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)—भारतीय कृषि अनुसंधान संख्या, नई दिल्ली के सम्बन्ध में छिहत्तरवां प्रतिवेदन।

(चार) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय आय अनुसंधान संस्था, शिमला के सम्बन्ध में उनासीवां प्रतिवेदन।

(पांच) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)—भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसंधान संस्था, झांसी और भूमि संरक्षण अनुसंधान प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र—के सम्बन्ध में अस्सीवां प्रतिवेदन ?

(छ) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)—राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसंधान संस्था, करनाल और भारतीय पथ चिकित्सा अनुसंधान संस्था, आइजटनगर—के सम्बन्ध में इक्यासीवां प्रतिवेदन।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTION

इकहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इकहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति—जारी
ESTIMATES COMMITTEE—*contd.*

छियासीवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह : मैं वित्त मंत्रालय भूतपूर्व राजस्व तथा कम्पनी विधि विभाग (कम्पनी विधि प्रभाग) के बारे में प्राक्कलन समिति के तिरेपनवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति का छियासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

न्यायालय (जांच) विधेयक—जारी
JUDGES (ENQUIRY) BILL—*contd.*

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की और संसद द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन रखने की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 30 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के 20 सदस्य, अर्थात्, श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री सचीन्द्र चौधरी, श्री होमी दाजी, श्री रा० गि० दुबे, श्री हरि विष्णु कामत, श्री हरेकृष्ण मेहताब, श्री शंकरराव शांताराम मोरे, श्री गुलजारी लाल नन्दा, श्री ओझा, श्री टीकाराम पालीवाल, श्री रघुनाथ सिंह, श्री शिवराम रंगो राने, श्री ना० गो० रंगा, श्री श्यामलाल सर्राफ, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री अब्दुल वहीद और श्री जगन्नाथ राव और राज्य सभा के 10 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को 28 फरवरी, 1966 तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अ० श० आल्वा : अध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रहा था कि यह विधेयक संविधान की भाषा के ही विरुद्ध नहीं है परन्तु इसकी भावना के भी विरुद्ध है । क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अन्तर्गत संसद ही इस बात का निर्णय दे सकती है कि किसी न्यायाधीश के विरुद्ध दोष सिद्ध हो गया है अथवा नहीं । इस विधेयक में इसी अनुच्छेद के विरुद्ध ही कई उपबन्ध हैं । खण्ड 3 में जो राष्ट्रपति द्वारा जो न्यायाधिकरण की नियुक्ति करके उसे निर्देश दे सकेगा, वह संविधान के अनुच्छेद 124(5) के विरुद्ध है ।

[अ० शं० आल्वा]

फिर न्यायाधिकरण का, जिसके सम्बन्ध में भी मुझे आपत्ति है जिसका वर्णन मैं बाद में करुंगा, गठन हो जाने के बाद, वह किसी भी अन्य न्यायालय की भान्ति जांच करके अपना निर्णय देगा जो राष्ट्रपति द्वारा सभा के अनुमोदन के लिये सभा-पटल पर रखा जाएगा अब । देखना यह है कि यदि सभा यह निर्णय स्वीकार न करे तो क्या होगा । आशा है प्रवर समिति इन पहलुओं की ओर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी ।

इस प्रकार जांच करने का अधिकार संसद से छीनकर न्यायाधिकरण को दे दिया गया है और संसद को केवल अपीलीय प्राधिकार बना दिया गया है । क्या यह वांछनीय है ? संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के दो स्पष्ट कारण बताये गये है और संसद भली प्रकार इस पर निर्णय दे सकती है । यह भी वांछनीय नही है कि सभा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णय को ठुकरा दे अथवा उन पर अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करें जो इस न्यायाधिकरण के सदस्य होंगे ।

खण्ड 5 में कहा गया है कि यह न्यायाधिकरण केवल सभा की सहायता करने के लिये होगा । तब तो इसका गठन भी राष्ट्रपती द्वारा न होकर इसी सभा द्वारा होना चाहिये, और सभा चाहे इसमें विधि विज्ञ रखे अथवा अन्य विख्यात व्यक्ति ।

मुझे विश्वास है कि प्रवर समिति इन बातों पर ध्यान दे कर बहुत सी अनावश्यक बातें दूर करके एक सहल प्रक्रिया अपनायेगी जिस द्वारा यह कार्य संसद को सौंपा जाएगा ।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : This Bill seeks to take away the initiative given to Parliament by Constitution and after passing of the Bill this right would rest in the Government. This is a fundamental question which needs serious thought by Joint Committee to whom the Bill has been referred. As pointed out by Shri Alva, the power to appoint a tribunal to enquire into the charges framed against a Judge should be vested in Parliament alone and not in the President or any other agency of the Executive.

I feel that the title of the Bill is not objective or explicit enough—it should be Judges (Removal from Office) Enquiry Bill.

I also feel that the word "Misbehaviour" has not so far been precisely defined either in the Constitution or in any other law. This, I suggest, may be done now in the present Bill. So that the work of the Tribunal as well as Parliament may be simplified.

I also do not feel the desirability of appointing Supreme Court Judges in office or retired to this Special Tribunal which will go into the cases against Supreme/High Court Judges. This can give scope to partiality or improper investigation leading to wrong decisions. Therefore this should be left to Parliament who can see how best to select the personnel of this Tribunal.

Another point which requires consideration is the minimum number of members of this Tribunal.....

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, on a point of order. There is no quoram in the House .

Mr. Speaker : Now there is quoram. Shri Shree Narayan Das may continue his speech.

Shri Shree Narayan Das : I was saying that whereas the minimum number of member of the Tribunal has been indicated in the Bill, I feel that the maximum limit should also be indicated.

The Bill provides for a Medical Board also, which will be essential while dealing with cases of physical and/or mental incapacity. Therefore top medical men should man this Board.

The criticism offered by Shri Trivedi regarding influencing Judges by petty presents etc. does not stand the test of reality and our Judiciary has established itself fairly as the most upright and just body not only in India but in the whole world.

Lastly, I feel that the majority of total membership of the House or two-third majority of Members present and voting should not be necessary while considering the verdict of the Tribunal. This will not be a very good thing and some such provision should be made so that the House might not reject the findings of Tribunal alongwith meeting the demands of the Constitution.

With these words I support the motion to refer the Bill to the Select Committee.

श्री हिम्मतसिंहका (गोडा) : कल कुछ सदस्यों ने न्यायपालिका की कड़ी आलोचना की थी परन्तु मुझे लगता है कि हमें इस पर गर्व करना चाहिये और न्यायाधीशों ने अपने आचरण तथा योग्यता से एक बहुत ऊंचा आदर्श देश के समक्ष रखा है। जैसा कल श्री मुकर्जी ने कहा यह ठीक नहीं है कि यदि कोई न्यायाधीश पहले राजनीति में भाग लेता रहा हो तो वह निन्दायोग्य ही है परन्तु हमें तो यह देखना है कि न्यायाधीश बनने पर वह कैसा कार्य करता रहा है और श्री मुकर्जी जिस न्यायाधीश को लेकर आलोचना करते रहते हैं उसने कलकत्ता के उच्च न्यायालय में अपने अच्छे कार्य द्वारा बहुत ख्याति पाई है।

सरकार को न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन में वृद्धि करने के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये ताकि बड़े बड़े नामी वकील यह पद स्वीकार कर सकें और न्यायाधीशों को सेवावधि समाप्त होने पर चिन्ता और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

पता नहीं यह कैसे कह दिया गया है कि इस विधेयक द्वारा संसद से शक्ति छीन लेने का प्रयास किया गया है जबकि विशेष न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय वैध्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि सभा इसका अनुमोदन न कर दे। वास्तवमें संविधान भी यही चाहता है कि न्यायाधीशों को तब तक न छुआ जाए जब तक कि उनके विरुद्ध कोई घोर दुर्व्यवहार अथवा अयोग्यता का मामला न हो। इस लिये किसी भी ऐसे उपबन्ध पर सभा को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये जो उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला हो।

यह विधेयक केवल उस प्रक्रिया का उपबन्ध करना है जो संसद् को अनुच्छेद 124(4) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये अपनानी है। और न्यायाधिकरण द्वारा दिये गए प्रतिवेदन पर विचार करके संसद के लिये निर्णय देना और भी सरल हो जाएगा।

मेरा विचार है कि यदि यह सुझाव मान लिये जाएं तो न्यायपालिका का यह ऊंचा स्तर बनाये रखा जा सकता है।

डा० मा० भा० अणे (नागपुर) : मैं मंत्री महोदय के इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के सुझाव को स्वीकार कर लेने के लिये बधाई देता हूं। वास्तव में चाहिये तो यह था कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को लोकमत जानने के लिये सारे देश में परिचालित किया जाता।

संविधान के अनुच्छेद 124(4) में देश के शासन के तीनों अंगों में से किसी एक अंग के बारे में कोई कार्यवाही करते समय अन्य दो अंगों का सम्बन्ध भी आवश्यक बना दिया गया है।

[डा० मा० श्री० अणे]

एक माननीय सदस्य ने इसी अनुच्छेद के उप-खण्ड (4) में न्यायाधीश के दुर्व्यवहार और अक्षमता के साथ साथ "निर्पेक्षता" भी शामिल करने का सुझाव दिया है ताकि जाच करने पर और दोषी सिद्ध होने पर उन्हें पदच्युत किया जा सके परन्तु किसी व्यक्ति का सर्वोच्य न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होना ही उसकी निर्पेक्षता का अचूक प्रमाण है इसलिये यह अनावश्यक है। कुछ सदस्यों का यह भी विचार है कि संसद् से विशेष न्यायाधिकरण को नियुक्त करने का अधिकार न देकर सरकार उसे अपने अधिकारों से वंचित कर रही है परन्तु यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अन्तिम निर्णय तो संसद् के हाथ ही है, इसके विपरीत यह तो अच्छा ही है कि संसद् को ठोस तथ्यों के आधार पर निर्णय देने में आसानी होगी।

इन शब्दों के साथ ही मैं स्थानापन्न प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : यद्यपि मंत्री महोदय ने यह विधेयक संयुक्त समिति को साप कर बहुत अच्छा कार्य किया है परन्तु मेरे विचार से ऐसे विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी जिससे सर्वोच्च न्यायालय और स्वयं राष्ट्रपति पर आक्षेप लगता हो। संसद् के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियक्त विशेष न्यायाधिकरण की उपपत्तियों को अस्वीकार करने का अर्थ इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 121 और 124 स्पष्ट रुप से न्यायाधीशों द्वारा हुये किसी भी दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता की जांच का अधिकार संसद को देने को कहते हैं अतः न्यायाधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

निस्संदेह न्यायपालिका ही देश के लोकतंत्रात्मक ढांचे की एकमात्र उचित अभिरक्षक है परन्तु इस न्यायाधिकरण का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय पर एक और न्यायालय थोपना होगा।

मुझे इस विधेयक के नाम पर भी आपत्ति है। यह नाम अनुच्छेद 124(5) के अनुसार और अधिक उद्देश्यसूचक होना चाहिये।

इस विधेयक में न्यायाधिकरण की सदस्यता केवल उन्हीं न्यायाधिशों के लिये सीमित कर दी गई है जो इस समय काम कर रहे है अथवा कर चुके हैं—यह सीमा हटा ली जानी चाहिये। इस न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी संसद् द्वारा ही होनी चाहिये। मुझे खुशी होती यदि सरकार मंत्रियों के आचरण संबंधी भी कोई विधान बनाती और यह संसद् के इतिहास का एक शानदार अध्याय होता परन्तु न्यायपालिका की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना घातक होगा। आशा है संयुक्त समिति इन सब बातों पर विचार करके यह निर्णय देगी कि यह विधेयक अनावश्यक है और अनुच्छेद 124 के उपबन्ध ही काफी हैं।

श्री च० कां० भट्टाचार्य (रायगंज) : यह पहला अवसर है जब हम न्यायाधीशों के व्यवहार की जांच संबंधी विधान बनाये जा रहे हैं। इसलिये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अध्ययन से, जिस पर यह विधेयक आधारित हैं, पता चलता है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध जांच करना लगभग असम्भव है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

हमारी न्यायपालिका ने अब विश्वभर में अपने लिये ख्याति अर्जित की है और हमारे न्यायाधीश अपने विधि संबंधी ज्ञान और निष्पक्षता में विश्व में किसी अन्य का मुकाबला कर सकते हैं इसलिये हमे इस संबंध में कोई विधान बनाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिये ताकि उन पर कोई कुप्रभाव न पड़े।

जहा संविधान में संसद् पहले और राष्ट्रपति सबसे अन्त में आता है वहां इस विधेयक में राष्ट्रपति को प्रथम स्थान दिया गया है। मेरे विचार में यह प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी और इसमें

आवश्यक परिवर्तन करके इसे संविधान के अनुरुप बनाना पड़ेगा। हमें उस आचार के बारे में सोचना चाहिये जो न्यायाधीशों ने अपने लिये तथा उन पदों पर आने वाल व्यक्तियों के लिये बनाया है। मेरा विश्वास है कि यह विधेयक पारित होने पर केवल एक निष्प्रभावी अधिनियम ही होगा। वास्तव में हम समूचे विश्व के सम्मुख भारतीय वकीलों और भारतीय न्यायाधीशों के कार्यों को रख सकते हैं।

श्री म० ष० स्वामी (तेनकाशी) : मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इस मामले पर अच्छी तरह विचार करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त सुझाव देगी और इसमें संशोधन करेगी।

राष्ट्रपति को भेजा गया हर प्रतिवेदन स्वत: ही विशेष न्यायाधीकरण को निर्देशित नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति अपने स्वविवेकात्मक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं; वह मामले को विशेष न्यायाधिकरण को जांच के लिये सौंपने से पूर्व प्रतिवेदन की अच्छी तरह जांच करते हैं। अत: हमें राष्ट्रपति के स्वविवेकात्मक अधिकार में पूर्ण विश्वास है।

हमारे समाज में न्यायाधीशों का बडा महत्वपूर्ण स्थान है और उनके दुर्व्यवहार के बारे में जांच करने के लिये कानून बनाना बडी नाजुक बात है।

विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायाधीश के विरुद्ध मामला चलाने के लिये किसी योग्य व्यक्ति को, जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता हो, नियुक्त किया जाना चाहिये।

यदि न्यायाधीश स्वयं को मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश नही करता है, तो इस पर किसी दंड की व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति इस मामले पर विचार करेगी।

हमारी न्यायपालिका अच्छी तरह काम कर रही है और हमारा उनमें पूरा विश्वास है। लेकिन राष्ट्र के सभी कार्यों के लिये संसद् सर्वोच्च प्राधिकारी है। अनुच्छेद 124(5) के अन्तर्गत हमें "सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता" के लिये किसी न्यायाधीश को हटाने का अधिकार है। यहां पर केवल राष्ट्रपति को कार्यवाही चलाने का अधिकार दिया गया है। संसद् से विशेष न्यायाधिकरण के प्रतिवेदन को स्वीकार करने या रद्द करने को ही कहा जाएगा। यदि विशेष न्यायाधिकरण को जांच करने पर यह पता चले कि कोई रिपोर्ट झूठी अथवा निराधार है तो कानून में शिकायत करने वाले को दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिये।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक में इतनी रुचि ली है।

पहल के बारे में पहल करने का अधिकार सदैव संसद् को है। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और संसद् अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कोई भी विधान संविधान के उपबंधों के अनुरूप होना चाहिये। संविधान के अन्तर्गत, सर्वोच्च न्यायालय के अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते है। तो सिद्धान्तत: उस व्यक्ति को हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होना चाहिए। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये कई संरक्षकें की व्यवस्था है जब तक संसद् के दोनों सदन "सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता" के आधार पर राष्ट्रपति को न कहे, राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 124 में "सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता" शब्दों का संभाव्य अर्थ यह है कि ऐसा कोई अभिकरण होना चाहिये जो असमर्थता अथवा कदाचार के तथ्य सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करे। अत: इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई निकाय अथवा कोई अभिकरण होना चाहिये। केवल तभी इसमें संसद् का प्रश्न उठता है। इस मामले में अंतिम निर्णय करना संसद् के ही हाथ में है। इसलिये, मेरे विचार में न्यायाधिकरण की नियुक्ति अथवा इस मामले की आरम्भिक अवस्थाओं में संसद् का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये और इस अवस्था मे इस मामले पर संसद् में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। इसी सिद्धांत के कारण संविधान के अन्तर्गत संसद् में निहित पहल करने के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है और वर्तमान विधेयक द्वारा इसे वापिस नहीं लिया जा रहा है।

[श्री जगन्नाथ राव]

इसके अतिरिक्त जब तक पर्याप्त साक्ष्य न हो तब तक तथा कथित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है। अन्यथा न्यायाधीश की न्यायता मलिन पड जायगी। अतः संविधान के निर्माताओं ने यह परिकल्पना की कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई अभिकरण होना चाहिये तथा उस अभिकरण के प्रतिवेदन के मिलने के पश्चात् ही संसद् अपने अधिकार का उपयोग कर सकती है।

न्यायाधिकरण के गठन के बारे में कुछ आपत्ति उठाई गयी है। उन व्यक्तियों को, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं अथवा अब भी हैं, पर्याप्त न्यायिक अनुभव प्राप्त होता है तथा वे विशिष्ट सत्यानिष्ठा वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की यही दो श्रेणियां हैं जिनमें से विशेष न्यायाधिकरण के सदस्यों को चुना जायगा।

विश्व के अन्य देशों के संविधान में भी ऐसे न्यायाधिकरण बनाये जाने का उपबंध है। इसलिये विधेयक में यह खंड रखा गया है।

विधेयक में यह खंड, कि उसको उस तिथि से लागू किया जाएगा जो तिथि केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करे, इसलिये रखा गया है क्योंकि संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने के बाद इस विधेयक को लागू करने में कुछ समय तो लगेगा। इसलिये भी समय लगेगा क्यों कि विधेयक में इस मामले में सभी में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में नियम बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित करने की व्यवस्था की गई है।

कुछ सदस्यों का सुझाव है कि न्यायाधिकरण स्थायी होना चाहिए। यह न्यायाधीशों अथवा सार्वजनिक कर्मचारियों अथवा सार्वजनिक व्यक्तियों के आचरण को जांच करने के लिये सतर्कता आयोग नहीं है। इसकी नियुक्ति केवल तबही होगी जब आवश्यकता हो। आशा है कि ऐसी स्थिति बहुत कम पैदा होगी अथवा होगी ही नहीं। लेकिन संविधान के अनुसार संसद् द्वारा एक कानून बनाया जाना है और इसीलिये इस बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कानून बनाया जा रहा है।

न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में यह विधेयक विशेष न्यायाधिकरण को एक सिविल न्यायालय के अधिकार देता है। इसलिये केन्द्रीय सरकार अथवा कार्यपालिका विशेष न्यायाधिकरण की क्रियान्विति में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी।

किसी न्यायाधीश के शारीरिक कमजोरी अथवा मानसिक रोग के कारण 'अक्षम' हो जाने पर केवल चिकित्सा बोर्ड ही इस मामले में राय दे सकता है। अतः चिकित्सा बोर्ड का गठन न्यायाधीशों के हित में ही किया जाना है।

इस उपबन्ध पर आपत्ति की गई है कि विधेयक में सरकार अथवा राष्ट्रपति न्यायाधीश के विरूद्ध मामला चलाने के लिये 'किसी व्यक्ति' को नियुक्त कर सकते हैं और "किसी व्यक्ति" शब्द के स्थान पर "एक वरिष्ठ अधिवक्ता" शब्द रखा जाना चाहिए। हर मामले में ऐसा करना संभव नहीं है। मान लो कि किसी न्यायाधीश की सक्षमता का प्रश्न है कि वह वास्तव में शारीरिक रुप से अक्षम है या मानसिक रुप से। तो इस मामले में एक डाक्टर को ही नियुक्त किया जा सकता है। अतः मामले की स्थिति को देखते हुए एक उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त करने का राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेकात्मक अधिकार तो देना ही होगा।

ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि इस विशेष न्यायाधिकरण के नियुक्त किये जाने से संसद् की सार्वभौमता और अधिकार और सर्वोच्चता को छीना जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। संविधान में "सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता" शब्द रखे गये हैं। इसलिये तथ्यों का पता लगाने वाला एक निकाय नियुक्त करना होगा और इसका प्रतिवेदन, चाहे वह न्यायाधीश के पक्ष में हो या विपक्ष में, संसद

के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाएगा। अन्तिम निर्णय सरकार के हाथ में है। संसद् को पूर्ण बहुमत द्वारा, जो कुल उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई से कम नहीं होगा, निर्णय करना होगा और फिर राष्ट्रपति संसद् के दोनों सदनों द्वारा उनसे की गयी प्रार्थना का पालन करेंगे। यह तथ्यों का पता लगाने वाला निकाय है और इसीलिये हम इसमें सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधीश को विशेष न्यायाधिकरण के सदस्य के रुप में रख रहे हैं। न्यायाधिकरण को साक्ष्य लेने का पूरा अधिकार होगा मान लो कि न्यायाधिकरण का कहना है कि न्यायाधीश के विरूद्ध मामला सिद्ध नहीं हुआ तो भी इसका प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा। कोई भी संसद् सदस्य एक संकल्प पेश कर सकता है। इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

मुझे प्रसन्नता है कि सभा ने इस विधेयक में गहरी रुचि ली है और जिन सदस्यों ने इस विधेयक में इतनी रूचि ली है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की और संसद् द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन रखने की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 30 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के 20 सदस्य, अर्थात् श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री सचीन्द्र चौधरी, श्री होमी दाजी, श्री रा० गि० दुबे, श्री हरि विष्णु कामत, श्री हरेकृष्ण मेहताब, श्री शंकरराव शांताराम मोरे, श्री गुलजारीलाल नन्दा, श्री घनश्यामलाल ओझा, श्री टीकाराम पालीवाल, श्री रघुनाथ सिंह, श्री शिवराम रंगो राने, श्री ना० गो० रंगा, श्री श्यामलाल सर्राफ, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री अब्दुल वहीद, और श्री जगन्नाथ राव

और राज्य सभा के 10 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को 28 फरवरी, 1966 तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

गोवा, दमण और दीव (सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम अधिनियम का विस्तार) विधेयक

GOA, DAMAN AND DIU (EXTENSION OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE AND THE ARBITRATION ACT) BILL

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य-क्षेत्र पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के विस्तारण के और कतिपय अन्य मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाए।"

[श्री जगन्नाथ राव]

यह विधेयक गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य-क्षेत्र की कानूनी पद्धति को शेष देश की कानूनी पद्धति के अनुरूप बनाने सम्बन्धी समेकन-कार्य की दिशा में एक अग्रेतर कदम है। अनेक भारतीय कानूनों, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता पहले ही इस संघ राज्य-क्षेत्र में लागू किये जा चुके हैं। तथापि, सिविल प्रक्रिया संहिता को लागू नहीं किया गया है क्योंकि इसको लागू करने से पहले अधीनस्थ सिविल न्यायालयों का पुनर्गठन करना आवश्यक था। गोवा, दमण तथा दीव की सरकार ने इस संघ राज्य-क्षेत्र में सिविल न्यायालयों का, बम्बई के सिविल न्यायालयों में पद्धति के अनुरूप, पुनर्गठन करने के लिये विधान बना लिये हैं और अनुरोध किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता को वहां लागू करने के लिये संसदीय विधान बनाया जाये।

पुर्तगाली कानून में सिविल प्रक्रिया और माध्यस्थम कानून परस्पर सम्बन्धित हैं। इसलिये सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ साथ माध्यस्थम अधिनियम को भी लागू करना आवश्यक है।

ये अधिनियम उस तिथि से लागू होंगे जिस तिथि से पुनर्गठित सिविल न्यायालय चालू होंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री शिकरे (मरमागोआ) : मैं इस विधेयक का सिद्धान्त रूप से समर्थन करता हूं।

गोवा में भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को लागू किये जाने से पूर्व पांच अपराध न्यायालय थे। इनके लागू किये जाने के बाद से ये सभी न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायाधीश का न्यायालय बन गये और समूचे क्षेत्र के लिये एक सत्र न्यायालय बनाया गया। दुर्भाग्य से गोवा में कुख्यात बम विस्फोट के बाद यह सत्र (सेशन) न्यायालय चार महीने बाद भी इससे सम्बन्धित मामले में व्यस्त है। परिणाम-स्वरूप अन्य सभी फौजदारी मामले वैसे ही पड़े हैं और अनेक कैदी गोवा की जेलों में सड़ रहे हैं और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब सत्र न्यायालय को उनके मामलों की सुनवाई करने का समय मिलेगा।

न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में तीसरा न्यायाधीश नियुक्त तो किया ही नहीं गया बल्कि दो में से एक न्यायाधीश चार महीनों से छुट्टी पर गया हुआ है और अब यह न्यायालय ठीक से नहीं चल रहा है। परिणाम यह रहा कि कई दोष-सिद्ध अपराधियों की अपीलें न्यायालय में लम्बित पड़ी हैं।

गोवा में एक महत्वपूर्ण न्यायालय में दो महीने से ठीक से काम नहीं हो रहा है क्योंकि न्यायालय का क्लर्क बीमार है और सरकार ने उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं की है। सरकार यह कहेगी कि इस मामले पर ध्यान देना गोवा प्रशासन का काम है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर नये विधान लागू करने से पहले मामले का उचित अध्ययन और जांच पड़ताल की जाये। हम जानते हैं कि व्यवहार में गोवा प्रशासन का अर्थ है केन्द्रीय सरकार और वहां पर कार्य को समुचित ढंग से चलाने के लिये केन्द्र ही सब कुछ करेगा। इस विधेयक के कानून बन जाने पर वहां पर न्यायालयों का काम कम हो जायेगा और फिर से न्यायिक कार्य न्यायालयों में लम्बित पड़ा रहेगा।

अब चूंकि यह संघ राज्य-क्षेत्र गृह-कार्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में है, यह विधेयक विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि के बजाय गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा पेश किया जाना चाहिये था।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि गोवा, दमण तथा दीव की मूलभूत विधियों के समूचे प्रश्न का समुचित अध्ययन किया जाये और केवल उसके बाद ही नई विधियां लागू की जाएं अथवा उनका विस्तार किया जाए। अन्यथा इससे कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जायंगी जिनका सरकार के पास कोई उचित उत्तर नहीं होगा।

जहां तक खंडों के निरसन का सम्बन्ध है, यह खंड ठीक प्रकार से नहीं बनाया गया है क्योंकि मंत्रालय में सम्बन्धित व्यक्ति यह पता लगाने के लिये जांच पड़ताल नहीं करना चाहते कि विधि के कौन से खण्ड आवश्यक रूप से नई विधि द्वारा निरसित समझे जाने चाहिये। ऐसे खण्डों से भ्रम पैदा होना आवश्यक है और उसके विभिन्न निर्वचन किये जा सकेंगे क्योंकि हम इस बारे में निश्चित नहीं हो सकते कि सभी न्यायाधीश और न्यायिक पदाधिकारी उनका एक ही प्रकार से निर्वचन करेंगे।

मौजूदा विधि का कुछ भाग नयी विधि में शामिल किया जायेगा और कुछ भाग शामिल नहीं किया जायेगा। इससे भी विभिन्न प्रकार से निर्वचन किया जायगा। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें और एक ऐसा खण्ड रखें जो निश्चित और स्पष्ट हो और जिसके एक से अधिक निर्वचन किये जाने की गुंजायश न हो। एक से अधिक निर्वचन होने पर केवल गरीब जनता को ही कठिनाई होगी।

मुझे आशा है कि इन दो मूल विधियों के विस्तार के बाद उपमंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि गोवा में ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दी जाय जहां कानून तो हो लेकिन उसे लागू करने के लिये न्यायालय न हो और आवश्यक न्यायाधीशों अथवा न्यायिक अधिकारियों के नियुक्ति में समय नष्ट न किया जाये ताकि लोगों को न्याय मिल सके।

मुझे पता है कि वह यह कहेंगे कि यह काम गोवा प्रशासन के हाथ में है न कि विधि मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय के हाथ में लेकिन वास्तविकता यह है कि केन्द्रीय सरकार को ही सभी बातों की व्यवस्था करनी है क्योंकि हम गोवा में कोई न्यायिक आयुक्त पैदा नहीं कर सकते। देश के अन्य भागों से ही न्यायिक व्यक्तियों को छांट कर गोवा में भेजा जायगा।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the State of Goa, Daman and Diu should be merged with some other State so that laws in force there could apply to Goa, Daman and Diu also. A committee should be set up to go into the whole question. Cr. P. C. and I. P. C. should be fundamentally changed and new laws should be enacted in their place after making proper investigation and research. Then only those laws should be made applicable to Goa, Daman and Diu.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Deputy Speaker, Sir, this Bill should have been brought much earlier. Four years have passed since the liberation of this Territory but so far we could not extend our laws there.

This Territory should be merged with Maharashtra and then laws of that State would be applicable there. There is no dispute about its merger. Both the Legislative Assemblies want this merger. There is no use of keeping it independent Territory and bring such legislations in Parliament.

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : Instead of bringing much legislations it would be better if these small territories are merged with adjoining states. We should not wait for ten years period and merge these territories as early as possible with an adjoining State.

श्री जगन्नाथ राव : यह एक बड़ा साधारण सा विधेयक है जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम अधिनियम को गोवा, दमण तथा दीव के संघ राज्य-क्षेत्र पर लागू किया जाना है। अब तक लगभग 83 केन्द्रीय विधियां इन क्षेत्रों में लागू की जा चुकी हैं। इन अधिनियमों को वहां लाग करने के लिये अनुरोध किये गये थे। लेकिन इसमें कुछ कठिनाई थी क्योंकि गोवा में प्रशासन पद्धति भारत के अन्य भागों से बिल्कुल भिन्न है। इसलिये इसमें कुछ विलम्ब हुआ है। ये भारतीय विधियां हैं, केन्द्रीय

[श्री जगन्नाथ राव]

विधियां हैं और इसमें किन्हीं राज्य विधियों को लागू करने का कोई प्रश्न नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम अधिनियम केवल महाराष्ट्र और मैसूर राज्य पर लागू होते हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य विधियों को संघ राज्य क्षेत्र में लागू नहीं कर सकती। इसलिये इस अवस्था में विलय के प्रश्न की बात नहीं सोचनी चाहिये। आखिरकार, गोवा, भारतीय क्षेत्र का ही एक अंग है। शेष राज्यों का दावा बना रहेगा और इन विधियों के लागू करने से किसी निकटवर्ती राज्य के दावे अवैध नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोवा, दमण और दीव संघ के राज्य क्षेत्र पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के विस्तारण के और कतिपय अन्य मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस पर खण्डवार विचार होगा। खण्ड 2 से 4 पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड दिये गये।/*Clauses 2 to 4 were added to the Bill.*

खंड 5—(गठन के नियम)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं। मेरा संशोधन उप-परन्तुक के पिछले भाग के लोप के लिये है। इस खंड 5 के उप-खंड 1 में उप-परन्तुक में शब्द "तथा उप-राज्यपाल को निर्देशन सहित भी" ("and also as including a reference to the lieutenant governor") हटा दिये जायें।

जब मैंने यह प्रश्न उठाया कि इस संघ राज्य को मूल अधिनियमों में शामिल क्यों नहीं किया और विधेयक में कुछ त्रुटि है तो श्री हाथी ने यह उत्तर दिया :—

"अन्य राज्यों में यह विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में है। परन्तु जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है वहां पर कोई स्थानीय विधान सभा नहीं है ; अतः वहां पर केवल संसदीय सीटें हैं। जहां तक "राज्य की सरकार" का सम्बन्ध है, यह दिल्ली प्रशासन रहेगा।"

अब यह प्रश्न सदन के समक्ष क्योंकि वह तो संघ क्षेत्र है तो उपाध्यक्ष महोदय ने पूछा था :—

"क्या वह राज्य सरकार है ?"

इस पर श्री जयसुखलाल हाथी ने उत्तर दिया कि हम उसमें संशोधन नहीं कर रहे। उसमें यह शब्द अनावश्यक है। सामान्य परिभाषा अधिनियम के अन्तर्गत 'राज्य सरकारों' में संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें भी शामिल हैं जिसका अभिप्राय केन्द्रीय सरकार से है क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र द्वारा प्रशासित है। यदि सामान्य परिभाषा अधिनियम में राज्य सरकार के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सम्मिलित है, तो फिर पहला भाग ही रहना चाहिये।

दोहरा अधिकार नहीं होना चाहिये, यदि मंत्री महोदय काफी सावधानता की दृष्टि से इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिये जोर देना चाहते हैं। फिर भी यह सम्बन्ध केवल केन्द्रीय सरकार का होना चाहिये, न कि उप-राज्यपाल अथवा गोआ, दमण और दीव से।

श्री शिंकरे : मैं अपने मित्र की इस चिन्ता से सहमत हूं। केन्द्रीय सरकार के पास ही बात रह गई तो असाधारण देरी हुआ करेगी। हमें छोटी छोटी बातों के लिये तो सहुलियतें दी ही जानी चाहिये। मेरा मत यह है कि इस उपधारा को इसी तरह ही रहने दिया जाय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव : राज्य सरकार का अर्थ इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार से ही होगा। उपराज्यपाल भी संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत ही कार्यवाही कर सकेगा। राज्य सरकार के अधिकारों का भी केन्द्रीय सरकार प्रयोग कर सकती है, अतः मुझे श्री कामत का संशोधन स्वीकार नहीं।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।/*Amendment No. 1 was by leave withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 5 विधेयक में जोड दिया गया।/*Clause 5 was added to the bill.*

खण्ड 6 (कठिनाइयां हराने की शक्ति)

श्री हरि विष्णु कामत : व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों को लागू करने के बारे में, जैसा कि खंड 6 में परिकल्पना की गयी है। केन्द्रीय सरकार को उपराज्यपाल तथा गोआ, दमण और दीव की सरकार से निकटतम सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। और इससे उनकी स्वीकृति अथवा अनुमोदन प्राप्त करना चाहिये। अन्यथा यह इससे पहिले खंड के, जिसमें इनको अलग अलग निकाय समझा गया है, विपरीत होगा।

श्री जगन्नाथ राव : सरकार को दो परिमापों से नहीं चलना है। वहां लोकतंत्रीय सरकार चल रही है किसी को इस बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 6 विधेयक में जोड दिया गया।/*Clause 6 was added to the Bill.*

खंड 7, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clause 7, & Clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill.*

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री शिंकरे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि यह आश्वासन दे दिया जाय कि आगे को केन्द्रीय सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि गोआ की अदालतें खाली नहीं रहेंगी। अदालतों की व्यवस्था ठीक करने की दिशा में पग उठाये जाने चाहिये। लोगों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया जाय।

श्री जगन्नाथ राव : खेद है कि मैं इस बात का उत्तर देना भूल गया ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : सामान्यतया तो इस विधेयक की आवश्यकता है, परन्तु मेरा मत है कि जब तक गोआ के बारे में सरकार कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर लेती, इस प्रकार के विधेयक का कोई महत्व नहीं है। सरकार को इस प्रकार खंडश: विधान प्रस्तुत नहीं करने चाहियें। ऐसा करने की आदत अच्छी नहीं है। इस बारे में स्थिति यह है कि सरकार यदि गोआ तथा अन्य राज्य क्षेत्रों के भविष्य के बारे में निर्णय करने का साहस न हुआ तो इसी प्रकार की अनिश्चित स्थिति चलती रहेगी ।

इसके अतिरिक्त मुझे खंड 6 पर बहुत आपत्ति है। खंड 6 में यह उपबन्ध किया गया है उसमें सरकार को कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति दी गयी है वह बहुत ही आपत्तिजनक है। बात बड़ी स्पष्ट है कि सरकार ने जो प्रारूप तैयार किया है वह पूर्ण नहीं है। इसमें बहुत सी कठिनाइयों के पैदा हो जाने की सम्भावना है। कठिनाइयों को दूर करने की आड़ में सरकार को वास्तव विधायक अधिकार अपने हाथ में नहीं लेने चाहिये । इसे रद्द कर दिया जाना चाहिये ।

यदि सरकार की कोई कठिनाइयां हैं तो उन्हें बताया जाना चाहिये। मेरे विचार में जो कुछ किया जा रहा है उससे कठिनाइयां पैदा होंगी । सरकार को ऐसे विधान नहीं बनाने चाहिये जिससे केवल सरकार को ही लाभ हो ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मेरा विचार इस विवाद में भाग लेने का नहीं था, परन्तु श्री दांडेकर के विचार सुनने के बाद मेरा विचार कुछ कहने को हुआ है। मेरा स्पष्ट मत यह है कि गोआ, दमन और दीव के सम्बन्ध में किसी भी निर्णय को न करने के कारण यह विधेयक आ रहा है। मेरा निवेदन यह है कि ईस दौरान में ईस प्रकार का आन्तरिक विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में जो सरकार का व्यवहार है, उसे संसद को अपना समर्थन नहीं दिया जाना चाहिये। आखिर क्या बात है कि इस बारे में सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही। श्री दांडेकर ने इस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करके बहुत बड़ी सेवा की है।

खंड 6 का उपबन्ध, जिसमें सरकार को कठिनाइयां दूर करने के लिये व्यवस्था करने तथा निदेश देने की शक्ति दी गई है, असंगत बात है। मेरे विचार में यह ऐसा मामला है जिसे किसी भी विधान में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यह बात भी बड़ी आश्चर्य की है कि दूसरे सदन के ध्यान में यह बात नहीं आई है । हम इस तरह की बात पर आपत्ति किये बिना नहीं रह सकते ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यह खंडश: विधान प्रस्तुत करने की परिपाटी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या कारण है कि सरकार इस प्रकार यह विधेयक क्यों प्रस्तुत कर रही है। इसके लिये तो इतना ही कह देना काफी था कि सारी की सारी भारतीय विधियां गोआ, दमण और दीव पर लागू होगी। मुझे इस बात का हर्ष है कि इस विधेयक ने हमारे कुछ सहयोगियों की आंखें खोल दी हैं । इस का मतलब तो यह है कि विधि निर्माण का काम भी कार्यपालिका के हाथ में दे देना चाहिये। कठिनाइयों को दूर करने की आड़ लेकर ऐसा कर लिया जाता है। यह सिध्दान्त का प्रश्न है, मैं इसे दलगत दृष्टि से नहीं देख रहा।

जहा तक खंड 6 का सम्बन्ध है कि सरकार का इसे बनाना ठीक नहीं कहा जा सकता। देखा जाय तो यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। और यह संतोष की बात है कि सभा ने इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना आरम्भ कर दिया है। यह तो एक तथ्य की बात है कि अधीनस्थ विधान को कुछ भी हो जाय किसी विशेष सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिये। यह हमारा कर्त्तव्य है कि जिसमें किसी दल विशेष से सम्बन्द्ध होने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरा कहना है कि संसद में निहित अधिकारों को सरकार द्वारा ले लेने का घोर विरोध किया जाना चाहिये ।

श्री जगन्नाथ राव : खंडशः विधान प्रस्तुत करने का विरोध किया गया है। परन्तु हमें यह बात भी याद रखनी चाहिये कि कई एक दिशाओं में हमें तनिक अहिस्ता से चलना पड़ता है। हमें अपनी भारतीय प्रशासन प्रणाली का विस्तार करना है। एक ही दिन में हम ऐसा नहीं कर सकते। इस बारे में स्वर्गीय प्रधान मंत्री का यह आश्वासन है कि इस दिशा में धीरे धीरे चला जायगा। इस दृष्टि से हम राज्य सरकार की सिफारिशों पर ही विधानों को वहां लागू करते रहे हैं। 83 अधिनियमों को वहां लागू किया जा चुका है। अब इन अधिनियमों को किया जा रहा है। इन अधिनियमों को वहां पर लागू करने की दिशा में कठिनाइयां है, क्योंकि गोआ में प्रशासन की पद्धति बिलकुल ही भिन्न है।

जहां तक खंड 5 का सम्बन्ध है, चाहे उसमें लेफटिनेंट गवर्नर का उल्लेख नहीं है परन्तु फिर भी वह अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को लेफटीनेंट गवर्नर को आवश्यक प्राधिकार प्रत्यायोजित करने से नहीं रोकेगा। इसे किसी अधिसूचना द्वारा करने के बदले, विधेयक में स्वतः एक उपबन्ध द्वारा इस उद्देश्य की पूर्त्ति हो जाती है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि संघीय राज्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत गोआ, दमन और दीव में एक राज्य सरकार काम कर रही है। प्रस्तावित विधान को लागू किये जाने वाले कानूनों के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्तियों को गोआ, दमन और दीव के लेफटीनेंट गवर्नर में जो वहां के मंत्रिपरिषद् की सलाह पर काम करेगा निहित कर देना वांछनीय समझा गया है।

खंड 6 में ऐसी कोई नई बात नहीं है। सभा द्वारा पारित किये जाने वाले प्रत्येक विधेयक में ऐसा उपबन्ध होता है

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : नियम है कि इस तरह के विधेयक को संसद के समक्ष रखा जाय, ऐसा इस मामले में क्यों नहीं किया गया। यह मेरा औचित्य प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। यह नियम बनाने की शक्ति नहीं है। प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

रासायनिक उर्वरकों के सम्भरण तथा उत्पादन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. SUPPLY AND PRODUCTION OF CHEMICAL FERTILIZERS

श्री पें० वैकंटासुब्बया (अडोनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री के रासायनिक उर्वरकों के सम्भरण तथा उत्पादन के बारे में वक्तव्य पर, जो 26 अगस्त, 1965 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

मैं यह प्रस्ताव इसलिये सदन के समक्ष रख रहा हूं ताकि माननीय सदस्यों और सरकार को यह पता चल सके कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की दिशा में उर्वरकों को कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आज जो स्थिति है, उसे देखते हुए यह और अधिक आवश्यक हो गया है कि हम कृषि उत्पादन की दिशा में सम्भव उपाय करें। हमें यह बात सुनिश्चित करनी है कि हम अब और अधिक खाद्यान्नों के लिये विदेशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। अतः मेरा निवेदन यह है कि उर्वरकों के उत्पादन की दिशा में कार्यवाही करनी होगी। अधिक से अधिक कारखाने स्थापित किये जाने चाहिये। इस बात का बहुत ही खेद है कि तीसरी योजना

[श्री पें० वैकंटासुब्बया]

काल में हम इस दिशा में कुछ अधिक नहीं कर पाये । उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है । यह बहुत ही महत्व-पूर्ण बात है कि हम उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाय और अनाज के आयात पर जो राशि हमें खर्च करनी पड़ती है, उससे बच जाय । हमें अपने जवानों के लिये भी तो अनाज की व्यवस्था करनी है । इस दिशा में हमें अपने उन गैर सरकारी साधनों का भी प्रयोग करना चाहिये । आज संसार की बड़ी शक्तियों का जो व्यवहार हमसे है उसे देखते हुए यह और भी जरूरी हो गया है । वे तो हमें पाकिस्तान के साथ ही रख रहीं हैं ।

उर्वरकों का खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण हाथ है । इस दृष्टि से हम यदि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं पर ध्यान दें तो मालूम होगा कि प्रशासनिक आयोग्यता के कारण वे अपना लक्ष्य इस दिशा में प्राप्त करने में असमर्थ रही है । अतः सरकार को समय रहते यह महसूस कर लेना चाहिये कि इन सरकारी क्षेत्रों की परियोजनाओं की कार्यान्विति को ठीक किया जाय । और उनके प्रशासन में तनिक अधिक सतर्कता और दक्षता लाई जाय । गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में भी मालूम होता है कि एक या दो परियोजनाओं को छोड़कर कुछ एक तो छोड़ ही दिया गया है । और कुछ एक जो चल रही है उसके बारे में कोई गम्भीरता नहीं दिखाई जा रही । कुछ ऐसी भी है जिनके सम्पूर्ण ढांचे में ही मूल परिवर्तन किये जाने की बात सोची जा रही है ।

मुझे इस बात का हर्ष है कि चौथी योजना के अन्तर्गत मंत्री मोहोदय उन योजनाओं को ठीक तरह से आरम्भ कर रहे हैं । हम 23 लाख मीटरिक टन क्षमता की योजनाओं को आरम्भ कर रहे हैं । मैं सुझाव दूंगा कि जब तक उर्वरक कारखाना स्थापित नहीं हो जाता ठीक से कार्य नहीं हो सकता । यदि कारखाना नहीं स्थापित किया जा रहा तो उचित तौर पर आयोजन का समन्वय कर लिया जाना चाहिये । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो भूलें हमने की हैं, उन्हें पुनः नहीं करना चाहिये । जो भी चयन हम करें, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि यह केवल उसे क्षेत्र में मिलने वाली मूल चीजों के आधार पर ही किया जाना चाहिये । और यह भी ऐसा करते हुए स्थानीय कृषिकों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाय ।

आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जो कि देश में उर्वरक की सबसे अधिक मात्रा का उपयोग करता है । उस प्रदेश में दो मूल वस्तुओं की उपलब्धि बहुत काफी है । वे हैं नेफथा और फास्फेट । अतः वहां एक माध्यम तरह का उर्वरक कारखाना तो स्थापित हो ही जाना चाहिये । चौथी योजना में तो ऐसा कर ही देना चाहिये । मेरा यह भी सुझाव है कि इसके लिये एक स्थायी पुनर्विचार समिति अवश्य बनाई जानी चाहिये । इस स्थायी समिति को उर्वरक कारखाना स्थापित करने और तत्सम्बन्धी उत्पादन के विविध विषयों पर विचार करना चाहिये । ताकि हमें यह पता चल सके कि इस दिशा में हम चौथी योजना के अन्तर्गत अपना प्रात्याशित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे अथवा नहीं । इस लक्ष्य को प्राप्त करते ही हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिभर्रर हो जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि प्रस्ताव में—

अन्त में यह जोड़ा जाय—

"और यह सभा सिफारिश करती है कि रुपये के भुगतान के आधार पर उर्वरकों का आयात करने के लिये पी० एल० 480 समझौते की तरह एक और अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें ।"

श्री वारियर (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में 4 सितम्बर, 1965 के 'कामर्स' साप्ताहिक में यह टिप्पणी की गई है :

"विवरण को देखने से पता चलता है कि तृतीय योजना के अन्तर्गत अधिकांश परियोजनाएं केवल कागज़ पर ही रखी रह गई हैं। यह इस बात से स्पष्ट है कि उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है और कई परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ दिया गया है।"

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजायी जा रही है। . . . . .अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री वारियर : सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति ने भारतीय उर्वरक निगम पर अपने नवीनतम प्रतिवेदन में कहा है कि सिन्दरी को 1959 और 1964 के बीच 10 करोड़ रुपये का घाटा केवल इसलिये उठाना पड़ा है कि सरकार ने लगभग 20 लाख रुपये के मूल्य की मशीनें खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा देने से इन्कार कर दिया। सिन्दरी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है और यह देखना सरकार का काम है कि इसको समय आवश्यक विदेशी मुद्रा मिले।

बताया जाता है कि सिन्दरी कारखाने की विस्तार योजना और पुन:स्थापित करने की योजना पर 15.11 करोड़ रु० खर्च होंगे। और उसके परिणाम 1970 में पता लगेंगे, अर्थात् तृतीय योजना के काफी पश्चात्। समिति ने ट्राम्बे, नामरूप, गोरखपुर और कोरबा के उर्वरक संयन्त्रों की योजना और क्रियान्विति की भी त्रुटियां बतायी हैं। राजनीतिक दबाव के कारण सरकार ने कई बार अपनी निर्णय को बदला है और संयन्त्रों को एक स्थान से उठा कर दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। यही कारण है कि हमें न केवल उत्पादन अपितु उनके अधिष्ठापन में भी भारी घाटा हुआ है।

समिति ने एक यह भी शिकायत की है कि सिन्दरी और नांगल के एककों की स्थापना के अनुभव के पश्चात भी निगम के पास पर्याप्त संख्या में योग्य प्रबन्धक नहीं हैं।

दिल्ली में व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान संस्थान ने उर्वरक उत्पादन संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने में सरकार की असफलता के कई कारण बताये हैं। उसने कहा है कि ऋण संबंधी पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, मूल्य बहुत ऊंचे हैं तथा वितरण और विपणन पद्धति त्रुटिपूर्ण है। उसने यह भी कहा है कि सरकार को कृषकों को फसल के बीमा संबंधी तथा अन्य योजनायें उपलब्ध करानी चाहिये थीं।

अलवाय के कारखाने में गंधक से उर्बरक तैयार किया जाता है और वह गंधक आयात की जाती है। सरकार ने गंधक के आयात में प्राय: देरी की है जिसके कारण न केवल उत्पादन को ही क्षति पहुंची अपितु कारखाने के विस्तार कार्य के तीसरे चरण में एक वर्ष की देरी हो गई। सरकार जब कि नये कारखाने लगाना चाहती है तो वह वर्तमान कारखानों के विकास की ओर पूरा ध्यान क्यों नहीं देती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री ने बताया कि तृतीय योजना में हम अपनी 50 प्रतिशत मांग को भी पूरा नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसी बात है तो मैं नहीं जानता कि चतुर्थ योजना में क्या होगा।

हमारे देश में उर्वरक का उपभोग इतना कम है कि मैं नहीं जानता कि किस आधार पर हमने अपनी मांग का हिसाब लगाया है। डेन्मार्क तथा जापान में गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन क्रमश: 4,130 और 2,740 पौंड है जब कि भारत में केवल 850 पौंड है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में उर्वरक का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में किया जाता है। जापान में प्रति हैक्टेयर 233.59 किलो उर्वरक इस्तेमाल की जाती है जबकि भारत में केवल 3.17 किलो। यह एक बड़ा अन्तर है। उपभोग के स्तर को उठाने के लिये न मालूम सरकार को कितनी पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता होगी। सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि योजनाएं केवल कागजी कार्यवाही बन कर ही न रह जावें अपितु उन्हें ठीक

[श्री वारियर]

ढंग से क्रियान्वित किया जाय। वक्तव्य में कहा गया है कि विदेशी सहयोग नहीं लिया जायेगा। परन्तु कल ही माननीय मंत्री ने कहा था कि ऐसी बात नहीं है कि विदेशी सहयोग का ख्याल बिलकुल छोड़ दिया गया है। मुझे पता लगा है कि रुस और रुमानिया दोनों देशों ने न केवल उर्वरक के उत्पादन के लिये अपितु भारत में एक सम्पूर्ण पेट्रो-रसायन श्रृंखला स्थापित करने की पेशकश की है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसपर क्या निर्णय किया है।

Shri K. N. Tiwary (Bagha) : Mr. Deputy Speaker, Sir, during the 1st, 2nd and 3rd Five year Plans our policy had been to spend the foreign exchange on the import of fertiliser. If that money had been spent on the setting up of fertiliser Plants in the Country we might have achieved self-sufficiency in our requirement of fertiliser by now. The F. A. O. and the Ford Foundation have recommended that unless we are able to meet our full requirement of fertiliser we will not be able to achieve our targets of food production.

The law of diminishing returns applied equally to land also. Unless the input is increased we cannot get good output.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : Mr. Deputy Speaker, Sir, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है . . . अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य जारी रखें।

Shri K. N. Tiwary : Now the question arises how to raise the production of fertilisers. For that my suggestion is that more and more fertiliser plants should be set up in the Country. If foreign exchange is required for that, we should supply that. I do not mind whether you set up these factories in Public Sector or Private Sector.

With the increase of irrigation facilities the demand for fertiliser has increased tremendously and if it is not supplied the money being spent on irrigation will go waste. Also the publicity measures have made the agriculturists fertiliser minded, the increased demand of fertiliser necessitates taking immediate steps for the setting up of fertiliser plants.

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : Mr. Deputy Speaker, Sir, in the motion before the House Government proposes to instal the capacity of 2·2 million tons of fertiliser in the 4th Plan. But the point is that it is the practice with the Government to lay down targets which are never fulfilled. Government should see that they do not remain mere paper plans but are properly implemented.

Our requirement of fertiliser is increasing every year. From 122,000 tons in 1955-56 it has increased to 555,000 tons in 1964-65. The improved varieties of seeds have necessitated per acre greater consumption of fertiliser. There is awakening among the farmers and they are taking more interest in increasing their production. For our requirement of foodgrains we have to depend upon the imports. In 1962-63 we imported foodgrains of the value of Rs. 193 crores. This is a very bad state of affairs and Government should pay attention to it.

Every year we have to import fertiliser worth 45 crores of rupees. It has been given in the statement that if we spent one rupee on the factory we save two rupees on the fertiliser which gives us increased production of foodgrains of the value of 6 rupees. This is a very big saving. But the question is of implementing. Our farmers are not fertiliser minded and that is why our yield per acre is low. Government should give thought to this aspect of the problem also.

Our requirement of fertiliser wil l further increase in the Fifth Five Year Plan. It is therefore essential that urgent steps should be taken to set up fertiliser plants. All difficulties regarding this whether of foreign exchange or any other thing should be resolved.

As suggested in the Report of the Committee on Fertilisers a Fertiliser Promotion Corporation should be established which should take away the work of the distribution of fertiliser and take active steps to make the farmers fertiliser minded.

Besides fertiliser we must provide more irrigation facilities. The use of chemical manure necessitates additional irrigation facilities otherwise production will be even less.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिये कितना समय चाहिये ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : आधा घंटा। साढ़े तीन बज प्रधान मंत्री वक्तव्य दे रहे है, उनके वक्तव्य के बाद मुझे बुला लिया जाये।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : हम जानते हैं कि कई देशों में कृषि का उत्पादन मुख्यतः उर्वरक के इस्तेमाल से बढ़ा है। अमरीका ने थोड़े ही समय में इन उर्वरकों के इस्तेमाल से अपना उत्पादन दुगना कर लिया है। क्योंकि हमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत रुपये में भुगतान करके अनाज मिल जाता है। इसलिये हमने उर्वरकों के उत्पादन पर अब तक विशेष ध्यान नहीं दिया है। यह हमारी बहुत बड़ी कमी है। सरकार को कृषि उत्पादन को सब से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये। जब तक हम खाद्यान्न तथा अन्य कृषि की वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हों जाते तब तक हम अपने देश का औद्योगिक विकास नहीं कर सकते।

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

अच्छा होता यदि इस समय वित्त मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिनिधि यहां होता ताकि उन्हें उर्वरकों की विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाईयों से अवगत करा दिया जाता।

हमारी उर्वरकों की मांग बढ़ती जा रही है जबकि स्थानीय कारखानों के उत्पादन लक्ष्य नहीं बढ़ रहे हैं। सब से बड़ी कठिनाई विदेशी मुद्रा के न दिये जाने की है। इस मंत्रालय को पर्याप्त विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिये। जब तक विदेशी मुद्रा नहीं दी जायेगी हम इस समस्या को हल नहीं कर सकेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : हमारी उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है जिसका तात्पर्य उर्वरकों के आयात के लिये रुपया भुगतान के आधार पर पी० एल० 480 के तरीके पर एक दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय करार के लिये बातचीत करना है।

पेट्रोलियम और रसायन तथा खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों ने भारी विदेशी मुद्रा की मांग की है। केवल उर्वरकों के आयात के लिये ही हमें 776.51 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा चाहिये। देश में पूर्ण उत्पादन कार्यक्रम के चालू होने के पश्चात् भी हम केवल नाइट्रोजेनस उर्वरक ही पैदा कर पायेंगे। जहां तक सुपर फोस्फेट का संबंध है हम लक्ष्य पूरे नहीं कर पायेंगे।

संसार में अपनी आवश्यकता से अधिक उर्वरक पैदा करने वाले देश केवल तीन या चार ही है, जिनमें अमरीका और जापान भी शामिल हैं। हमारी योजनाओं की मजबूती के लिये यह आवश्यक है कि हमारा कृषि उत्पादन अच्छा हो और उर्वरकों के बिना हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता है ; इसलिये

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

उर्वरकों का आयात किया जाना अत्यावश्यक है। और इसके लिये हमारे पास आवश्यक विदेशी मुद्रा नहीं है। इस कठिनाई को दूर करने का केवल एक ही तरीका है और वह यह कि रुपया भुगतान के आधार पर उर्वरक के आयात के लिये करार किया जाये।

पिछड़े हुए देशों में भी अब उर्वरकों की खपत बढ़ने लगी है। वे अब उर्वरकों के आयात के लिये दीर्घकालीन करार कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत कम मात्रा में उर्वरकों का उपभोग किया जाता है। नाइट्रोजेनस उर्वरक का प्रति हैक्टर विश्व उपभोग 9.11 किलोग्राम है जबकि हमारा केवल 2.56 किलोग्राम है।

उर्वरकों के उत्पादन की कमी के साथ साथ हमारी वितरण पद्धति भी बहुत त्रुटिपूर्ण रही है, क्योंकि मिट्टी की जांच नहीं की जाती है कि किस मिट्टी को किस प्रकार का उर्वरक चाहिये।

बेल्जियम में प्रति हेक्टर पोटाश की खपत 201.53 किलोग्राम है जबकि हमारे यहां 0.23 किलोग्राम है। इतना भारी अन्तर है। इस प्रतिवेदन में पोटाश के निर्माण और आयात का कोई कार्यक्रम नहीं दिया गया है।

जहां तक आन्तरिक वितरण का संबंध है मुझे खुशी है कि उर्वरक निगम स्थापित कर दिया गया है। इसके स्थापित किये जाने से सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों का भी आपसी झगड़ा समाप्त हो गया है।

केन्द्रीय उर्वरक पूल ने अब तक 4335 लाख रुपये का मुनाफा अर्जित किया है। मैं जानना चाहती हूं कि उस धन को उर्वरक उत्पादन के संबंध में अनुसन्धान करने पर खर्च क्यों नह किया गया है।

बिहार में तांबा, गंधक और जस्ता काफी मात्रा में मिलता है। उन से पोटाश तैयार किया जा सकता है माननीय मंत्री इसपर विचार करें।

किसानों को उर्वरक देने का हमें ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिये कि अनाज के बदले में उर्वरक दिये जायें। यह काम उर्वरक निगम को सौंपना चाहिये।

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : Mr. Chairman, the attitude of Central Government towards Madhya Pradesh is not good. The work on Korba project has been stopped. After its approval Government had to spend about 70 lakhs of Rupees. Madhya Pradesh is a very big state and it is surplus in the production of good grains.

It is said in the statement that fertiliser plants will be set up in the Country with Naphtha base. I want to know why not a single factory is being set up in Madhya Pradesh. Except Madhya Pradesh fertiliser factories are being established in all the states. It is very surprising that such a big State is being neglected and treated in a casual manner.

Our production of fertiliser is very low as compared to other Countries of the world. Even small Countries are ahead of us in this matter. Even if the coal based factories cost us more, we should go for that since in the long run, we shall save the foreign exchange that we will have to spend on the import of food grains and the fertilisers. With all humility I submit that the Korba factory should be set up even if we have to spend more money on it. Already we have spent lakhs of rupees on the approval of this factory. It will go a long way in meeting the requirements of Madhya Pradesh and the Country.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Mr. Speaker, Sir, water and manure are the two essential things for the agricultural production and we are getting neither.

At the inception of the First Five Year Plan Government said of attaining self-sufficiency in the food production by the end of the 1st Plan. But these Five Year Plans have been completed and we have not achieved self-sufficiency so far. Government lays down the targets but they are never fulfilled. Fertilisers are adulterated and sold in black market.

Corruption is rampant in the places where fertilisers are distributed through Co-operatives. Bogus membership is made in these societies and fertiliser is not given to the legitimate members.

Eighty Five per cent of the farmers in this Country are having uneconomic holdings and moreover the price of the chemical fertiliser is beyond the means of the farmer.

The Hon. Minister should see that the targets which are laid down are achieved, the defects of the distribution system of Co-operative societies are removed and the prices of fertilisers are reduced considerably.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Speaker, Sir, the problem of fertiliser has not so far been solved in a scientific manner.

There is black marketing in the distribution of fertiliser through the Co-operative Societies. The distribution should be done through the District Agricultural Officer.

At present there is so much of Government interference which should be minimised. Mahatma Gandhi used to say "that Government is the best which governs the least ". At present the seeds and the fertilisers are given to the farmer at the appropriate time.

Green manuring should be encouraged. If it is arranged properly our requirement of fertiliser will be reduced by 50 per cent.

There is so much of refuge in the villages which can be used as manure but they have no transport arrangements. The Panchayats do not have the trenches and therefore they cannot undertake this work.

The Panchayats which the Government have established in the Country are only on the paper. There is not even one panchavat which is self-sufficient in the fertiliser.

The number of officers in villages is multiplying. They are not helping the farmers in raising the agricultural production. The work of the B. D. O.'s should be assessed every year and if the production in his block has not increased he should be discharged forthwith.

I want to make it clear to the Hon. Food Minister that the Food problem cannot be solved by paper-work alone. Something concrete and practical will have to be done in the fields. Farmers are told that they are not concerned with meetings held in connection with grow more food. This is something really strange. It may also be emphasized that fertilisers would do much greater harm than good if water in sufficient quantity is not made available to farmers. The fact is that tube-wells have been installed by them but they are not working for want of electricity. I would urge upon the Government that the disparity in the rates of power for an industrialist and an agriculturists should be removed if the Government really wants to increase food production.

युद्ध-विराम तथा अन्य मामलों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: CEASE-FIRE AND OTHER MATTERS

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : Not now. He may raise it after the statement.

Dr. Ram Manohar Lohia : It is alright Sir.

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं भारत-पाकिस्तान संघर्ष संबंधी सुरक्षा परिषद् के दिनांक 20 सितम्बर, 1965 के संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। यह संघर्ष 5 अगस्त, 1965 को आरम्भ हुआ था जब पाकिस्तान ने युद्धविराम रेखा के पार हज़ारों घुस-पैठियों को भेज कर भारत पर जोरदार आक्रमण किया था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिय संख्या एल० टी० 4932/65।**] जैसा माननीय सदस्यों को इससे पता चलेगा, सुरक्षा परिषद् के आदेशानुसार दोनों सरकारों को युद्ध-विराम के आदेश जारी करने थे जो भारतीय समय के अनुसार 22 सितम्बर, 1965 के मध्याह्नोपरान्त 12-30 से लागू किया जाना था। मैंने अपनी सरकार के विचार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को 14 तथा 15 सितंम्बर को भेजे गये अपने पत्रों में स्पष्ट कर दिये थे। इसलिये सुरक्षा परिषद् का यह संकल्प प्राप्त होने पर हमने महासचिव को एक पत्र लिखा कि हम केवल एक ही युद्ध-विराम के लिये जो नियत समय और तिथि से लागू हो, आदेश तभी जारी करने के लिये तैयार होंगे, यदि पाकिस्तान भी ऐसा करने के लिये तैयार हो। इस पत्र की एक प्रति भी सभा-पटल पर रखी दी गई है।

आज प्रातःकाल ही महा सचिव का एक संदेश हमें मिला जिसमें उन्होंने सलाह दी थी कि हम अपनी ओर से एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दें और यदि दूसरी ओर से आक्रमण हो तभी कुछ कार्यवाही करें। स्पष्ट है, यह बात हमें मान्य नहीं हो सकती थी और यह बिल्कुल असम्भव था। हमने अपने संयुक्त राष्ट्र स्थित प्रतिनिधि को तदनुसार महा सचिव को सूचित करने का आदेश दिया।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री की प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद की एक आपाती बैठक बुलाई गई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की ओर से यह घोषणा की कि वे भी युद्ध विराम और युद्ध संबंधी गतिविधियों को बन्द करने को तैयार हैं। अतः हमने अपने क्षेत्रीय कमाण्डरों को कल प्रातः 3-30 बजे तक पूर्ण युद्ध विराम करने के आदेश जारी किये जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के इस संकल्प में अन्य कई बातों का भी उल्लेख है जिन पर बाद में विचार किया जाएगा। तथापि सरकार की नीति सभा को समय समय पर बताई जाती रही है और इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से हाल ही में हुये पत्र व्यवहार में भी किया गया है। इन समस्यों पर और भी विस्तारपूर्वक विचार किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिये हमारा संयुक्त राष्ट्र स्थित प्रतिनिधि महासचिव से लगातार सम्पर्क बनाये रखेगा।

शान्ति अच्छी है और अब युद्धविराम हो जाएगा परन्तु खतरा अभी बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने वहां एक धमकी भी दी है इसलिये हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना है।

राष्ट्र सबसे बड़ी परीक्षा से गुज़र रहा है और हमने सारे विश्व को बता दिया है कि देश का हर नागरिक चाहें वह हिन्दु हो या मुसलमान, सिख हों या ईसाई, सर्वप्रथम भारतीय हैं और मोर्चे पर कोई भी बलिदान दे सकते हैं और दिया है। अपनी सशस्त्र सेनाओं को संसद् और पूरे राष्ट्र की ओर से मैं श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपने शौर्य और साहस से जनता में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को मोर्चों पर भेजा है उन्होंने देश की स्वतंत्रता की रक्षा में अपूर्व योगदान दिया है जिसका आभार राष्ट्र सदा याद रखेगा। परीक्षा की इस कठिन घड़ी में मैं 47 करोड़ व्यक्तियों में से प्रत्येक को इस चुनौती का डट कर मुकाबला करन पर बधाई देता हूं।

रुस के मंत्रि परिषद के प्रधान श्री कोसिजिन के भारत-पाकिस्तान संबंधों को सुधारने के प्रयत्नों का हम स्वागत करते हैं और मैंने उन्हें अपनी सहमति से सूचित कर दिया है।

श्री बलवन्तराय मेहता जिस विमान में यात्रा कर रहे थे वह पाकिस्तानी विमान द्वारा मार गिराया गया था—यह बात मौके पर जांच करने पर ज्ञात हुई है। एक गैर-लड़ाकू असैनिक विमान का इस प्रकार गिराया जाना बिल्कुल अमानवीय कार्यवाही है जिस की सभी को निन्दा करनी चाहिये। श्री मेहता, उनकी पत्नी और अन्य लोग जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे देश की स्वतंत्रता पर बलिदान हुये हैं और उनको सदा स्मरण किया जाएगा।

हमें अब भी चीनी चुनौती का सामना करना है। उसकी सेनाओं ने सीमा पर कई स्थानों पर उत्तेजनात्मक कार्यवाही कर दी है और उन्होंने डोंग्चुईला तथा नाथुला पर सुनिश्चित और परिसीमित सीमा का उल्लंघन किया है। चीन उल्टे हम पर ही आरोप लगाता है और उसके पत्र अशिष्ट भाषा से भरे होते हैं। चीनी पत्रों के उत्तर समय समय पर सभा-पटल पर रखे जाते रहे हैं। हम ने अपनी सेना को स्पष्ट आदेश दे रखा है कि वे अतिक्रमणकारियों को खदेड़ बाहर करे।

हम चीनी गतिविधियों और अन्य उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों को बहुत ही गम्भीर समझते हैं। हमने चीन से यह अनुरोध भी किया है कि वह युद्ध और धमकियों का मार्ग छोड़कर भारत के साथ उसकी भान्ति ही सद्भावपूर्ण तथा शान्तिप्रिय रवैया अपनायें। आशा है कि चीन अब भी हमारे सुझाव पर सहमत होगा और एक बड़े युद्ध को रोक देगा।

क्योंकि हम नहीं जानते कि चीन आगे क्या करने वाला है इसलिये हमें सतर्क रहना होगा। हमने अपनी स्वतंत्रता को दी गई इस चुनौती का मुकाबला करने का दृढ़ संकल्प ले रखा है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Now I might be allowed to raise my point of order. Article 105(3) of the Constitution lays down that where the powers, privileges and immunities of each House of Parliament and of Members of Parliament and Committees thereof shall be such as may from time to time be defined by Parliament, by law and until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the U. K. and of its members and Committees, at the Commencement of this Constitution.

In May 1940, when Norway had fallen and the British people were facing a great crisis, even then an adjournment motion put forward by the Opposition was admitted. I will quote only the harmless expression therefrom.....

Mr. Speaker : He may come to his point of order now.

Dr. Ram Manohar Lohia : The Lok Sabha is in session since 16th August and now it will adjourn soon. A war started and is going to end but we are not allowed to discuss any thing here.

I will quote one instance each for their Adjournment motions, Questions and Debates in the House of Commons and then request you.....

Mr. Speaker : I agree that this House has the same rights as those of the the House of Commons there but it is also not necessary that we must follow them in all respects.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) **:** He had referred to the privileges.

Mr. Speaker : I had taken the sense of the House.

Dr. Ram Manohar Lohia : The privileges of Members have been defined by Parliaments by Law and I have a right to quote instance for British House of Commons regarding their privileges during war.

Mr. Speaker : What privileges do you want ? What are they ?

Dr. Ram Manohar Lohia : I have been deprived of all my privileges.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : जब प्रधान मंत्री जी ने हमें यह संदेश भेजा था और सभी नेताओं को बुलाया था तो सभी सहमत थे कि इस मामले पर कोई प्रश्न नहीं पूछें जाएंगे । इसीलिये हम सब चुप रहे । तब इनके नेता भी उपस्थित थे ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Let me finish. It might be possible that you might change your mind after you have heard me in full. Because it will be a matter of shame for us not to have opened our mind when the House is going to adjourn within a couple of days, all the more so to you, Sir, therefore let me first read my adjourment motion.....

Mr. Speaker : As I stated earlier, I agree that when England was bombarded, the House of Commons held discussions about it but is it imperative, though, it is within our rights to do so, to act exactly in the same manner as the House of Commons.....

श्री स० मो० बनर्जी : फिर हमें चर्चा कब करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल भिन्न बात है ।

Mr. Speaker : There is no point of order in what I have heard.

Dr. Ram Manohar Lohia : You have not heard.

Mr. Speaker : I have heard. There is no point of order in it.

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 23 सितम्बर, 1965/1 आश्विन, 1887(शक) के 10 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Thursday the 23rd September, 1965/Asvina 1, 1887 (Saka).

GIPN—S6—40 Lok Sabha/65—12-7-66—600.